5वीं वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT 2024-25

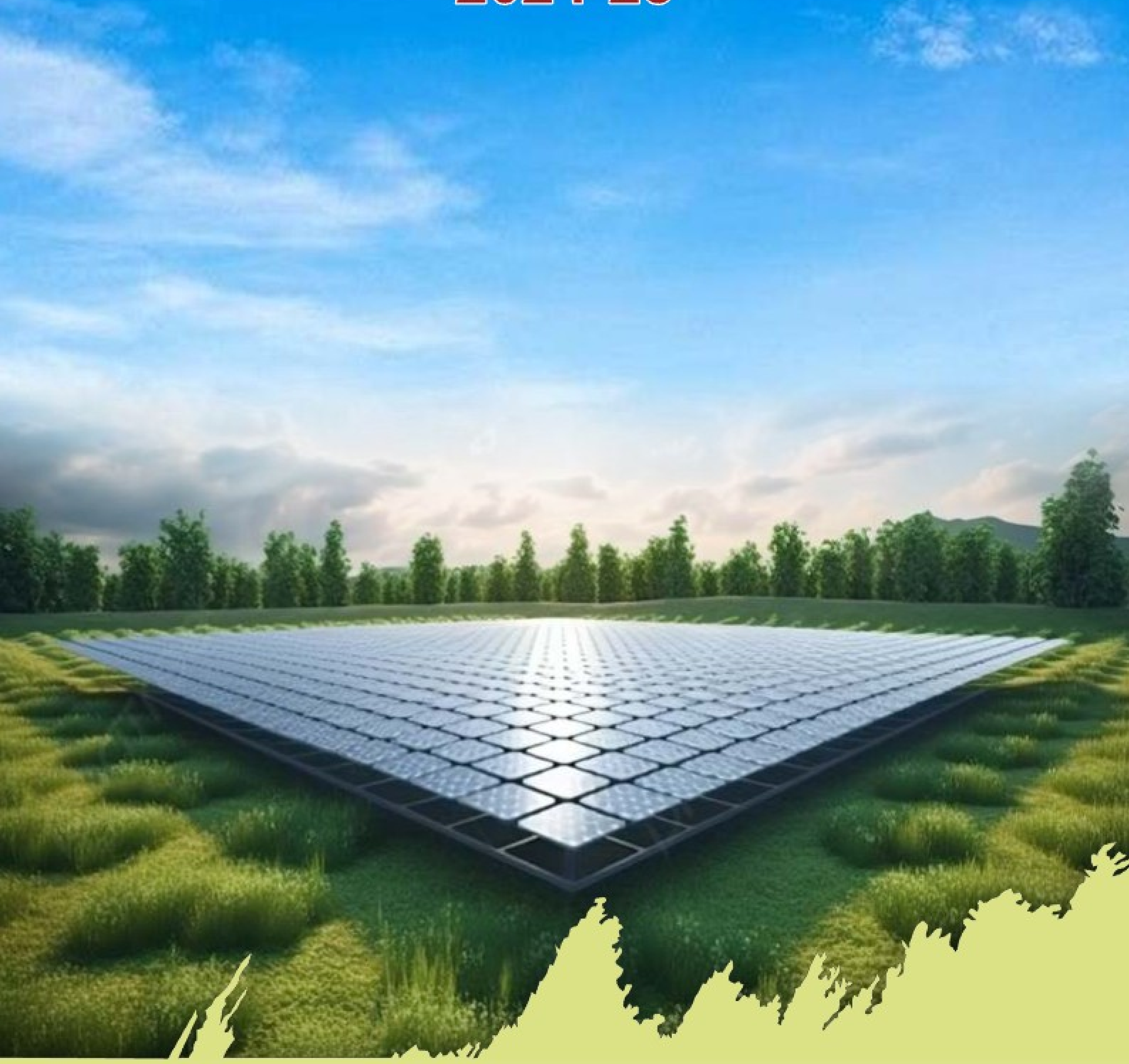

टुस्को लिमिटेड
TUSCO LIMITED

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं यूपीनेडा का संयुक्त उपक्रम)

(A Joint Venture of THDC India Limited & UPNEDA) | (CIN : U40106UP2020GOI134504)

टुस्को लिमिटेड के 600 मेगावाट
अल्ट्रामेगा सोलर पावर पार्क, झाँसी

का शिलान्यास

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ।

-गरिमामयी उपस्थिति-

श्रीमती आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री राजनाथ सिंह
केन्द्रीय रक्षा मंत्री

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
केन्द्रीय राज्य मंत्री,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

श्री जवाहर लाल राजपूत
विधायक, विधानसभा क्षेत्र-गरौठा

झाँसी, उत्तर प्रदेश
शुक्रवार, 19 नवम्बर, 2021

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवबंर, 2021 को
600 मेगावाट झांसी सौर परियोजना का शिलान्यास

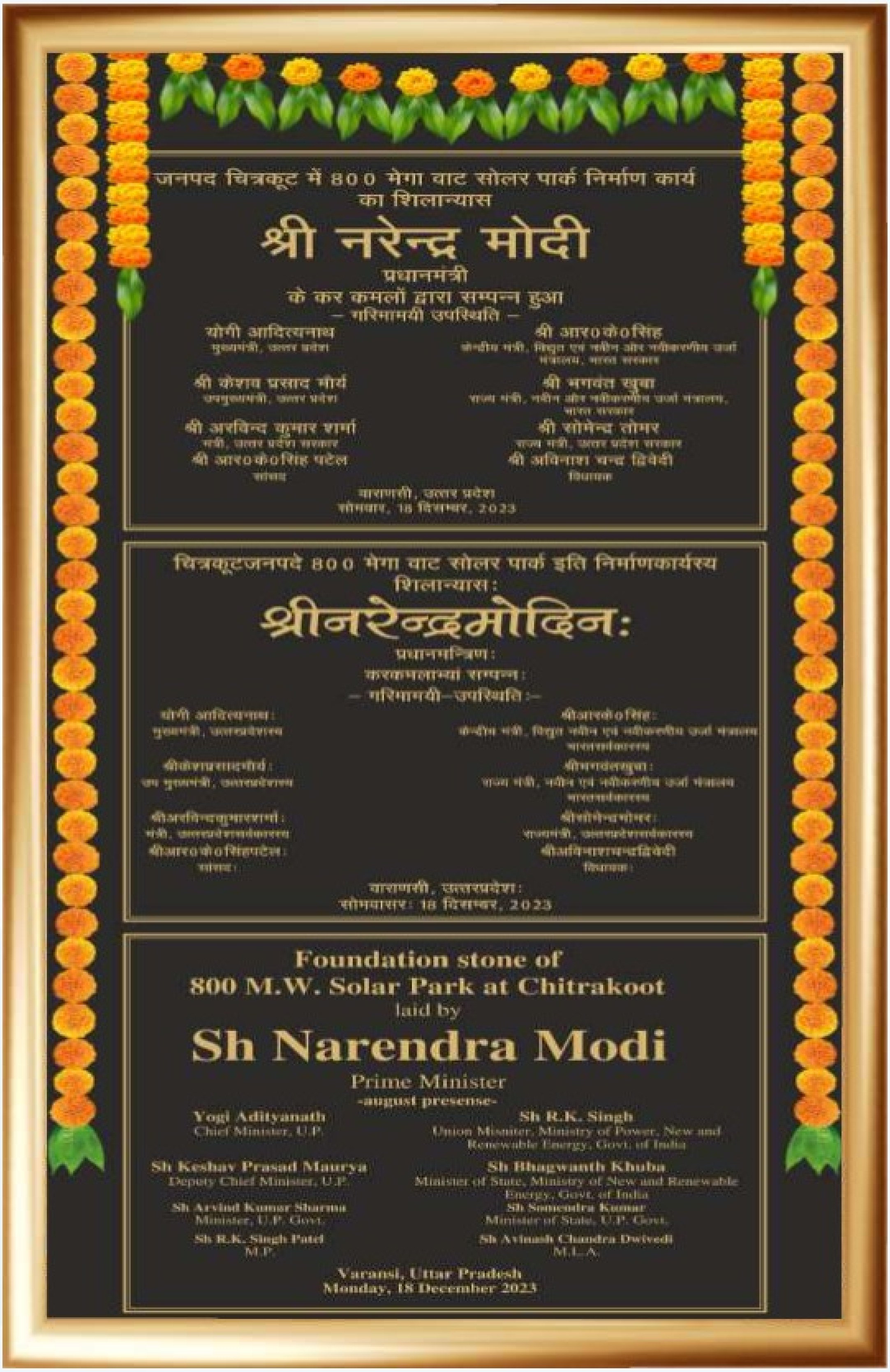

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 दिसंबर, 2023 को
800 मेगावाट चित्रकूट सौर परियोजना का शिलान्यास

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**निगमित परिदृश्य**	3
	निदेशक मंडल	4
	कंपनी का विजन और मिशन	5
	निगमित सूचना	6
	वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं	7
	अध्यक्ष का संबोधन	10
	निदेशकों का संक्षिप्त परिचय	12
2.	**निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25 और उसके अनुबंध**	
	पाँचवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	14
	निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25	22
	फॉर्म एओसी-2	38
3.	**वित्तीय विवरण 2024-25**	
	तुलन पत्र	40
	लाभ एवं हानि का विवरण	42
	नकदी प्रवाह विवरण	43
	लेखा संबंधी टिप्पणियां	67
	वित्तीय विवरण के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	79
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	88
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब	90

निगमित परिदृश्य

- निदेशक मंडल
- मिशन और विजन
- निगमित सूचना
- वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएँ
- अध्यक्ष का संबोधन
- निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

निदेशक मंडल

श्री आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष

श्री सिपन कुमार गर्ग
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(09.09.2025 से)

श्री संदीप सिंघल
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

श्री इंद्रजीत सिंह
नामित निदेशक
यूपीएनईडीए

श्री भूपेंद्र गुप्ता
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(दिनांक 04.09.2025 तक)

श्री अनुपम शुक्ला
नामित निदेशक,
यूपीएनईडीए
(24.04.2025 तक)

कंपनी का विजन और मिशन
VISION & MISSION OF THE COMPANY

विजन कथन | Vision Statement

- स्थिर भविष्य के लिए जीवन का कायाकल्प करने वाली एक अनुकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनना।

To be an exemplary Renewable Energy Entity transforming lives for sustainable future.

मिशन कथन | Mission Statement

- भावी पीढ़ियों के लिए संधारणीय, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन हेतु सर्वोत्तम अवसंरचना उपलब्ध कराना।
- अरबों लोगों के लिए किफायती स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में योगदान करना
- भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली को स्वच्छ ऊर्जा मॉडल में परिवर्तित करने के लिए अनुकरणीय पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराना।
- भावी पीढ़ियों के लिए लागत प्रभावी तरीके से नवीकरणीय और स्थिर ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराना।
- भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली को नवीकरणीय और स्थिर ऊर्जा मॉडल में परिवर्तित करना।
- To provide best infrastructure for producing sustainable, affordable and clean energy for generations.
- To contribute in producing affordable clean energy for billions.
- To provide exemplary eco system for transforming power generation system in India towards a clean energy model.
- To provide an eco-system for generating renewable and sustainable energy in a cost-effective manner for generations.
- To transform the power generation system in India towards renewable and sustainable energy model.

निगमित सूचना

पंजीकृत कार्यालय

टुस्को लिमिटेड, चौथा तल,
यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश),
दूरभाषः 0522-3515962

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री मनोज सरदाना
संपर्क संख्याः 9650493650
ईमेल:msardana@thdc.co.in

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री विनय प्रकाश माथुर
संपर्क संख्याः 9412076924
ईमेल: vinaymathur@thdc.co.in

कंपनी सचिव (सीएस)

श्री हिमांशु बाजपेयी
संपर्क संख्याः 7985143022
ईमेलः himanshubajpai@thdc.co.in

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
104 - रवीन्द्र गार्डन, सेक्टर-ई अलीगंज,
लखनऊ-226024
संपर्क संख्याः 9415020260
ईमेलः joymukerjee.ca@gmail.com

बैंकर्स

पंजाब नेशनल बैंक
मण्डी परिषद, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010

वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

रुपये (लाख में)

			2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
क.		**राजस्व**					
	1	प्रचालनों से राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	अन्य आय	52.39	52.66	40.83	10.26	7.86
	3	सिंचाई घटक के निमित्त आस्थगित राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	**कुल राजस्व**	**52.39**	**52.66**	**40.83**	**10.26**	**7.86**
ख.		**व्यय**					
	6	कर्मचारी हितलाभ व्यय	106.94	123.62	76.26	154.07	0.00
	7	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	2.95	2.95	2.36	2.36	42.37
	8	प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	असाधारण मदें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	**कुल व्यय**	**109.89**	**126.57**	**78.62**	**156.43**	**42.37**
	11	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5-10)**	(57.50)	(73.91)	(37.79)	(146.17)	(34.51)
	12	मूल्यह्रास और परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	**सकल लाभ (पीबीआईटी) (11-12)**	**(57.50)**	**(73.91)**	**(37.79)**	**(146.17)**	**(34.51)**
	14	वित्त लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	**कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन (13-14)**	**(57.50)**	**(73.91)**	**(37.79)**	**(146.17)**	**(34.51)**
	16	आय कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	(10.17)	(15.56)	(13.12)	(43.33)	(8.52)
	18	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व की अवधि का लाभ (15-16-17)**	**(47.33)**	**(58.35)**	**(24.67)**	**(102.84)**	**(25.99)**
	19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ (18+19)**	**(47.33)**	**(58.35)**	**(24.67)**	**(102.84)**	**(25.99)**
	21	अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	ओसीआई पर आयकर - आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	**कुल व्यापक आय (20+21+22)**	**(47.33)**	**(58.35)**	**(24.67)**	**(102.84)**	**(25.99)**
ग.		**परिसंपत्तियां**					
	24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियां (निवल ब्लॉक)	1,946.97	107.05	73.24	47.53	21.30
	25	चल रहे पूंजीगत कार्य	13,618.35	8,605.35	4,687.60	2,010.65	640.60
	26	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	11,370.16	10,656.84	8,639.70	4,980.33	32.76
	27	दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	90.71	80.53	64.97	51.85	8.52

वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

							रुपये (लाख में)
			2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
	29	गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	20.26	8.29	4.08	0.00	0.00
	30	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां	6,599.88	3,114.82	327.76	1.62	0.00
	31	वर्तमान परिसंपत्तियां	8,727.03	1,691.12	2,210.77	261.95	724.29
	32	विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33	सहायक कंपनी में निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34	कुल परिसंपत्तियां	42,373.36	24,264.00	16,008.14	7,353.93	1,427.47
घ.		**देयताएं**					
	35	इक्विटी शेयर पूंजी	4,500.00	4,000.00	3.500.00	2,000.00	1,000.00
	36	रिजर्व और अधिशेष	73.81	(211.86)	216.50	(128.83)	(25.99)
	37	अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38	कुल अन्य इक्विटी	73.81	(211.86)	216.50	(128.83)	(25.99)
	39	दीर्घावधिक उधारियां	6,454.64	2,941.38	0.00	0.00	0.00
	40	गैर-वर्तमान पट्टा देयताएं	12,034.00	10,794.81	8,771.35	4,778.20	27.68
	41	अन्य दीर्घावधिक देयताएं और प्रावधान	15,604.06	4,830.33	2,450.00	50.00	0.00
	42	अल्पावधिक उधारियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43	दीर्घावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44	पट्टा देवताओं की वर्तमान परिपक्वता	1,005.47	1,177.48	609.68	373.66	6.85
	45	अन्य वर्तमान देयताएं	2,701.38	731.86	460.61	280.90	418.93
	46	विनियामक आस्थगन लेखा क्रेडिट शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47	कुल देयताएं	42,373.36	24,264.00	16,008.14	7,353.93	1,427.47
	48	निवल मूल्य (35+38)	4,573.81	3,788.14	3,716.5	1,871.17	974.01
	49	नियोजित पूंजी (48+43+42+39-28)	10,937.74	6,648.99	3,651.53	1,819.32	965.49
	50	लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51	वर्धित मूल्य (11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52	कर्मचारियों की संख्या	48	50	22	19	12
	53	शेयरों की संख्या (लाखों में) (1000 रुपये प्रति शेयर का सममूल्य)	4.5	4.00	3.5	2.00	1.00
ङ		**अनुपात**					
		विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल संचलन सहित प्रति शेयर आय (1000 रुपये प्रति शेयर सममूल्य) (₹ में)	(11.81)	(15.44)	(8.66)	(89.91)	(25.99)
		वर्तमान अनुपात (31/(42+43+44+45)	2.35	0.89	2.07	0.40	1.70
		इक्विटी पर ऋण (39+42+43) / 48)	1.41	0.78	0.00	0.00	0.00
		नियोजित पूंजी पर आय (पीबीआईटी/ नियोजित पूंजी) ((13+9)/49,	(0.52) %	(1.11) %	(1.03) %	(8.03) %	(3.57) %
		औसत निवल मूल्य पर आय	(1.13) %	(1.56) %	(0.88) %	(7.23) %	(2.67) %
		प्रचालनों से राजस्व पर कुल व्यापक आय (23 /1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) (48/53)	1,016.40	947.03	1,061.85	935.59	974.01
		प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य (करोड़ रुपये में) (51/52)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		प्रति शेयर लाभांश (₹ में) (प्रति ₹1000/- शेयर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
च		**प्रचालनरत निष्पादन**					
		उत्पादन (एम.यू.)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

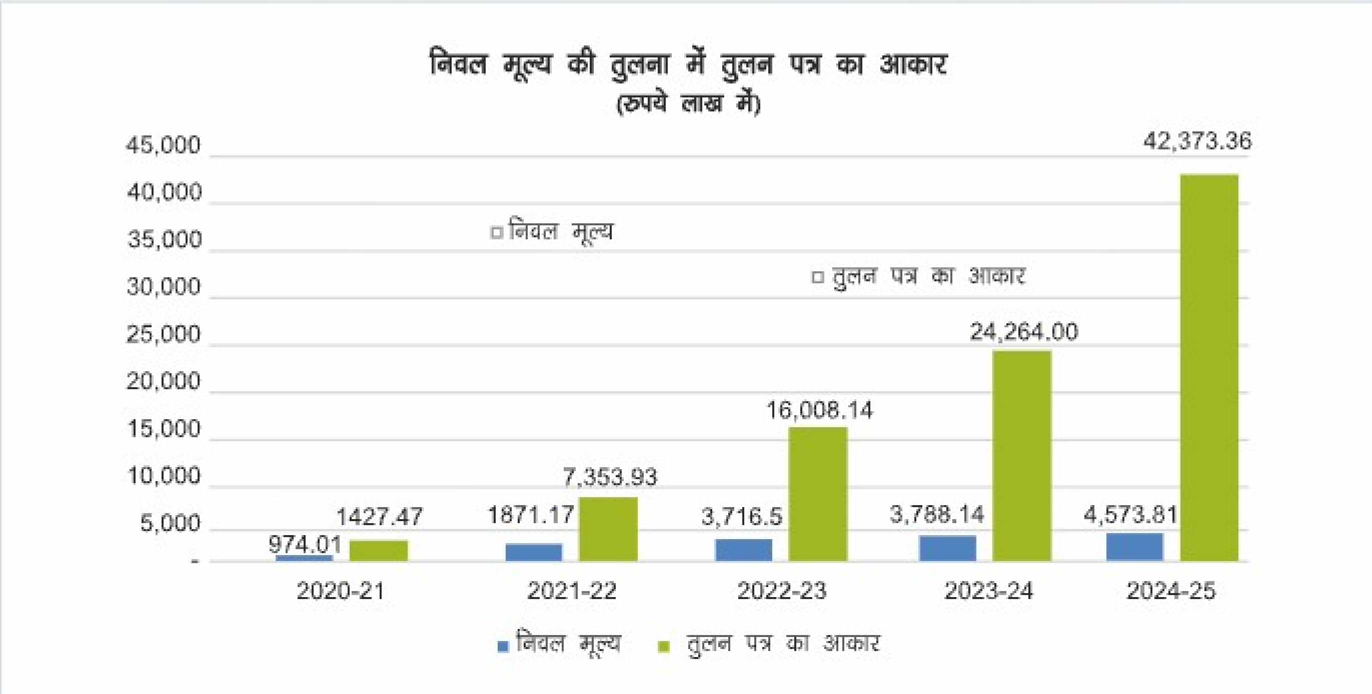

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 4 मार्च, 2024 को 600 मेगावाट
ललितपुर सौर परियोजना का शिलान्यास

अध्यक्ष का सम्बोधन

प्रिय सदस्यगण,

मुझे हमारी पाँचवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में टुस्को लिमिटेड का व्यापक सिंहावलोकन और भावी योजनाबद्ध मार्ग प्रस्तुत किया गया है। संसूचन अवधि के दौरान, हमने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और चुनौतियो, दोनों का अनुभव किया है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विभिन्न चुनौतियां आने के बावजूद, हमारी कंपनी ने साझा मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए, सशक्त वित्तीय प्रदर्शन किया है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना चाहूँगा। अब मैं इन्हें पढ़ने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा।

भारत सरकार (जीओआई) ने हरित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हुए, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। निरंतर घट रही लागत, बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के साथ ही, अब नवीकरणीय ऊर्जा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आकर्षक विकल्प हो गई है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के उक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाएं विकसित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क (यूएमआरईपीपी) योजनाएं 8 मोड में कार्यान्वित की जा रही है। टुस्को लिमिटेड के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्को (यूएमआरईपीपी) को एमएनआरई दिशानिर्देशों के मोड-8 के अंतर्गत सीपीएसयू/राज्य पीएसयू/सरकारी संयुक्त उद्यमों/उनकी सहायक कंपनियों द्वारा एसपीवी मोड के तहत विकसित किया जा रहा है।

एमएनआरई ने उत्तर प्रदेश राज्य में विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को 2000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत पार्क आवंटित किए हैं। तदोपरांत, यह निर्णय लिया गया था कि इन सौर ऊर्जा पार्को को टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाए। इस प्रकार, टुस्को लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के साथ दिनांक 12.09.2020 को निगमित की गई।

यह कंपनी अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी तन्यता बनाए हुए है और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक स्थायी भागीदार के रूप में उभर कर आई है, जिससे भारत में किफायती स्वच्छ ऊर्जा के अभिग्रहण के लिए एक टेम्प्लेट तैयार हुआ है। टुस्को लिमिटेड भारत को इसके सतत विकास लक्ष्यों के और नजदीक लाने में सहायता कर रही है।

परियोजनाएँः

एमएनआरई ने दिनांक 13.10.2020 को ललितपुर और झांसी जिलों में प्रत्येक में 600 मेगावाट के मदो सौर पार्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। एमएनआरई ने दिनांक 18.08.2021 को चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी स्थापित करने के लिए भी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। इस प्रकार, एमएनआरई ने दिनांक 15.06.2020 को जारी एमएनआरई योजना के मोड-8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 2000 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। आवंटित किए गए सभी सौर विद्युत पार्को पर कार्य प्रगति पर है।

भावी संभावनाएँः

देश में बढ़ रही विद्युत मांग की पूर्ति करने के लिए, आवंटित किए गए इस यूएमआरईपीपी को शीघ्रता से चालू करना समय की मांग है। सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए, मुझे विश्वास है कि कंपनी के समर्पित और अनुभवी कर्मचारी कार्यबल उपर्युक्त कार्य पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।

कंपनी के सतत विकास के लिए नए कारोबारी अवसरों की तलाश करना भी आवश्यक है। तदनुसार, टुस्को लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा छह फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं अर्थात माताटीला बांध (ललितपुर), जामिनी बांध (ललितपुर), ढुकवा बांध (झांसी), अर्जुन सागर बांध (महाबाद), अदवा बांध (मिर्जापुर) और रामगंगा बांध (कालागढ़) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और पीएफआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। हमारी टीम ने इन सभी छह फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है। व्यवहार्यता अध्ययन के आउटकम के आधार पर 3 परियोजनाएं अर्थात माताटीला बांध (400 मेगावाट), जामिनी बांध (37 मेगावाट) और अर्जुन सागर बांध (27 मेगावाट) व्यवहार्य पाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, इन व्यवहार्य सौर परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और टीएचडीसीआईएल द्वारा इन परियोजनाओं पर कार्यान्वयन करने के लिए विचार करने, अनुमोदन देने और आवंटन करने के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17.01.2024 को बधुहारी/वडेला गाँव, तहसील रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में 1200 मेगावाट स्थापित क्षमता की एक ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पीएसपी की स्थापना के लिए मैसर्स टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त पीएसपी के विकास के लिए दिनांक 25.07.2024 को टीएचडीसीआईएल को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। बाद में, टुस्को लिमिटेड को परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य प्रदान कर दिया गया था।

आभारः
टुस्को लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी हितधारकों, कारोबारी साझेदारों, ग्राहकों, एमएनआरई, एसईसीआई, उत्तर प्रदेश सरकार, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के जिला अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी जिला स्तर के अधिकारियों को हमारे प्रयासों में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तथा उत्तर प्रदेश में फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं के लिए सिंचाई विभाग के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं उन किसानों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर करने में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई और साथ ही उन बैंकरों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने किसानों को समय पर भुगतान किया।
मैं इस अवसर पर टुस्को लिमिटेड के समस्त कार्यबल का कंपनी की स्थापना के लिए किए गए अथक प्रयासों और झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के किसानों के साथ पट्टा-विलेखों पर हस्ताक्षर में शीघ्रता लाने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने देश के निरंतर विकास के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करते रहेंगे।
अंत में, मैं बोर्ड के अपने सम्मानित सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ तथा भविष्य में उनके प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की कामना करता हूँ। मैं आपके निरंतर विश्वास, भरोसे और समर्थन के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ।
शुभकामनाओं सहित,

प्र.ह./-
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 23.09.2025

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के साथ टुस्को लिमिटेड के अध्यक्ष की बैठक

निर्देशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने दिनांक 06.08.2021 को टुस्को लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इससे पूर्व, वे दिनांक 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) थे।

श्री विश्नोई बिट्स, पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक हैं और उनका जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 38 वर्षों का व्यापक और बहुमूल्य अनुभव है। उन्होंने एमबीए की अर्हता भी प्राप्त की है और हाइड्रोलिक संरचनाओं निर्माण और डिजाइन तथा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को, रूस से जलविद्युत के निर्माण में व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम भी किए हैं। उन्होंने एसडीए बैकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली के सहयोग से एएससीआई, हैदराबाद से लीडिंग स्ट्रैटेजिक चेंज में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है।

श्री सिपन कुमार गर्ग

श्री सिपन कुमार गर्ग ने 17 अगस्त, 2024 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया और उन्हें दिनांक 09.09.2025 से टुस्को बोर्ड में टीएचडीसीआईएल का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें दिनांक 27.09.2024 से टीएचडीसीआईएल का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक प्रतिष्ठित वित्त पेशेवर, श्री गर्ग ने वाणिज्य स्नातक (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त की है और वे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (सीए), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (सीएमए) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (सीएस) के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, श्री गर्ग एलएलबी डिग्री धारक होने के साथ कंपनी सचिव परीक्षा में रैंक धारक रहे हैं।

श्री गर्ग को विद्युत क्षेत्र में वित्त, लेखा, कराधान और वाणिज्यिक पहलुओं में 24 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उनके पूर्व अनुभव में अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्य करना शामिल है जोकि दोनों कंपनियां एनटीपीसी लिमिटेड की समूह कंपनियों के अंतर्गत आती है। उन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है साथ ही कार्पोरेट लेखा समूह और कोल्डम जल विद्युत परियोजना में रणनीतिक भूमिकाओं में भी योगदान दिया है।

एनटीपीसी में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री गर्ग ने अपने उत्तरदायित्व, नैतिकता और कंपनी के प्रति अटूट समर्पण के माध्यम से पेशेवर स्तर पर महत्वपूर्ण उन्नति की। एक उत्कृष्ट वित्त पेशेवर के रूप में पहचाने जाने वाले, उनके द्वारा एनटीपीसी में निभाई गई प्रत्येक भूमिका में उत्कृष्टता हासिल की। वित्त में उनके नेतृत्व में अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अपनी सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई और दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज में उल्लेखनीय बचत भी हुई। वे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की कई समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं, जिनमें सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखांकन समिति, लेखा मानक अध्ययन समूह और उद्योग समूह (पीएसयू) में सदस्य के रूप में शामिल हैं।

श्री संदीप सिंघल

श्री संदीप सिंघल वर्तमान में टीएचडीसीआईएल में कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत हैं और उन्हें दिनांक 01.03.2024 से टुस्को बोर्ड में टीएचडीसीआईएल के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री सिंघल ने रुड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर पूर्ण किया है। उन्होंने वर्ष 1990 में टीएचडीसीआईएल में इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और लगभग 24 वर्षों तक डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग में कार्य किया है। तदोपरांत, उन्होंने कार्पोरेट अनुबंध विभाग में कार्य किया और अनुबंध विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने टीएचडीसीआईएल की एनसीआर यूनिट के प्रभारी के रूप में भी कार्य किया है। हाल ही में, उन्होंने टीएचडीसीआईएल में कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया है और डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग, प्रचालन अनुरक्षण एवं सुरक्षा विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग, भूविज्ञान एवं भू-तकनीकी विभाग तथा लागत इंजीनियरिंग विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं।

श्री इंद्रजीत सिंह

श्री इंद्रजीत सिंह, 2016 बैच के आईएएस अधिकारी, पंजाब के दोआबा के रहने वाले हैं और वे भौतिकी में एम.एस. सी. हैं। उन्होंने अप्रैल, 2017 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी में बुनियादी प्रशिक्षण के साथ अपनी सरकारी सेवा की शुरुआत की। विगत वर्षों के दौरान, उन्होंने बिजनौर में सहायक मजिस्ट्रेट, इटावा में संयुक्त मजिस्ट्रेट, गोरखपुर में मुख्य विकास अधिकारी और लखनऊ में नगर आयुक्त सहित विभिन्न प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। श्री सिंह, अप्रैल, 2025 तक, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे यूपीएनईडीए के निदेशक और यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। निदेशक (यूपीएनईडीए) के पद पर रहते हुए, दिनांक 24.04.2025 को उन्हें टुस्को लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक (यूपीएनईडीए) के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

श्री भूपेंद्र गुप्ता

श्री भूपेंद्र गुप्ता ने दिनांक 09 जून, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है और दिनांक 09.04.2024 से टुस्को बोर्ड में टीएचडीसीआईएल के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तथापि, चूंकि श्री गुप्ता का एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में चयन किया गया है, अतः उन्होंने दिनांक 04.09.2025 से टुस्को लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल के नामित निदेशक का पद छोड़ दिया है। उन्हें सीएमडी, एसजेवीएन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया गया है। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उनके पास भूटान में पुनात्सांगछु जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक (तकनीकी) का पदभार था। इससे पूर्व, उन्होंने आरईसी की दो सहायक कंपनियों, अर्थात आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में प्रचालनात्मक प्रमुख के रूप में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया था। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान, वे विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन, परियोजना प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन और परामर्श के लिए उत्तरदायी थे। श्री गुप्ता के पास लगभग 34 वर्षों का बहुमूल्य और व्यापक कार्य अनुभव है, जिसमें से उन्होंने लगभग 31 वर्षों तक विद्युत क्षेत्र में कार्य किया है और वृहत जलविद्युत परियोजनाओं तथा पारेषण/वितरण परियोजनाओं के नियोजन/डिजाइन/निष्पादन/ अनुबंध/ परियोजना प्रबंधन और प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी रहे हैं। श्री गुप्ता प्रचालन प्रबंधन में एमबीए के साथ ही इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) में स्नातक हैं। वर्ष 2007 में आरईसी लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने 12 वर्षो तक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और वे 1500 मेगावाट की भारत में अब तक की सबसे बड़ा प्रचालनाधीन जलविद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी जलविद्युत संयंत्र के नियोजन, निर्माण और कमीशनिंग के लिए उत्तरदायी थे। इससे पूर्व, उन्होंने भूटान में 1020 मेगावाट की ताला जलविद्युत परियोजना में लगभग 3 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर भी कार्य किया था।

श्री अनुपम शुक्ला

श्री अनुपम शुक्ला को दिनांक 12.07.2022 को उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा टुस्को लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। यद्यपि, श्री शुक्ला दिनांक 24.04.2025 से टुस्को लिमिटेड के निदेशक मंडल में यूपीनेडा के नामित निदेशक नहीं रहेंगे। श्री शुक्ला 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। श्री शुक्ला ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन विश्वविद्यालय, देहरादून से एम.एस.सी. की डिग्री प्राप्त की है। वे जनवरी, 2020 से जौनपुर के मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

वर्तमान में, श्री शुक्ला, विशेष सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, उत्तर प्रदेश सरकार के पद पर कार्यरत हैं और निदेशक (यूपीएनईडीए) भी हैं।

TUSCO LIMITED

(A Joint Venture of THDC India Ltd & UP NEDA)
(CIN : U40106UP2020GOI134504)
Regd. Office: 4th Floor, UPNEDA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, (U.P.) 226010

5वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि टुस्को लिमिटेड के सदस्यों की 5वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 23 सितंबर, 2025 को अपराह्न 4:30 बजे माइक्रो साफ्ट टीम का उपयोग करते हुए कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित हैः

सामान्य कार्य

1. **31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें अपनाना, तथा इस संबंध में, निम्नलिखित संकल्प पर एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में विचार करना और**

यदि उपयुक्त हो, तो संशोधनों के साथ अथवा संशोधनों के बिना, उसे पारित करनाः

"**यह संकल्प लिया जाना है कि** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ-साथ कंपनी के वार्षिक लेखे और लेखांकन नीतियों के भाग स्वरूप सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और टिप्पणियों तथा बैठक के समक्ष रखी गई निदेशकों की रिपोर्ट को एतद्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया जाता है।"

2. **वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए, और इस संबंध में, विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो एक सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों के साथ अथवा संशोधनों के बिना, उसे पारित करनाः**

"**यह संकल्प लिया जाना है** कि कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का समुचित पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।"

3. **श्री संदीप सिंघल (डीआईएनः 10581078), नामित निदेशक - टीएचडीसीआईएल को, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, निदेशक के रूप में नियुक्त करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर एक सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ अथवा संशोधनों के बिना पारित करनाः यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री संदीप सिंघल (डीआईएनः 10581078), जो इस बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को एतदद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

विशेष कार्य

4. **टुस्को लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना।** निम्नलिखित संकल्पों पर एक सामान्य संकल्प के रूप में, विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधनों के साथ अथवा संशोधनों के बिना पारित करनाः

"**यह संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (तत्संबंधी किसी संशोधन अथवा तत्संबंधी पुनर्अधिनियमन सहित) की धारा 61 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 रुपये प्रति शेयर के 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित वर्तमान 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति शेयर के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित 100,00,00,000 (एक सौ करोड़ रुपये) करने के लिए एतद्वारा कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है, जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से समान होंगे।"

यह भी संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित तत्संबंधी नियमों के अनुसार, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड ट में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके परिवर्तित करने के

लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:- **"V. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 100,00,00,000 रुपये है, जो 1000 रुपये प्रति शेयर के 10,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"**

"यह भी संकल्प लिया जाना है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने सहित ऐसे समस्त कार्यों, विलेखों, मामलों और कुछ भी कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

"आगे संकल्प लिया जाना है कि सी ई ओ या सी एफ ओ को इस संकल्प के द्वारा एम सी ए/आर ओ सी के लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

5. 600 मेगावाट के ललितपुर और 800 मेगावाट के चित्रकूट सौर पार्क को कार्यान्वित करने के लिए ईपीसी मोड के अंतर्गत सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) अथवा इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी और टुस्को लिमिटेड के बीच कार्यान्वित होने वाले संबद्ध पक्षकार लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्पों पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधनों के साथ अथवा संशोधनों के बिना पारित करना:

"यह संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित तत्संबंधी निर्मित नियमों (तत्समय प्रवृत्त सांविधिक संशोधनों अथवा पुनर्अधिनियम सहित) के अनुसार, एमएनआरई दिशानिर्देशों (मोड-8) के अनुरूप 600 मेगावाट के ललितपुर सौर ऊर्जा पार्क और 800 मेगावाट के चित्रकूट सौर ऊर्जा पार्क के कार्यान्वयन के लिए ईपीसी मोड के तहत टुस्को लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल की सहायक कंपनी) और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) अथवा सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के बीच संबद्ध पक्षकार लेनदेन को निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है, उपर्युक्त अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/लेनदेन को निकटतम आधार पर और कंपनी के सामान्य व्यापार क्रम में किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प लिया जाना है कि सीईओ, टुस्को लिमिटेड को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों को निष्पादित करने के लिए, आवश्यकता के अनुसार अधिकृत किया जाता है और साथ ही, उन्हें इस संबंध में होने वाले ऐसे अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने और बदलने की शक्ति भी प्रदान की जाती है।

यह भी संकल्प लिया जाना है कि अध्यक्ष, टुस्को को, हस्ताक्षरित किए जाने वाले करारों/दस्तावेजों में मामूली संशोधनों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

टुस्को लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेशानुसार
ह./-
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
मो.-9044796670

सेवा में:
- टुस्को लिमिटेड के सभी शेयरधारक
- टुस्को लिमिटेड के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखापरीक्षक - मैसर्स जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 23.09.2025

टिप्पणियाँः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित नोटिस की अवधि से कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई है। सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022 और 25 सितंबर, 2023 के परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में कहा गया है) के साथ पठित 19 सितंबर, 2024 के अपने सामान्य परिपत्र के तहत एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"/"बैठक") आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए मानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

3. एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी, जो एजीएम का मानित स्थान होगा। चूँकि एजीएम वीसी के माध्यम से की जाएगी, अतः इस सूचना में रूट मैप संलग्न नहीं है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार, एक व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें नोटिस के एजेंडा की मद संख्या 4 और मद संख्या 5 के अंतर्गत विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, संलग्न है। निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में विशेष कार्य को शामिल करने पर विचार किया है और निर्णय लिया है।

5. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र कोई सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र होता है और प्रतिनिधि के लिए कंपनी का कोई सदस्य होना आवश्यक नहीं होता। चूँकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः शेयरधारकों का वास्तविक रूप से उपस्थिति रहना समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रतिनिधि प्रपत्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

6. चूँकि यह वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः शेयरधारकों की वास्तविक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, उपस्थिति स्लिप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

7. कॉर्पोरेट शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करने के संबंध में बोर्ड के संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें। उक्त संकल्प/प्राधिकार कंपनी को उसके पंजीकृत ईमेल पते himanshubajpai@thdc.co.in के माध्यम से ईमेल से भेजा जाए।

8. वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी मामले की कोई भी सूचना मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को दिनांक 6 सितंबर, 2025 तक अथवा उससे पूर्व himanshubajpai@thdc.co.in पर ईमेल भेजें। कंपनी द्वारा इसका समुचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।

9. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों की अनुपालना करते हुए, वार्षिक आम बैठक की सूचना ऐसे शेयरधारकों, जिनके ईमेल पते कंपनी के पास पंजीकृत हैं, को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है ।

10. अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना कोरम की गणना के लिए की जाएगी। कंपनी का निर्दिष्ट ईमेल पता himanshubajpai@thdc.co.in है, शेयरधारकों द्वारा किसी भी प्रश्न के लिए himanshubajpai@thdc.co.in पर ईमेल भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि मतदान पोल के माध्यम से कराया जाता है, तो शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस ई-मेल पते पर अपना मत भेजें।

11. अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने के अध्यधीन, इस सूचना में प्रस्तावित संकल्प को बैठक की तिथि को पारित किया गया माना जाएगा।

12. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20(2) के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को आधिकारिक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने की अनुमति है।

13. वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों के तहत यथा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना, इस सूचना के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत की गई है और उसे **अनुबंध-**1 के रूप में अंकित किया गया है।

दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्रक्रियाः

इस सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज इस सूचना के परिचालित किए जाने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की तिथि तक सदस्यों द्वारा जांच के लिए बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी मौजूद रहेंगे। अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता, अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें कि निदेशक इच्छुक हों और इस सूचना में उल्लिखित संगत दस्तावेज सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वह कंपनी को ईमेल पते himanshubajpai@thdc.co.in पर ईमेल भेजें।

सदस्यों द्वारा मतदानः

सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में हाथ उठाकर अपना मत देना होगा क्योंकि सदस्यों की कुल संख्या 50 से कम है। तथापि, यदि वार्षिक आम बैठक में मतदान की मांग की जाती है, तो सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने मतदान के निर्णय की सूचना कंपनी के निर्धारित ईमेल पर ईमेल द्वारा भेजें।

अनुबंध-1

नियुक्ति/पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

विवरण	श्री संदीप सिंघल
उम्र	59 वर्ष
जन्म तिथि	27.06.1966
योग्यता	रुड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर
अनुभव	जल विद्युत परियोजना संरचनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 35 से अधिक वर्षों का व्यापक और मूल्यवान अनुभव।
अन्य कंपनियों/मंचों में निदेशक का पद/केएमपी	शून्य
अन्य कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (धारा 8 कंपनियों, विदेशी कंपनियों और निजी कंपनियों को छोड़कर)	लागू नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	1
अन्य निदेशकों के साथ संबंध	निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है
वर्ष के दौरान भाग ली गई बोर्ड की बैठकों की संख्या	7 (सात)
पारिश्रमिक	शून्य
नियुक्ति की शर्तें	रोटेशन से सेवानिवृत्त के अधीन

TUSCO LIMITED

(A Joint Venture of THDC India Ltd & UP NEDA)

(CIN : U40106UP2020GOI134504)

Regd. Office: 4th Floor, UPNEDA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, (U.P.) 226010

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या एवं विषय

मद संख्या 4: टुस्को लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना।

टुस्को लिमिटेड को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में दिनांक 12 सितंबर, 2020 को निगमित किया गया था। कंपनी की इक्विटी में टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच 74:26 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। कंपनी के पास 50 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी है। टुस्को लिमिटेड की वर्तमान अधिकृत शेयर पूंजी 50.00 करोड़ रुपये है, जो 1000 रुपये प्रत्येक के 5,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, चुकता पूंजी 49.50 करोड़ रुपये है जो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूपीएनईडीए के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार 74:26 के अनुपात में आवंटित और जारी की गई है।

वर्तमान में, टुस्को लिमिटेड के पास नीचे दी गई तालिका के अनुसार निम्नलिखित परियोजनाएँ हैं, जिनमें इक्विटी उनके सामने दर्शाई गई हैः -

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	डीपीआर के अनुसार इक्विटी
1	झांसी सौर पार्क	600 मेगावाट	20.00 करोड़ रुपये
2	ललितपुर सौर पार्क	600 मेगावाट	20.00 करोड़ रुपये
3	चित्रकूट सौर पार्क	800 मेगावाट	16.50 करोड़ रुपये
		2000 मेगावाट	

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, टुस्को लिमिटेड की अधिकृत इक्विटी पूंजी 50 करोड़ रुपये है और 3 सौर विद्युत पार्कों की अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, कुल अधिकृत शेयर पूंजी 56.5 करोड़ रुपये है। टुस्को द्वारा तैयार की गई 03 फ्लोटिंग सौर विद्युत परियोजनाओं, अर्थात् माता टीला बांध एवं रिजरवायर, ललितपुर - 400 मेगावाट, जामिनी बांध एवं रिजरवायर, ललितपुर - 37 मेगावाट और अर्जुन सागर, महोबा - 27 मेगावाट, की डीपीआर टीएचडीसी द्वारा इन 03 फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहमति प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन हैं।

मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) और उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के बीच जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में 1200 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) की स्थापना के लिए दिनांक 17.01.2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। तदोपरांत, उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के विकास के लिए दिनांक 25.07.2024 को टीएचडीसीआईएल को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था। बाद में, दिनांक 27.06.2024 को टीएचडीसी ने यह परियोजना टुस्को लिमिटेड को आगे के विकास कार्यकलापों के लिए सौंप दी। 1200 मेगावाट पीएसपी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और लागत अनुमान का 16.98 करोड़ रुपये राशि (जीएसटी सहित) का प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, टुस्को लिमिटेड को भविष्य में और भी परियोजनाएं मिलने की संभावनाएं हैं, और अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त इक्विटी की आवश्यकता होगी। इसके आलोक में, यह अनुरोध किया जाता है कि टुस्को लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये की जाए। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि को प्रभावी बनाने के लिए, लागू दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 19.03.2025 को हुई अपनी 21वीं बोर्ड बैठक में, सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन, अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

उपर्युक्त के आलोक में, शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करें:

"संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (तत्संबंधी किसी संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 61 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 रुपये प्रति शेयर के 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित वर्तमान 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति शेयर के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित 100,00,00,000 रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) करने के लिए एतदद्वारा कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है, जो कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के अनुसार कंपनी के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से समान होंगे।

यह भी संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड **V** में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके परिवर्तित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:–
"V. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 100,00,00,000 रुपये है, जो 1000 रुपये प्रति शेयर के 10,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

यह भी संकल्प लिया जाना है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने सहित, ऐसे समस्त कार्यों, विलेखों, मामलों और कुछ भी कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प लिया जाना है कि सी ई ओ या सी एफ ओ को इस संकल्प के द्वारा एम सी ए/आर ओ सी के लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उक्त विशेष संकल्प के पारित होने में वित्तीय अथवा अन्य कोई सरोकार अथवा हित नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या एवं विषय

मद संख्या 5: 600 मेगावाट के ललितपुर और 800 मेगावाट के चित्रकूट सौर पार्क को कार्यान्वित करने के लिए ईपीसी मोड के अंतर्गत सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) अथवा इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी और टुस्को लिमिटेड के बीच निष्पादित होने वाले संबद्ध पक्षकार लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने दिनांक 9 अक्टूबर 2024, 18 अक्टूबर 2024, 11 दिसंबर, 2024 और 16 दिसंबर, 2024 के पत्रों के माध्यम से उपर्युक्त सौर परियोजनाओं का कार्यान्वयन एसपीडी के रूप में एनजीईएल अथवा इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के साथ निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की है।

तदनुसार, एनजीईएल अथवा उसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी द्वारा ईपीसी मोड में एसपीडी के रूप में 600 मेगावाट की ललितपुर और 800 मेगावाट की चित्रकूट सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को टुस्को लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2024 को हुई अपनी 19वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार, प्रस्तावित लेनदेन धारा 188(1) के खंड (घ) के अंतर्गत आता है, जो सेवाओं के लाभ प्राप्त करने अथवा सेवाएं लेने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित लेनदेन राशि टुस्को लिमिटेड के वार्षिक टर्नओवर के दस प्रतिशत अथवा उससे अधिक की निर्धारित सीमा से अधिक है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि 600 मेगावाट की ललितपुर और 800 मेगावाट की चित्रकूट सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित लेन-देन से संबंधित पक्षकारों, अर्थात् एनजीईएल अथवा उसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी और टुस्को लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) के बीच है और यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित लेन-देन एमएनआरई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और एनजीईएल अथवा उसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी एमएनआरई के दिशानिर्देशों (मोड-8) के तहत एसपीडी के रूप में कार्य कर सकती है। इस संबंध में स्पष्टीकरण एमएनआरई से प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सौर पार्कों का लाभ अर्जन कार्यकलापों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, और इक्विटी पर अधिकतम 16: प्रतिफल की अनुमति है। यह लेन-देन निकटतम आधार पर है। इसके साथ ही, चूंकि यह प्रस्ताव सौर विद्युत पार्क के विकास से संबंधित है, अतः यह सामान्य व्यवसाय क्रम में आता है।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अथवा उसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी और टुस्को लिमिटेड के बीच निष्पादित होने वाले संबद्ध पक्षकार लेन-देन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

संबद्ध पक्षकार का नाम और सूचीबद्ध कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अथवा इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी संबंधः उसी धारित कंपनी की सहायक कंपनी
प्रस्तावित लेनदेन की अवधि	25 वर्ष
लेनदेन मूल्य अथवा प्रभार	एसपीडी (एनजीईएल/एनआरईएल) द्वारा एसपीपीडी (टुस्को लिमिटेड) को भुगतान किए गए प्रभारों का सार पैरा 2.2 और 2.3 (नीचे) में है।
लेनदेन की प्रकृति	सौर पार्क के भीतर सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एसपीडी को आधारभूत नागरिक अवसंरचना सुविधाओं और आंतरिक विद्युत अवसंरचना सुविधाओं सहित सौर पार्क (उपयोग का अधिकार आधार पर भूमि) प्रदान करना।
इस बात का संक्षिप्त स्पष्टीकरण कि आरपीटी टुस्को लिमिटेड के हित में क्यों है	इन सौर पार्कों में सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मुख्यतः दो तरीके अर्थात् ईपीसी मोड और टीबीसीबी मोड हैं। चूँकि इन सौर पार्कों के लिए विद्युत खरीदार की अभी पहचान नहीं की गई है और एमएनआरई द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है, अतः एसपीडी के रूप में एनजीईएल (हरित ऊर्जा में संसाधन सीपीएसयू) समय पर पीपीए की व्यवस्था करने के लिए अपनी स्थिति का लाभ ले सकता है और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सौर परियोजनाओं को सफलतापूर्वक आरंभ कर सकता है।

एसपीडी से वसूले जाने वाले सौर पार्क प्रभार

ललितपुर और चित्रकूट सौर पार्कों, दोनों के लिए वित्तीय मॉडल और सौर पार्क प्रभार एसपीडी से लिए जाएंगे, जैसा कि टुस्को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो इस प्रकार से हैः

ललितपुर सौर पार्क के लिए एसपीडी (एनजीईएल/एनआरईएल) द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभारों का संक्षिप्त सार

क्रम सं	प्रभारों का विवरण	धनराशि	भुगतान का समय	600 मेगावाट के लिए कुल धनराशि
1.0	एसपीपीडी के साथ करारों पर हस्ताक्षर के समय अथवा उससे पूर्व एकबारगी प्रभारः	वित्तीय वर्ष 2030-31 तक अग्रिम सौर पार्क विकास प्रभार, स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभार, भूमि पट्टा किराये के बदले अग्रिम भूमि-पट्टा किराया प्रभार। -26.365 लाख रुपए/मेगावाट + जीएसटी	अनुबंध एवं करारों (आईएसए और एलआरयूए) पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अथवा हस्ताक्षर करते समय	158.19 करोड़ रुपये+जीएसटी
2.0	वार्षिक पार्क प्रभार	3.72 लाख रुपये/मेगावाट/वर्ष+कर के साथ 5% वार्षिक वृद्धि	भुगतान की शुरूआत 01 जनवरी, 2026 से होगी।	22.32 करोड़ रुपये+जीएसटी के साथ 5% वार्षिक वृद्धि।
3.0	वित्तीय वर्ष 2031-32 से वार्षिक भूमि पट्टा किराया (किसानों को दिया गया)	0.53 लाख रुपये/मेगावाट/ वर्ष लागू कर, शुल्क, उपकर आदि के साथ उपयोग का अधिकार भूमि करार के अनुसार वृद्धि	वित्तीय वर्ष 2031-32 की शुरूआत से उपयोग का अधिकार भूमि करार के प्रावधानों के अनुसार अवधि तक	3.20 करोड़ रुपये+जीएसटी के साथ एलआरयूए गणना शीट के अनुसार वृद्धि।
4.0	सुविधा और अन्य प्रभार	एमएनआरई मोड-8 दिशानिर्देश, दिनांक 15 जून 2020 और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 777/87-अति030सो0वि0/2020 दिनांक 23 जून, 2020 के तहत एमएनआरई/जीओयूपी/जीओआई के दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुसार		उत्तर प्रदेश सरकार/ एसपीपीडी/यूपीएनईडीए अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी एजेंसी को

चित्रकूट सौर पार्क के लिए एसपीडी (एनजीईएल/एनआरईएल) द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभारों का संक्षिप्त सार

क्रम सं.	प्रभारों का विवरण	धनराशि	भुगतान का समय	800 मेगावाट के लिए कुल धनराशि
1.0	एसपीपीडी के साथ करारों पर हस्ताक्षर के समय अथवा उससे पूर्व एकबारगी प्रभारः	वित्तीय वर्ष 2030-31 तक अग्रिम सौर पार्क विकास प्रभार, स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभार, भूमि पट्टा किराया के बदले अग्रिम भूमि-पट्टा किराया प्रभार - 26.135 लाख रुपये/मेगावाट +जीएसटी	अनुबंध और करारों (आईएसए और एलआरयूए) पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अथवा हस्ताक्षर करते समय	209.08 करोड़ रुपये+जीएसटी
2.0	वार्षिक पार्क प्रभार	2.95 लाख रुपये/मेगावाट/ वर्ष + कर के साथ 5% वार्षिक वृद्धि	भुगतान की शुरूआत 01 जनवरी, 2026 से होगी।	23.60 करोड़ रुपये+जीएसटी के साथ 5% वार्षिक वृद्धि।
3.0	वित्तीय वर्ष 2032-33 से वार्षिक भूमि पट्टा किराया (किसानों को दिया गया)	0.58 लाख रुपये/मेगावाट/ वर्ष + लागू कर, शुल्क, उपकर आदि के साथ उपयोग का अधिकार भूमि करार के अनुसार वृद्धि	वित्तीय वर्ष 2032-33 की शुरूआत से उपयोग का अधिकार भूमि करार के प्रावधानों के अनुसार अवधि तक	4.63 करोड़ रुपये+जीएसटी के साथ एलआरयूए गणना शीट के अनुसार वृद्धि।
4.0	सुविधा और अन्य प्रभार	एमएनआरई मोड-8 दिशानिर्देश, दिनांक 15 जून 2020 और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 777/87-अति0उ0स्रो0वि0/2020 दिनांक 23 जून, 2020 के तहत एमएनआरई/ जीओयूपी/जीओआई के दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुसार		उत्तर प्रदेश सरकार/एसपीपीडी/यूपीएनईडीए अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी एजेंसी को

चित्रकूट सौर पार्क और ललितपुर सौर पार्क के लिए एसपीडी (एनजीईएल/एनआरईएल) द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभारों का उपर्युक्त सार अनुमानित आधार पर है। एसपीडी (एनजीईएल/एनआरईएल) द्वारा भुगतान किए जाने वाले अंतिम प्रभार दोनों पक्षकारों के बीच करार के निष्पादन के समय और टुस्को बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद निर्धारित किए जाएँगे।

उपर्युक्त के आलोक में, शेयरधारकों से यह अनुरोध है कि वे निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करें:

"**यह संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित तत्संबंधी निर्मित नियमों (तत्समय प्रवृत्त सांविधिक संशोधनों अथवा पुनर्अधिनियम सहित) के अनुसार, एमएनआरई दिशानिर्देशों (मोड-8) के अनुरूप 600 मेगावाट के ललितपुर सौर ऊर्जा पार्क और 800 मेगावाट के चित्रकूट सौर ऊर्जा पार्क के कार्यान्वयन के लिए ईपीसी मोड के तहत टुस्को लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल की सहायक कंपनी) और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) अथवा सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के बीच संबद्ध पक्षकार लेनदेन को निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है, उपर्युक्त अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन को निकटतम आधार पर और कंपनी के सामान्य व्यापार क्रम में किया जाएगा।

यह भी संकल्प लिया जाना है कि सीईओ, टुस्को लिमिटेड को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों को निष्पादित करने के लिए, आवश्यकता के अनुसार अधिकृत किया जाता है और साथ ही, उन्हें इस संबंध में होने वाले ऐसे अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने और बदलने की शक्ति भी प्रदान की जाती है।

यह भी संकल्प लिया जाना है कि अध्यक्ष, टुस्को को, हस्ताक्षरित किए जाने वाले करारों/दस्तावेजों में मामूली संशोधनों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उक्त विशेष संकल्प के पारित होने में वित्तीय अथवा अन्य कोई सरोकार अथवा हित नहीं है।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को, दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित आपकी कंपनी के कार्यकरण संबंधी 5वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

कंपनी

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्कों (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया है। यूएमआरईपीपी को टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश के एक सरकारी संगठन, यूपीएनईडीए के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एक एसपीवी के माध्यम से विकसित किया जाना है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए दिनांक 06.08.2020 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। तदोपरांत, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) और यूपीएनईडीए की संयुक्त उद्यम कंपनी, टुस्को लिमिटेड, जिसमें कि टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच क्रमशः 74% और 26% की इक्विटी भागीदारी है, को दिनांक 12 सितंबर, 2020 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में 50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ निगमित किया गया था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय चतुर्थ तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 (उत्तर प्रदेश) में अवस्थित है।

परियोजनाएँ

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में टीएचडीसीआईएल को एसपीवी (अर्थात, टुस्को लिमिटेड) के माध्यम से 2000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा सौर विद्युत पार्क (यूएमआरईपीपी) आवंटित किए गए हैं। इन यूएमआरईपीपी को एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना (यूएमआरईपीपी) योजना के मोड-8 के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इस योजना की -मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- राज्य सरकार द्वारा यूएमआरईपीपी स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान और अधिग्रहण करने में सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही सभी अपेक्षित सांविधिक मंजूरियाँ भी प्रदान की जाएंगी।
- यूएमआरईपीपी के लिए इस शर्त के साथ भूमि का आवंटन किया जाएगा कि दो वर्षों के भीतर (अत्यंत कठिन स्थितियों में एक वर्ष के विस्तार के प्रावधान के साथ) विकास कार्य पूरा हो जाना चाहिए ।
- राज्य सरकार को यूएमआरईपीपी में परियोजनाओं से उत्पादित की जा रही विद्युत पर 0.05 रुपये प्रति यूनिट की दर से सुविधा शुल्क का भुगतान समग्र पीपीए अवधि के लिए केवल यूएमआरईपीपी से राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली विद्युत की मात्रा के लिए किया जाएगा।
- एसपीपीडी (टुस्को लिमिटेड) को 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट या यूएमआरईपीपी के विकास की लागत का 30%, जो भी कम हो, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी।
- यदि एसपीपीडी अथवा उसके किसी भी व्यक्तिगत प्रमोटर के पास ट्रेडिंग का लाइसेंस है, तो वे पार्क में उत्पादित विद्युत के एक ट्रेडर के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिसके लिए वे 0.07 रुपये प्रति यूनिट का मार्जिन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

सौर पार्कों में परियोजना कार्यकलापों में ग्राम सभा/सरकारी भूमि और किसानों की निजी भूमि का अधिग्रहण करना शामिल है। सरकारी भूमि 1 रुपये प्रति एकड़/वर्ष की दर से 30 वर्षों के पट्टे पर ली जा रही है और किसानों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर 30 वर्षों के पट्टे के आधार पर भूमि ली जा रही है। तीनों सौर पार्कों के लिए परियोजना भूमि 4.5 एकड़/मेगावाट की दर से पट्टे के आधार पर ली जा रही है।

सौर पार्कों में अन्य कार्यकलापों में फेंसिंग, गेट, पार्क के अंदर सड़कों का निर्माण, जल निकासी योजना, विभिन्न स्थानों पर जल आपूर्ति की व्यवस्था, प्रशासनिक भवन, सड़क पर आंतरिक प्रकाश व्यवस्था और निकटतम राजमागा/सड़कों से पार्क तक पहुँच मार्ग का निर्माण करना शामिल है। उपर्युक्त के अलावा, सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता (एसपीपीडी) को पूलिंग सब-स्टेशनों और आंतरिक विद्युत पारेषण लाइनों के विकास सहित समीपवर्ती ग्रिड सब-स्टेशनों को जोड़ने वाली आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली विकसित करनी होगी। इन पार्क अवसंरचनाओं को एमएनआरई की समय-सीमा के अनुसार मार्च, 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा तीनों सौर पार्कों का शिलान्यास

600 मेगावाट की झांसी सौर विद्युत परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 19.11.2021 को झांसी में किया गया।

800 मेगावाट चित्रकूट सौर ऊर्जा पार्क परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 18.12.2023 को वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 04.03.2024 को आदिलाबाद, तेलंगाना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टुस्को लिमिटेड की 600 मेगावाट की विशाल ललितपुर सौर विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया।

पट्टे पर दी गई भूमि का 10 वर्षों के अग्रिम पट्टा किराये का भुगतान

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयोजन के लिए, उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में टुस्को लिमिटेड की 2000 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए किसानों/भू-स्वामियों को उनके द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के बदले आरंभिक 10 वर्षों का अग्रिम पट्टा किराया एकमुश्त राशि के रूप में भुगतान किया जा रहा है।

600 मेगावाट झांसी सौर विद्युत पार्क (जेएसपीपी) की स्थिति

झांसी सौर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहणः झांसी में 600 मेगावाट क्षमता का यूएमआरईपीपी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की गरौठा तहसील में स्थापित किया जा रहा है। डीपीआर के अनुसार, झांसी सौर विद्युत पार्क के लिए 30 वर्ष के पट्टा आधार पर 2700 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, जो मई, 2023 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2023 के अनुरूप है।

झांसी सौर विद्युत पार्क, जो कि 30 वर्षों के पट्टे पर है, के लिए अब तक कुल 2700 एकड़ (100:) भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, और इसमें (2431.83) एकड़ निजी भूमि और 263.77 एकड़ सरकारी/ग्राम सभा की भूमि शामिल है। जिला प्रशासन, झांसी ने प्रति एकड़ प्रति वर्ष 20,000 रुपये का पट्टा किराया तय किया है, जिसमें प्रति 3 वर्ष बाद 5: वृद्धि करने का प्रावधान है। दिनांक 30.06.2021 को पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर भी शुरू हो गए हैं।

परियोजना लागतः

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.06.2022 को झाँसी सौर पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई थी। झाँसी सौर पार्क की संशोधित और अनुकूलित लागत 331.71 करोड़ रुपये है।

वित्तपोषण के लिए स्रोतः झाँसी सौर पार्क का वित्तपोषण निम्नलिखित स्रोतों से किए जाने का प्रस्ताव हैः

क्रम सं.	स्रोत	धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	इक्विटी	20.00
2	केंद्रीय वित्तीय सहायता	99.51
3	अग्रिम प्रभार	180.00
4	ऋण वित्तपोषण	32.19

विद्युत निकासी - आंतरिकः 600 मेगावाट के झांसी सौर विद्युत पार्क के लिए आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 21.06.2023 को टुस्को लिमिटेड और पीजीसीआईएल (पावरग्रिड) के बीच समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए। 2 पूलिंग सब-स्टेशन (पीएसएस) के लिए कुल 12 एकड़ भूमि प्रस्तावित है। पीजीसीआईएल ने पैकेज-1 (सब-स्टेशन और पारेषण लाइन) के लिए मैसर्स ब्लू स्टार को और पैकेज-2 (ट्रांसफार्मर) के लिए मैसर्स तोशिबा को कार्य सौंपा है। पीएसएस-1 स्थान परः सभी 13 टावरों का फाउंडेशन कार्य पूरा हो चुका हैय 2 आईसीटी का फाउंडेशन कार्य पूरा हो चुका है, और 2 ट्रांसफार्मर परियोजना स्थल पर पहुँच चुके हैं। पीएसएस-2 स्थान परः 13 (18 में से) टावरों का फाउंडेशन कार्य पूरा हो चुका हैय 3 आईसीटी का फाउंडेशन कार्य पूरा हो चुका हैय आंतरिक सड़क के लिए कल्वर्ट कास्टिंग का कार्य पूरा हो गया है।

600 मेगावाट झांसी सौर पार्कः आंतरिक विद्युत निकासी का कार्य प्रगति पर

विद्युत निकासी - बाह्यः टुस्को लिमिटेड और यूपीपीटीसीएल के बीच दिनांक 20.06.2023 को, जलालपुरा गाँव, जिला झाँसी में 220/400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) के निर्माण के लिए 75 एकड़ भूमि सौंपने हेतु भू-उपयोग समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए। यूपीपीटीसीएल द्वारा जीएसएस का निर्माण करने का कार्य मैसर्स केपीटीएल (कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड), नोएडा को प्रदान किया गया है। सिविल और विद्युत कार्य प्रगति पर हैं और इनके मार्च, 2026 तक पूरा होने की संभावना है। झाँसी सौर विद्युत परियोजना से विद्युत को, दो 33/220 केवी पूलिंग सब-स्टेशनों के जरिए और फिर 220/400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के जरिए निकासी कर मुख्य ग्रिड तक भेजा जाएगा।

600 मेगावाट झांसी सौर पार्कः बाह्य विद्युत निकासी का कार्य प्रगति पर

परियोजना में फेंसिंग का कार्यः पहले, झाँसी सौर पार्क के लिए 45 किलोमीटर फेंसिंग का कार्य मैसर्स यूपीआरएनएन और मैसर्स ए.एस. कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स द्वारा पूरा किया गया था। शेष सिविल अवंसरचना का कार्य दिनांक 06.01.2025 को खुली निविदा के माध्यम से मैसर्स सुरेश चंद गुप्ता को प्रदान किया गया। लगभग 70 किलोमीटर फेंसिंग का शेष कार्य पूरा हो चुका है, प्रशासनिक भवन का फाउंडशन कार्य और अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

झांसी सौर पार्क की बाउंड्री फेंसिंग

सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) एवं विद्युत खरीदः टुस्को ने अगस्त, 2024 में सौर पार्क शुल्कों के आधार पर बोली मानदंड के रूप में एसपीडी के चयन हेतु निविदा आमंत्रित की और जनवरी, 2025 में मैसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को एसपीडी के रूप में नियुक्त किया। एसपीडी के साथ करारों पर हस्ताक्षर करने के कार्य प्रगति पर हैं और विद्युत क्रय करार (पीपीए) की व्यवस्था एसपीडी द्वारा की जानी है।

केंद्रीय वित्तीय सहायताः विभिन्न लक्ष्यों (50% भूमि अधिग्रहण, वित्तीय समापन और पूलिंग स्टेशनों का कार्य प्रदान करना) को पूरा करने के लिए एमएनआरई से अब तक कुल 72 करोड़ रुपये की सीएफए प्राप्त हो चुकी है, जबकि लागू कुल सीएफए 99.51 करोड़ रुपये है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, एमएनआरई द्वारा डीपीआर तैयार करने के संबंध में 25 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

वित्तपोषण की स्थितिः अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, कंपनी ने झाँसी एसपीपी के लिए 45.00 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी में से 20 करोड़ रुपये की इक्विटी आवंटित की है और अब तक 72 करोड़ रुपये की सीएफए प्राप्त हुई है। कंपनी ने झाँसी परियोजना के लिए आरईसी लिमिटेड से 140.47 करोड़ रुपये की ऋण निधि भी प्राप्त की है, जिसमें से अब तक 59 करोड़ रुपये आहरित किए जा चुके हैं। दिनांक 31.01.2024 तक, 63.84 लाख रुपये की ब्याज राशि का भुगतान किया जा चुका है और तदोपरांत, आरईसीएल से परियोजना की सीओडी तक ब्याज के पूंजीकरण के लिए अनुरोध किया गया है तथा दिनांक 31.03.2025 तक 4.908 करोड़ रुपये लेखाबहियों पूंजीकृत किए गए हैं।

व्ययः

झाँसी परियोजना पर दिनांक 31.05.2025 तक लगभग 141.97 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

600 मेगावाट ललितपुर सौर विद्युत पार्क (एलएसपीपी) की स्थिति

ललितपुर सौर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहणः

ललितपुर में 600 मेगावाट क्षमता का यूएमआरईपीपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की तालबेहट तहसील में स्थापित किया जा रहा है। डीपीआर के अनुसार, ललितपुर सौर विद्युत पार्क के लिए 30 वर्ष के पट्टा आधार पर अधिग्रहण के लिए 2700 एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया है, जोकि मई, 2023 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2023 के अनुरूप है।

अब तक, ललितपुर सौर विद्युत पार्क के लिए कुल 2379.71 एकड़ (88%) भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसमें पट्टे पर सरकारी भूमि 1317.80 एकड़ (2700 एकड़ का 48.80%) और पट्टे पर अधिग्रहित निजी भूमि 1061.91 एकड़ है। जिला प्रशासन, ललितपुर ने प्रति एकड़ प्रति वर्ष 20,000 रुपये का पट्टा किराया निर्धारित किया है, जिसमें प्रति तीन वर्ष बाद 5% वृद्धि करने का प्रावधान है। दिनांक 29.07.2021 को पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर भी शुरू हो गए हैं।

सौर पार्क की लागतः

ललितपुर की डीपीआर को भी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.12.2023 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। सौर पार्क की संशोधित और अनुकूलित लागत 347.79 करोड़ रुपये है।

वित्तपोषण के स्रोतः

परियोजना का वित्तपोषण निम्नलिखित स्रोतों से किए जाने का प्रस्ताव हैः

क्रम सं.	स्रोत	धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	इक्विटी	20.00
2	केंद्रीय वित्तीय सहायता	104.34
3	अग्रिम प्रभार	180.00
4	ऋण वित्तपोषण	43.45

पीएमसी की नियुक्तिः

600 मेगावाट ललितपुर सौर पार्क के लिए पीएमसी सेवाएँ प्रदान करने हेतु मैसर्स जीईआरएमआई को अनुबंधित किया गया है।

विद्युत निकासी – बाह्यः

मैसर्स यूपीपीटीसीएल द्वारा ग्राम खांडी, जिला ललितपुर में 220/400/765 केवी के ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) के निर्माण हेतु 81.89 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के लिए टुस्को लिमिटेड और यूपीपीटीसीएल के बीच दिनांक 17.07.2023 को भू-उपयोग समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूपीपीटीसीएल द्वारा जीएसएस के निर्माण के लिए कार्य मैसर्स केपीटीएल (कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड) को प्रदान किए गए हैं। ये कार्य प्रगति पर हैं और मई, 2026 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

विद्युत निकासी – आंतरिकः

सौर पार्क से 220 केवी पारेषण लाइनों के जरिए जीएसएस तक विद्युत निकासी प्रदान करने के लिए पार्क में दो 33/220 केवी पूलिंग सब-स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस कार्य को दो पैकेजों में किया जा रहा है। पारेषण लाइनों सहित पूलिंग सबस्टेशनों का कार्य (पैकेज-1) दिनांक 25.03.2025 को खुली निविदा के माध्यम से आबंटित किया गया है। ट्रांसफार्मर (पैकेज-2) का कार्य दिनांक 20.05.2025 को मैसर्स अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्रदान किया गया है। ये कार्य प्रगति पर हैं और मई, 2026 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

परियोजना में सिविल अवसंरचना कार्यः

पहले, मैसर्स बुंदेला एसोसिएट्स द्वारा 25 किलोमीटर फेंसिंग का कार्य पूरा कर लिया गया था। सौर पार्कों का शेष सिविल अवसंरचना कार्य मैसर्स मेकॉन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। फेंसिंग का कार्य, प्रशासनिक भवन और आंतरिक सड़कें एवं जल निकासी कार्य प्रगति पर हैं।

ललितपुर सौर पार्क में सीईओ टुस्को लिमिटेड द्वारा चल रहे सिविल कार्यों की प्रगति की समीक्षा

सौर विद्युत विकासकर्ता (एसपीडी) एवं विद्युत क्रय करारः

ललितपुर सौर विद्युत परियोजना को एनटीपीसी-आरईएल (एनजीईएल की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) द्वारा एसपीडी के रूप में कार्यान्वित किया जाना है। विद्युत क्रय करार की व्यवस्था सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के अधीन है। एनटीपीसी आरईएल ने यूपीपीसीएल द्वारा आयोजित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में 1000 मेगावाट क्षमता प्राप्त की है और यूपीपीसीएल के साथ विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी-आरईएल द्वारा 3 जनवरी, 2025 को ललितपुर सौर परियोजना के लिए बैलेंस ऑफ सिस्टम (बीओएस) हेतु निविदा जारी कर दी गई है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 10.06.2025 थी। निविदा खोली जा चुकी है और मूल्यांकन किया जा रहा है।

वित्तपोषण की स्थितिः

अनुमोदित की गई डीपीआर के अनुसार, कंपनी ने 45.00 करोड़ रुपये की कुल चुकता पूंजी में से ललितपुर एसपीपी के लिए 20 करोड़ रुपये की इक्विटी आबंटित की है। ललितपुर परियोजना के संबंध में दिनांक 10.01.2024 को 24 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्राप्त हो गई है और दूसरे व तीसरे लक्ष्यों के लिए सीएफए (38.61 करोड़ रुपये) जारी करने के लिए अनुरोध क्रमशः दिनांक 08.04.2025 और 09.04.2025 को एमएनआरई को प्रस्तुत किया गया है। एसपीपीडी के वित्तपोषण के लिए 43.45 करोड़ रुपये के ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था की जा रही है।

व्ययः

दिनांक 31.05.2025 तक ललितपुर परियोजना के संबंध में लगभग 36.18 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

चित्रकूट सौर विद्युत पार्क (सीएसपीपी) की स्थिति

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार से सैद्धांतिक अनुमोदनः चित्रकूट सौर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहणः

उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट की तहसील मऊ में चित्रकूट में 800 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी की स्थापना की जा रही है। डीपीआर के अनुसार, चित्रकूट सौर विद्युत पार्क के लिए 30 वर्ष के पट्टा आधार पर अधिग्रहण हेतु 3600 एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया है, जो मई, 2023 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2023 के अनुरूप है। अब तक, चित्रकूट सौर विद्युत पार्क के लिए, कुल 3288 एकड़ भूमि (3600 एकड़ के संदर्भ में 91.33%) अधिग्रहित की जा चुकी है। पट्टा आधार पर सरकारी भूमि 1249.50 एकड़ और पट्टा आधार पर अधिग्रहित की गई निजी भूमि 2038.45 एकड़ है। जिला प्रशासन, चित्रकूट द्वारा प्रति एकड़ प्रति वर्ष 17,000 रुपये पट्टा किराया निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 5% की वृद्धि किए जाने का प्रावधान किया गया है। दिनांक 25.01.2022 को पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर शुरू हो गए हैं।

सौर पार्क की लागतः

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.12.2024 को चित्रकूट की डीपीआर भी अनुमोदित की जा चुकी है। अनुमोदित की गई डीपीआर के अनुसार, सौर पार्क की लागत 485.26 करोड़ रुपये

वित्तपोषण के स्रोतः

चित्रकूट सौर पार्क के लि., डीपीआर में उल्लिखित प्रस्तावित पूंजीत व्यय के निमित्त निम्नलिखित स्रोतों से वित्तपोषण किया, जाने का प्रस्ताव किया हैः

क्रम सं.	स्रोत	धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	इक्विटी	16.50
2	केंद्रीय वित्तीय सहायता	145.58
3	अग्रिम प्रभार	180.00
4	ऋण वित्तपोषण	143.18

पीएमसी की नियुक्तिः

800 मेगावाट के चित्रकूट सौर पार्क के लिए पीएमसी सेवाएँ प्रदान करने हेतु मैसर्स जीईआरएमआई को अनुबंधित किया गया है।

विद्युत निकासी – बाह्यः

यूपीपीटीसीएल द्वारा ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) का निर्माण किए जाने के लिए 49.50 एकड़ भूमि दिनांक 03.05.2024 को यूपीपीटीसीएल को सौंप दी गई है। यूपीपीटीसीएल द्वारा जीईसी-II योजना के अंतर्गत जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। जीएसएस के निर्माण के लिए यूपीपीटीसीएल द्वारा निविदा जारी कर दी गई है और यूपीपीटीसीएल द्वारा अभी कार्य का आवंटन नहीं किया गया है।

विद्युत निकासी – आंतरिकः

सौर पार्क से 220 केवी पारेषण लाइनों के जरिए जीएसएस तक विद्युत निकासी हेतु पार्क में 33/220 केवी क्षमता के दो पूलिंग सब-स्टेशनों का प्रस्ताव किया गया है। 220 केवी के एआईएस सब-स्टेशन पैकेज (कल के बोर्ड संकल्प के अनुसार) के कार्य मैसर्स सेफ्टी कंट्रोल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 98,56,53,778.00 रुपये की लागत पर प्रदान किए गए हैं, जिन्हें 12 माह के समय में पूरा किया जाना है।

इसके अलावा, 800 मेगावाट क्षमता की चित्रकूट सौर परियोजना पर पूलिंग सब-स्टेशनों (पीएसएस 1 और पीएसएस 2) के लिए 4 नं. x 125 एमवीए और 3 नं. x 100 एमवीए की रेटेड क्षमता के साथ 33/220 केवी विद्युत ट्रांसफार्मरों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्यात के कार्यों के परीक्षण, आपूर्ति, परिवहन, उतराई, बीमा एवं भंडारण सहित स्थल पर डिलीवरी, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य 70,38,04,249.00/- रुपये की लागत पर मैसर्स अटलमता इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्रदान किया गया है, जिसे तेरह (13) माह की कुल समयावधि में पूरा किया जाना है।

परियोजना में सिविल अवसंरचना कार्यः

मैसर्स मेकॉन द्वारा सौर पार्कों में सिविल अवसंरचना कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। फेंसिंग का कार्य, प्रशासनिक भवन और आंतरिक सड़कों एवं जल निकासी का कार्य प्रगति पर है।

सौर विद्युत विकासकर्ता (एसपीडी) एवं विद्युत क्रय करारः

चित्रकूट सौर विद्युत परियोजना को एनटीपीसी-आरईएल (एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) द्वारा एसपीडी के रूप में निष्पादित किया जाना है। विद्युत क्रय करार की व्यवस्था सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के अधीन है। एनटीपीसी आरईएल ने यूपीपीसीएल द्वारा आयोजित की गई टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में 1000 मेगावाट क्षमता प्राप्त की है और यूपीपीसीएल के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, चित्रकूट सौर परियोजना के बैलेंस ऑफ सिस्टम (बीओएस) के लिए निविदा एनटीपीसी-आरईएल द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2025 को जारी कर दी गई है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 10.06.2025 थी। निविदा खोली जा चुकी है और मूल्यांकन का कार्य चल रहा है।

वित्तपोषण की स्थितिः –

अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, कंपनी ने 45.00 करोड़ रुपये की कुल चुकता पूंजी में से चित्रकूट एसपीपी को 16.50 करोड़ रुपये की इक्विटी आवंटित की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.03. 2025 को पहले दो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 58.24 करोड़ रुपये की सीएफए जारी कर दी गई है। चित्रकूट सौर पार्क के विकास हेतु दिनांक 15.05.2025 को मैसर्स आरईसी लिमिटेड के साथ सावधि ऋण (143. 18 करोड़ रुपये) के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

व्ययः दिनांक 31.05.2025 तक चित्रकूट परियोजना के संबंध में लगभग 29.81 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

उत्तर प्रदेश में पम्प भंडारण संयंत्र (पीएसपी) की स्थितिः

उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज तहसील के बशुहारी/वडेला गाँव में 1200 मेगावाट की स्थापित क्षमता का ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पीएसपी स्थापित करने के लिए दिनांक 17.01.2024 को मैसर्स टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त पीएसपी के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को दिनांक 25.07.2024 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है।

बाद में, परियोजना का कार्यान्वयन आगे के विकास कार्यकलापों को शुरू करने के लिए टुस्को लिमिटेड को प्रदान कर दिया गया। टीएचडीसीआईएल ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड (टीसीई) को दिनांक 13.05.2024 को पीएसपी, सोनभद्र की पीएफआर तैयार करने का कार्य प्रदान किया। परियोजना की पीएफआर तैयार कर ली गई है। वर्तमान में, पीएसपी परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं।

वित्तीय विशेषताएँ

दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50.00 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 45.00 करोड़ रुपये है। टीएचडीसी और यूपीएनईडीए के पास क्रमशः 74:26 के अनुपात में चुकता शेयर पूंजी है।

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति इस प्रकार हैः **(लाख रुपये में)**

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
टर्नओवर	–	–
कर-पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीटी)	(57.50)	(73.91)
घटाएँः वित्तीय प्रभार		
मूल्यह्रास/परिशोधन से पूर्व लाभ/हानि (पीबीडीटी)	(57.50)	(73.91)
घटाएँः मूल्यह्रास		
कराधीन से पूर्व निवल लाभ/हानि (पीबीटी)	(57.50)	(73.91)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	10.17	15.56
कराधान के पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	(47.33)	(58.35)
प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान	–	–
लाभांश कर –	–	
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	(47.33)	(58.35)

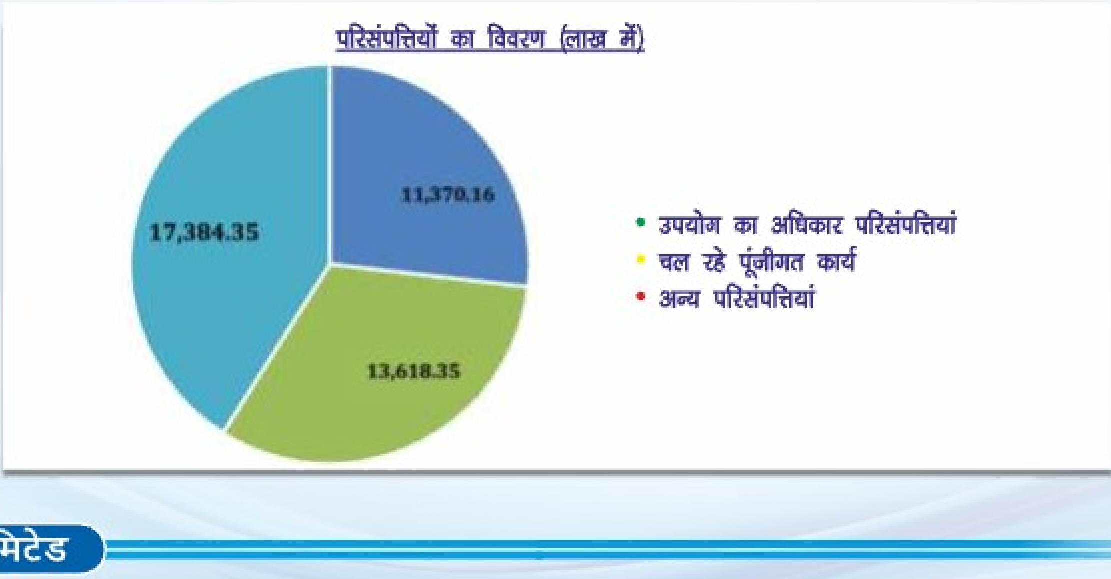

राजस्व मॉडल

परियोजनाओं की डीपीआर के अनुसार, कंपनी के लिए राजस्व एमएनआरई योजना के अनुरूप सौर विद्युत विकासकर्ताओं से वसूले जाने वाले वार्षिक प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों के संबंध में होगा।

८०० मेगावाट के चित्रकूट सौर विद्युत पार्क के विकास के लिए आरईसी लिमिटेड के साथ ऋण करार

टुस्को लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड ने दिनांक 15.05.2025 को टुस्को कार्यालय, लखनऊ में 143.18 करोड़ रुपये के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण करार निर्माणाधीन ८०० मेगावाट के चित्रकूट सौर विद्युत पार्क की पूंजीगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। इस करार पर टुस्को लिमिटेड की ओर से सीईओ, श्री मनोज सरदाना, आरईसी लिमिटेड की ओर से मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक श्री शंभू शंकर गुप्ता और पीएनबी (एस्क्रो अकाउंट) की ओर से वरिष्ठ प्रबंधक श्री आशीष बाजपेयी ने हस्ताक्षर किए थे।

मैसर्स आरईसी लिमिटेड के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर करते हुए

कर्मचारी भागीदारी, कल्याणकारी कार्यकलाप और सामुदायिक सेवाएँ

1. टुस्को लिमिटेड में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान

टुस्को लिमिटेड ने 16 मई से 31 मई, 2024 तक अपने सभी कार्यालयों, अर्थात् लखनऊ, झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट, में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान, आयोजित कार्यकलापों में शपथ समारोह, स्कूलों और कार्यालय परिसरों में 'व्यक्तिगत स्वच्छता' पर निबंध लेखन प्रतियोगिताएँ करना, कार्यालय परिसर और आसपास के स्थानों पर पोस्टरों और बैनरों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना, स्वच्छता अभियान चलाना और महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना शामिल थे।

2. विश्व पर्यावरण दिवस का समारोह

टुस्को लिमिटेड ने दिनांक 5 जून, 2024 को अपने सभी कार्यालयों, अर्थात् लखनऊ, झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह आयोजित किया ताकि धरती माता की सुरक्षा के लिए प्रभावी और साझा कार्रवाई हेतु संगठित और प्रेरित किया जा सके। इस वर्ष, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय "भूमि सुधार, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव" था, जिसका स्लोगन था "हमारी भूमि, हमारा भविष्य। हम भावी पीढ़ियों का संरक्षण कर रहे हैं।" इस वर्ष टुस्को लिमिटेड ने कार्यालय परिसर में पौधों का वितरण और रोपाई करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। श्री मनोज सरदाना, सीईओ, टुस्को लिमिटेड ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए सभी को प्रतिवर्ष कुछ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

3. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

टुस्को लिमिटेड ने 21 जून 2024 को अपने सभी कार्यालयों, अर्थात् लखनऊ, झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट, में "अपने और समाज के लिए योग" नामक विषय पर 10वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अत्यंत उत्साह और उमंग भरे इस कार्यक्रम में सभी परियोजनाओं और कार्यालयों के कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योग की भावना के साथ एकजुट हुए।

4. 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह

टुस्को लिमिटेड ने अपने सभी कार्यालयों, अर्थात् लखनऊ, झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट, में अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। इस कार्यक्रम में राष्ट्र के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता और एकता एवं देशभक्ति की अनवरत भावना को दर्शाया गया।

5. राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह

टुस्को लिमिटेड ने राष्ट्र को प्रेरित करती समर्पण और उपलब्धियों के महानायक मेजर ध्यानचंद और हमारे सभी खेल नायकों के सम्मान में 26 अगस्त से 31 अगस्त, 2024 तक राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह 2024 मनाया। टुस्को लिमिटेड के लखनऊ, झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट में सभी कर्मचारियों ने फिट इंडिया शपथ, कैरम, शतरंज, रस्सी कूद, लेमन बैलेंस रेस आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों में सक्रिय रुप से भाग लिया। विभिन्न परियोजना कार्यालयों में आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के चलते कर्मचारियों में सहभागिता और खेल की भावना का संचार हुआ।

6. राष्ट्रीय रक्तदान दिवस का आयोजन

टुस्को लिमिटेड ने अपनी सभी यूनिटों/परियोजना कार्यालयों, अर्थात् झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट के साथ-साथ लखनऊ स्थित अपने मुख्यालय में दिनांक 01.10.2024 को शपथ लेकर राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया। प्रत्येक स्थान पर टुस्को लिमिटेड के कर्मचारियों को क्रमशः लखनऊ कार्यालय के लिए श्री मनोज सरदाना (सीईओ, टुस्को लिमिटेड) और झाँसी यूनिट के लिए यूनिट प्रमुख श्री यूबी सिंह (सहायक महाप्रबंधक), चित्रकूट यूनिट के लिए श्री ए.पी. व्यास (सहायक महाप्रबंधक) और ललितपुर यूनिट के लिए श्री ए.के. दुग्गल (उप महाप्रबंधक) द्वारा शपथ दिलाई गई।

सभी ने अत्यावश्यकता के समय उदार रक्तदाता बनने की शपथ ली, क्योंकि इस काम से न केवल जीवन बचता है बल्कि रक्त की निरंतर और सुरक्षित आपूर्ति भी सुनिश्चित होती है। यह दिवस रक्तदान के लिए निरंतर आवश्यकता रहने का प्रभावकारी स्मरण कराता है, जिसमें स्वैच्छिक, गैर-पारिश्रमिक रक्तदान के महत्व पर बल दिया जाता है।

7. टुस्को लिमिटेड में फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन

फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य व्यवहारगत बदलाव लाना और एक अधिक शारीरिक सक्रिय जीवनशैली को अपनाना है। इस वर्ष का विषय "स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत" था। इस संबंध में, कॉर्पोरेट कल्याण विभाग, ऋषिकेश द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि भारत सरकार दिनांक 02.10.2024 से 31.10.2024 तक 'फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0' का आयोजन कर रही है। इसे देखते हुए, टुस्को लिमिटेड में फिटनेस के प्रति कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए अपनी सभी यूनिटों/परियोजना कार्यालयों, अर्थात् झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के साथ-साथ लखनऊ में स्थित अपने मुख्यालय में दिनांक 26.10.2024 को फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया।

8. **टुस्को लिमिटेड में विशेष अभियान 4.0 का आयोजन**

टुस्को लिमिटेड में कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों के बीच "स्वच्छता ही सेवा है" के संबंध में जागरूकता लाने के लिए एक माह तक विशेष अभियान-4.0 (2 अक्टूबर - 31 अक्टूबर, 2024 तक) चलाया गया। टुस्को लिमिटेड द्वारा "स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों में कमी लाना" अभियान के उद्देश्य के अनुसार, विशेष अभियान 4.0 के तत्वावधान में विभिन्न हितधारकों के बीच निम्नलिखित अभियान चलाए गए:

- स्वच्छता पर वार्ता सत्र - राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक, लखनऊ, दिनांकः 02.10.2024
- स्वच्छता पर निबंध प्रतियोगिता - राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक, लखनऊ, दिनांकः 03.10.2024
- जूट बैग और बायोडिग्रेडेबल कचरा बैग वितरण - स्थानीय विक्रेताओं द्वारा प्रमुख स्थानों पर, दिनांकः 09.10.2024 और 10.10.2024
- लखनऊ कार्यालय, टुस्को लिमिटेड में पुरानी फाइलों की पहचान और भंडारण प्रबंधन, दिनांकः 14.10.2024
- कार्यालय का सौंदर्यीकरण - इनडोर प्लांट वितरण, दिनांकः 17.10.2024 और 25.10.2024
- स्वच्छता अभियान - यूपीएनईडीए भवन के समीप, विभूति खंड, लखनऊ, दिनांकः 26.10.2024

9. **संविधान दिवस समारोहः**

टुस्को लिमिटेड ने दिनांक 26.11.2024 को अपनी सभी यूनिटों/परियोजना कार्यालयों, अर्थात् झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट, के साथ-साथ लखनऊ स्थित अपने मुख्यालय में शपथ लेकर संविधान दिवस मनाया। 'संविधान दिवस' के रूप में ज्ञात यह दिवस हमारे देश में हर वर्ष 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 के दिन भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ था।

10. **76वां गणतंत्र दिवस समारोहः**

टुस्को लिमिटेड ने अपनी सभी यूनिटों/परियोजना कार्यालयों, अर्थात् झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट, के साथ-साथ लखनऊ स्थित अपने मुख्यालय में 26 जनवरी, 2025 को भारतीय लोकतंत्र की भावना और हमारे राष्ट्र के निर्माण के मूल्यों का सम्मान करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह मनाया। हम गणतंत्र दिवस समारोह को मनाते हुए, उस शक्ति, एकता और लचीलेपन पर विचार करते हैं, जो हमारे देश को वास्तविक रूप में अद्भुत बनाते हैं।

11. **टुस्को लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए फिटनेस मैराथन 4.0:**

"एक कंपनी, एक फिटनेस मंत्र" के अंतर्गत दिनांक 01/03/2025 को लखनऊ, झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट में स्थित टुस्को लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए 10 किलोमीटर की मैराथन वॉक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व संबंधित स्थानों के इकाई प्रमुखों द्वारा किया गया था। टुस्को लिमिटेड की विभिन्न यूनिटों के सभी कर्मचारियों ने इस वॉक में भाग लिया और समय पर मैराथन पूरी की। मैराथन के माध्यम से, संगठन ने कार्य-जीवन संतुलन, शारीरिक गतिविधि और समग्र स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया।

12. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोहः

टुस्को लिमिटेड ने लखनऊ स्थित टुस्को लिमिटेड में दिनांक 7 मार्च, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह मनाया। टुस्को लिमिटेड में, हम उन असाधारण महिलाओं का सम्मान करते हुए गर्व करते हैं जो अपनी शक्ति, रचनात्मकता और नेतृत्व से हमें दिन प्रतिदिन प्रेरित करती हैं। हम समानता, सम्मान और अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण भावी निर्माण के लिए तत्पर रहते हैं। आइए, हम एक-दूसरे को उन्नत करते रहें-न केवल आज, बल्कि हर दिन।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013) के अंतर्गत प्रकटन

वर्ष 2022-23 के अंत की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन/जांचाधीन मामलों की संख्या	वर्ष 2024-25 के दौरान सूचित किए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2024-25 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2024-25 के अंत की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन/जांचाधीन मामलों की संख्या
0	0	0	0

पूँजी संरचना और लाभांश

शेयर पूँजी

कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी 50 करोड़ रुपये है। दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की चुकता शेयर पूँजी 45 करोड़ रुपये है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए को क्रमशः 74:26 के अनुपात में 5.00 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूँजी का आबंटन किया है।

शेयरधारिता पद्धति (31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	3,33,000	74
2.	उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	1,17,000	26
	कुल	**4,50,000**	**100**

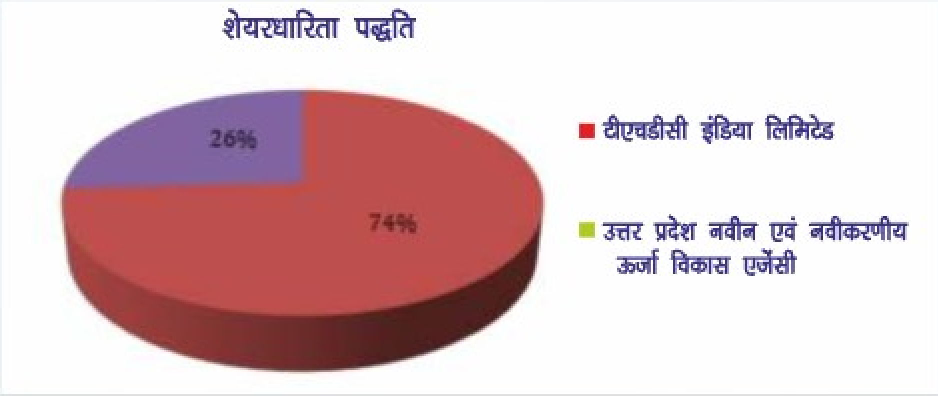

लाभांशः

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश भुगतान नहीं किया है क्योंकि कंपनी अभी प्रचालन में नहीं है।

आरक्षित एवं अधिशेष में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने 47.33 लाख रुपये की हानि उठाई है।

लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी, चूंकि एक सरकारी कंपनी है, अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 **के लिए मैसर्स जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स,** 04 - रवींद्र गार्डन, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ, 226024 को नियुक्त किया है।

बोर्ड ने दिनांक 18 मई, 2025 को हुई अपनी 22वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन कर दिया है। दिनांक 19 मई, 2025 को सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखे पर एक अनर्हक रिपोर्ट दी है। अतः, कंपनी के प्रबंधन के उत्तर "शून्य" हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखे की समीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत कंपनी के लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उन पर प्रबंधन का उत्तर संलग्न हैं।

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणों की एक प्रति इस रिपोर्ट में संलग्न है।

दिए गए ऋणों और गारंटियों, किए गए निवेशों, उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार, कंपनियों को वित्तपोषित करने अथवा अपने सामान्य कारोबार के दौरान अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करने के कारोबार में शामिल किसी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटियाँ अथवा प्रदान की गई प्रतिभूतियाँ कंपनी पर लागू नहीं होती हैं, अतः सूचना शून्य है।

विनियामकों, न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण, जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की वर्तमान स्थिति और प्रचालन को प्रभावित करने के संबंध में किसी भी विनियामक, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुपालन में, निदेशकगण एतद्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुव्यवस्थित रूप से लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जोकि उचित और विवेकसम्मत थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ व हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी थी।

घ) निदेशकों ने चालू व्यवसाय आधार पर वार्षिक लेखे को तैयार किया।

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और यह सुनिश्चित किया था कि ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे हैं।

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और यह सुनिश्चित किया था कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित की गई बोर्ड बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	बोर्ड बैठक	बोर्ड बैठक की तिथि
1.	15वीं बोर्ड बैठक	09 अप्रैल, 2024
2.	16वीं बोर्ड बैठक	09 मई, 2024
3.	17वीं बोर्ड बैठक	14 अगस्त, 2024
4.	18वीं बोर्ड बैठक	06 सितंबर, 2024
5.	19वीं बोर्ड बैठक	27 दिसंबर, 2024
6.	20वीं बोर्ड बैठक	03 जनवरी, 2025
7.	21वीं बोर्ड बैठक	19 मार्च, 2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निदेशकों द्वारा भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या, अन्य निदेशक/समिति सदस्यता की संख्या का विवरण।

क्रम सं.	निदेशक	आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या	धारित अन्य निदेशक पदों की संख्या (टुस्को लि. सहित)	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य/शेयरधारक
1.	श्री आर.के. विश्नोई, अध्यक्ष	7	7	4	4	-
2	श्री भूपेन्द्र गुप्ता, नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल	7	7	3	-	2
3.	श्री संदीप सिंघल, नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल	7	7	-	-	1
4	श्री अनुपम शुक्ला, नामित निदेशक, यूपीएनईडीए	7	7		-	1

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नियुक्त/पद छोड़ने वाले निदेशकों/केएमपी का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति/पद छोड़ना	नियुक्ति/पद छोड़ने की तिथि
निदेशक			
1.	श्री भूपेंद्र गुप्ता	नियुक्ति	09.04.2024

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार, निर्धारित श्रेणी अथवा श्रेणियों की कंपनियों से संबंधित प्रत्येक कंपनी में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) होने आवश्यक हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान टुस्को लिमिटेड में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होंगेः

क्रम सं.	केएमपी का नाम
1.	श्री मनोज सरदाना, सीईओ, टुस्को लिमिटेड*
2.	श्री मृदुल दुबे, सीएफओ, टुस्को लिमिटेड**
3.	श्री ए.पी. बाजपेयी, सीएफओ, टुस्को लिमिटेड***
4.	श्री हिमांशु बाजपेयी, सीएस, टुस्को लिमिटेड

* दिनांक 15.04.2023 से नियुक्त

** दिनांक 14.06.2024 को सीएफओ का पद छोड़ा

*** दिनांक 14.08.2024 को सीएफओ के रूप में नियुक्त

*** दिनांक 27.12.2024 को सीएफओ का पद छोड़ा

कर्मचारियों के संबंध में सूचना

संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार, कार्मिक संरचना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक का प्रकटन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और अध्याय XIII के संबंधित नियमों के प्रावधानों का पालन करने से छूट प्रदान की गई है। चूँकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अतः इस सूचना को निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुसार अपने किसी भी संबद्ध पक्षकार के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन किया है। संबद्ध पक्षकार लेन-देन का प्रकटन अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार संलग्न प्रपत्र एओसी-2 में किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

इस वर्ष के लिए सूचना शून्य है क्योंकि वर्तमान में परियोजना निर्माणाधीन है।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

कोई भी जोखिम प्रबंधन नीति लागू नहीं है। तथापि, कंपनी का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो जाने के बाद जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्वतंत्र निदेशक के संबंध में घोषणा

आपकी कंपनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, अतः कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.09.2017 की अधिसूचना और कंपनी अधिनियम के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

वार्षिक रिपोर्ट का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के अनुसार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का उद्धरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए लिंक नीचे दिया गया है :- वार्षिक रिपोर्ट के लिए वेब लिंकः https://tuscoltd-co-in/ AnnualReturn

सांविधिक प्रकटन

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च, 2025 और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों को कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बनाए रखना और अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित नहीं है।
3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किए हैं।
4. आपकी कंपनी ने संसूचन अवधि के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं। वर्ष के दौरान, इन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई भी रिपोर्ट करने योग्य महत्वपूर्ण कमी देखने में नहीं आई थी।

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मंत्रालयों, हमारे सम्मानित बैंकरों, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के जिलाधिकारियों, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। उनके निरंतर सहयोग ने हमारी पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हम किसानों के सक्रिय सहयोग और पट्टा विलेखों का समय पर निष्पादन करने में उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जोकि हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बोर्ड सभी हितधारकों, कारोबार भागीदारों और टुस्को परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए विश्वास, भरोसे और अटूट समर्थन के लिए ईमानदारी से सराहना करता है। हम इस अवसर पर टुस्को लिमिटेड के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्साह के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। उनके प्रयास हमारी निरंतर वृद्धि और प्रगति की रीढ़ बने हुए हैं। हम सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए व्यावहारिक सुझावों और रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए भी कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रकट करते हैं, जो हमें निरंतर सुधार के मार्ग पर अग्रसर रहने मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

अंत में, मैं बोर्ड के अपने सम्मानित सहयोगियों को उनके मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और आगामी समय में उनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की अपेक्षा करता हूं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
प्र.ह./-
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 23.09.2025

प्रपत्र संख्या एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी
(लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटन हेतु प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ निकटतम लेन-देन भी शामिल हैं।

1. ऐसे अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों का विवरण जो निकटतम लेन-देन आधार पर नहीं हैं	:	**शून्य**
(क) संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	:	लागू नहीं
(ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देनों की प्रकृति	:	लागू नहीं
(ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देनों की अवधि	:	लागू नहीं
(घ) अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की मुख्य शर्तें, मूल्य सहित यदि कोई हों	:	लागू नहीं
(ङ) ऐसे अनुबंधों, व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों को करने का औचित्य	:	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	:	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
(ज) धारा 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत यथापेक्षित सामान्य बैठक में विशेष संकल्प पारित होने की तिथि	:	लागू नहीं
2. निकटतम आधार पर महत्वपूर्ण अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों का विवरण-	:	**शून्य**
(क) संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	:	
(ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देनों की प्रकृति	:	
(ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देनों की अवधि	:	
(घ) अनुबंधों, व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की मुख्य शर्तें, मूल्य सहित, यदि कोई हो	:	
(ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई हो	:	
(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	:	

वित्तीय विवरण
2024-25

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

सीआईएन U40106UP2020GOI134504

विवरण	टिप्पणी सं		मार्च, 2025 के अनुसार रूपये लाख में	31मार्च, 2024 के अनुसार रूपये लाख में
परिसंपत्तियां				
1. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2		1,946.06	105.31
(ख) चल रहे पूंजीगत कार्य	3		13,618.35	8,605.35
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		0.91	1.74
(घ) उपयोग को अधिकार वाली परिसंपत्तियां	2		11,370.16	10,656.84
(ङ) सहायक कंपनी में निवेश			-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) ऋण		-		
(ii) अन्य	6	-	46.28	34.48
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	4क		90.71	80.53
(ज) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां निवल	4ख		20.26	8.29
(झ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां	4ग		6,553.60	3,080.34
2. वर्तमान परिसंपत्तियां				
(क) मालसूचियां			-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) व्यापार प्राप्य		-		
(ii) नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य	5	5.54		1.16
(iii) उपरोक्त (ii) को छोड़कर अन्य बैंक शेष राशि	5क	5,936.34		1,330.24
(iv) ऋण		-		
(v) अग्रिम	6	-		
(vi) अन्य		-	5,941.88	-
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	7		-	-
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	8		2,785.15	359.72
विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष			-	-
कुल			**42,373.36**	**24,264.00**
इक्विटी एवं देयताएं				
1. इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9		4,500.00	4,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	10		73.81	(211.86)
कुल इक्विटी			**4,573.81**	**3,788.14**
2. गैर-वर्तमान देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारियां	11क	6,454.64		2,941.38
(iक) पट्टा देयताएं	11क	12,034.00		
(ii) गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं		-	18,488.64	10,794.81
(ख) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	11ख		15,603.57	4,830.20
(ग) प्रावधान	11ग	-	0.49	0.13
3. वर्तमान देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारियां				
(iक) पट्टा देयताएं	12	1.005.47		
(ii) व्यापार देय				
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशियां	12	14.98		
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशियां	12	1,794.15		
(iii) अन्य	12	812.49	3,627.09	1,862.88
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	13		75.84	43.14
(ग) प्रावधान	14		3.92	3.32
(घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)			-	-
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष			-	-
कुल			**42,373.36**	**24,264.00**

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

सीआईएन U40106UP2020GOI134504

विवरण	टिप्पणी सं.		31 मार्च, 2025 के अनुसार रूपये लाख में	31 मार्च, 2024 के अनुसार रूपये लाख में
तथ्यात्मक लेखांकन नीतियाँ	1			
वित्तीय दस्तावेजों और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन	1			
लेखे से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	20			
टिप्पणी 1 से 20 लेखे का अभिन्न भाग हैं				

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

प्र.ह./-
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

प्र.ह./-
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैनः AGNPS1840H

प्र.ह./-
(सी.पी. रतूड़ी)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः ABSPB0191G

प्र.ह./-
(हिमांशु बाजपेई)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 53310

दिनांकः 18.05.2025
स्थानः ऋषिकेश/लखनऊ

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन006792सी
प्र.ह./-
(सीए जे. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 074602

दिनांकः 19.05.2025
स्थानः लखनऊ

लाभ और हानि का विवरण

दिनांक 01.04.2024 से प्रारंभ होकर 31-मार्च-2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2025 के अनुसार रूपये लाख में	31 मार्च, 2024 के अनुसार रूपये लाख में
आय			
निरंतर प्रचालनों से राजस्व		-	-
अन्य आय	16	52.39	52.66
कुल राजस्व		**52.39**	**52.66**
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	17	106.94	123.62
वित्त लागतें		-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन		-	-
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	19	2.95	2.95
कुल व्यय		**109.89**	**126.57**
कर पूर्व लाभ		**(57.50)**	**(73.91)**
कर व्यय			
वर्तमान कर			
आय कर		-	-
आस्थगित कर-(परिसंपत्ति)/ देयता	4	(10.17)	(15.56)
कर पश्चात लाभ		**(47.33)**	**(58.35)**
I. निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ		**(47.33)**	**(58.35)**
II. अन्य व्यापक आय			
(i) वे मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
(ii) अन्य व्यापक आय		-	-
कुल व्यापक आय (I+II)		**(47.33)**	**(58.35)**
निरंतर प्रचालनों से प्रति इक्विटी शेयर आय		**रूपये लाख में**	**रूपये लाख मे**
बेसिक		(11.81)	(15.44)
डाइल्युटेड		(11.54)	(15.44)
तथ्यात्मक लेखांकन नीतियाँ	1		
वित्तीय दस्तावेजों और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन	1		
लेखे से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	20		
टिप्पणी 1 से 20 लेखे का अभिन्न भाग हैं			

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

प्र.ह./-	प्र.ह./-	प्र.ह./-	प्र.ह./-
(आर.के. विश्नोई)	**(मनोज सरदाना)**	**(सी.पी. रतूड़ी)**	**(हिमांशु बाजपेई)**
अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
डीआईएन: 08534217	पैन: AGNPS1840H	पैन: ABSPB0191G	सदस्यता सं. 53310

दिनांक: 18.05.2025
स्थान: ऋषिकेश/लखनऊ

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन006792सी

प्र.ह./-
(सीए जे. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 074602

दिनांक: 19.05.2025
स्थान: लखनऊ

नकदी प्रवाह विवरण

दिनांक 01.04.2024 से प्रारंभ होकर 31-मार्च-2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ		(57.50)		(73.91)
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित कर पूर्व लाभ		(57.50)		(73.91)
निम्न के लिए समायोजनः-				
मूल्यह्रास	-		-	
मूल्यह्रास-सिंचाई संघटक	-		-	
प्रावधान	-		-	
वित्त लागत	-		-	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		-	
बैंक जमा राशियों पर ब्याज	(52.39)		(52.67)	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	-		-	
आपवादिक मदें	-	(52.39)	-	(52.67)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		(109.89)		(126.58)
निम्न के लिए समायोजनः-				
मालसूचियां	-		-	
व्यापार प्राप्य (बिल न किए गए राजस्व सहित)	-		-	
अन्य परिसंपत्तियां	(2830.30)		(61.01)	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान+गैर वर्तमान)	(11.98)		(4.21)	
न्यून ब्याज	-		-	
व्यापार देय और देयताएं	4,314.73		3,710.67	
प्रावधान (वर्तमान+गैर वर्तमान)	0.95		1.3	
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन	-	1,473.40	-	3,646.75
करों से पूर्व प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		1,363.51		3,520.17
कारपोरेट कर		-		-
प्रचालनों से निवल नकद राशि (क)		1,363.51		3,520.17
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
निम्न में परिवर्तनः-				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी	(6541.27)		(5040.76)	
चल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की प्राप्तियां	13.18		4.01	
पूंजीगत अग्रिम	(3080.19)		(2752.56)	
अनुदान	10,773.37		2380.20	
बैंक जमा राशियों पर ब्याज	52.39		52.66	
विलंबित भुगतान अधिभार	-		-	
नकद राशि और नकद राशि को समतुल्यों को छोड़कर अन्य बैंक शेष राशियां	(4606.10)		546.92	
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		(3388.62)		(4809.53)
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	833.00		130.00	
उधारियों का पुनर्भुगतान-गैर वर्तमान	-		-	
उधारियों की प्राप्तियां-गैर वर्तमान	3,513.26		2,941.38	
उधारियां-वर्तमान	-		-	
पट्टा देयता	(1278.62)		(849.31)	
ब्याज और वित्त प्रभार	(1038.14)		(931.96)	
लाभांश और लाभांश पर कर	-		0.00	

नकदी प्रवाह विवरण

दिनांक 01.04.2024 से प्रारंभ होकर 31-मार्च-2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	2,029.50	1,290.12
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)	4.38	0.75
ङ. आरंभिक नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य	1.16	0.41
च. अंतिम नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य (घ+ङ)	5.54	1.16

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

प्र.ह./-
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

प्र.ह./-
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैनः AGNPS1840H

प्र.ह./-
(सी.पी. रतूड़ी)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः ABSPB0191G

प्र.ह./-
(हिमांशु बाजपेई)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 53310

दिनांकः 18.05.2025
स्थानः ऋषिकेश/लखनऊ

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन006792सी
प्र.ह./-
(सीए जे. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 074602

दिनांकः 19.05.2025
स्थानः लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार
संसूचन अवधि की शुरुआत में शेष राशि		4,000.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		500.00
संसूचन अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**4,500.00**

ख. 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार
संसूचन अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,500.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		500.00
संसूचन अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**4,000.00**

ग. 31-मार्च-2025 को समाप्त अवधि के लिए अन्य इक्विटी

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर अनुप्रयोग लंबित आवंट राशि	आरक्षित एवं अधिशेष प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
आरंभिक शेष (I)		-	(211.86)	-	(211.86)
अवधि के लाभ			(47.33)		(47.33)
अन्य व्यापक आय			-	-	-
कुल व्यापक आय		-	**(259.19)**	-	**(259.19)**
लाभांश			-		-
लाभांश पर कर				-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण (II)			**(259.19)**		**(259.19)**
अंतिम शेष राशि (I+II+III+IV)		-	**(259.19)**	-	**(259.19)**

घ. 31-मार्च-2024 को समाप्त अवधि के लिए अन्य इक्विटी में इक्विटी परिवर्तन का विवरण

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर अनुप्रयोग लंबित आवंट राशि	आरक्षित एवं अधिशेष प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
आरंभिक शेष (I)		-	(153.51)	-	(153.51)
अवधि के लाभ			(58.35)		(58.35)
अन्य व्यापक आय			-	-	-
कुल व्यापक आय		-	**(58.35)**	-	**(58.35)**
लाभांश			-		-
लाभांश पर कर				-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण (II)			**(58.35)**		**(58.35)**
अंतिम शेष राशि (I+II+III+IV)		-	**(211.86)**	-	**(211.86)**

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

प्र.ह./-	प्र.ह./-	प्र.ह./-	प्र.ह./-
(आर.के. विश्नोई)	**(मनोज सरदाना)**	**(सी.पी. रतूड़ी)**	**(हिमांशु बाजपेई)**
अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
डीआईएनः 08534217	पैनः AGNPS1840H	पैनः ABSPB0191G	सदस्यता सं. 53310

दिनांकः 18.05.2025
स्थानः ऋषिकेश/लखनऊ

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन006792सी

प्र.ह./-
(सीए जे. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 074602

दिनांकः 19.05.2025
स्थानः लखनऊ

टिप्पणी-1 कंपनी सूचना और तथ्यात्मक लेखांकन नीतियाँ

1. संसूचित करने वाली कंपनी और उसकी सामान्य सूचना

1.1 टुस्को लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित और शेयरों द्वारा एक लिमिटेड कंपनी (सीआईएनः U40106UP2020G01134504) कंपनी है और यह टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इस कंपनी के शेयर 74:26 के अनुपात में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूपीएनईडीए द्वारा धारित हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता चतुर्थ तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, (उ.प्र.) 226010 है, जिसका उद्देश्य भारत और विदेशों में सौर पार्कों की पहचान करना, सर्वेक्षण करना, योजना बनाना, संवर्धन करना, विकसित करना, प्रचालित करना और उनका अनुरक्षण करना है।

1.2 तैयार करने का आधार

1.2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को चालू व्यवसाय के आधार पर यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक इसे अधिसूचित किया गया है और यह लागू है) के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हुए तथा प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया है।

1.2.2 इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचना को, अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, निकटतम लाख तक पूर्णांकित किया गया है।

1.2.3 तथ्यात्मक लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू की गई तथ्यात्मक लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में दी गई सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2. अनुमान एवं अवधारणाएं

2.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमान और अवधारणाएं अपेक्षित होती हैं जो संसूचन अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और व्यय की संसूचित राशि को प्रभावित करती हैं। यद्यपि ऐसे अनुमान और अवधारणाएं सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित और विवेकपूर्ण आधार पर बनाई जाती हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अंतरों की पहचान उस वर्ष में की जाती है जिसमें वास्तविक परिणामों को निश्चित रूप दिया जाता है।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (किसी परियोजना सहित) पर किए गए व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के अधीन लागत से किया जाता है। ऐसी लागतों में आयात शुल्क, अप्रतिदाय कर (व्यापार बट्टा और छूट की कटौती करने के बाद) और लागतें, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रचालन में सक्षम होने के लिए आवश्यक अवस्थिति और स्थिति तक इस परिसंपत्ति को लाने के लिए आरोप्य है, शामिल हैं।

3.2 जमा निर्माण कार्यों को संबंधित एजेंसियों से प्राप्त राशि के विवरणों के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

3.3 आपूर्ति-सह-निर्माण संविदाओं के मामले में, दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय के रूप में कार्यस्थल पर प्राप्त किए गए आपूर्ति के मूल्य को माना जाता है।

3.4 संविदाओं के मामले में कीमत में अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर लेखाबद्ध किया जाता है।

3.5 लागत प्रत्यक्ष रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आरोप्य है और इसमें कर्मचारी के हितलाभ की लागतें, इन परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच कार्यकलापों से संबंधित व्यय, स्थल के निर्माण की लागत, आरंभिक प्रदायगी और सार-संभाल प्रभार, संस्थापना और संयोजन लागतें, पेशेवर शुल्क, परियोजना के निर्माण में प्रयोग की गई परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और परियोजनाओं के निर्माण के लिए आरोप्य अन्य लागतें शामिल हैं। ऐसी लागतों का आबंटन निर्माण परियोजनाओं/दीर्घावधिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय के संबंध में सुव्यवस्थित आधार पर किया जाता है।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

4.1 पीपीई की आरंभिक रूप से माप, जहां कहीं भी आवश्यक हो, कम मूल्यह्रास और क्षति हानि, यदि कोई हो, को कम कर संयंत्र के बंद होने तथा उसे फिर से चालू करने की लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर की जाती है। इस लागत में वह व्यय शामिल है जो प्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण के लिए आरोप्य है। उन मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम भुगतान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण है और उपयोग किए जाने के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजनों के अध्यधीन, अनंतिम आधार पर किया जाता है।

4.2 कलपुर्जो, सहायक उपकरण और सर्विसिंग उपकरण, जो मान्यता के मानदंडों को पूरा करते हों, का पूंजीकरण किया जाता है। उन कलपुर्जो, जिन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है, की वहनीय राशि को मान्यता नहीं दी जाती है, जब कोई भावी आर्थिक लाभ उनके उपयोग से अथवा उनका निपटान किए जाने पर प्रत्याशित नहीं हो। अन्य कलपुर्जो को मालसूची के रूप में आगे ले जाया जाता है और उनकी खपत पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.3 प्रतिस्थापन की लागत, महत्वपूर्ण भाग के विस्तृत निरीक्षण, मरम्मत आदि का पूंजीकरण तब किया जाता है, यदि मान्यता संबंधी मानदंड पूरे कर लिए गए हों।

4.4 पीपीई की एक मद की मान्यता उसका निपटान किए जाने पर समाप्त कर दी जाती है अथवा जब कोई भावी आर्थिक लाभ की आशा इसके उपयोग अथवा निपटान से नहीं की जाती हो। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त करने के कारण होने वाली कोई लाभ अथवा हानि (निवल निपटान से प्राप्त होने वाली राशि और इस परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है) को उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त की जाती है।

4.5 भूमि पर सृजित पीपीई, जो कंपनी से संबंधित नहीं हो, लेकिन कंपनी के नियंत्रण और अधिकार में हो, को पीपीई में शामिल किया जाता है।

5. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

5.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में जोड़े जाने के लिए/कटौती किए जाने के लिए मूल्यह्रास, उस तिथि से/तक आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है जिस तिथि को यह परिसंपत्ति उपयोगधनिपटान के लिए तैयार है।

5.2 मूल्यह्रास, प्रशुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों का अनुसरण करते हुए स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, न्यायालयों के निर्णय आदि के कारण दीर्घावधिक देयता में वृद्धि/कमी के कारण परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि अथवा परिवर्तन के मामले में, संशोधित अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि इस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल की तुलना में उत्तरव्यापी प्रभाव से किया जाता है।

5.3 कार्यालयीन प्रयोजन से लैपटॉप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए लैपटॉप को शून्य निस्तारण मूल्य के साथ 3 वर्षो की अवधि में बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों के संबंध में मूल्यह्रास स्ट्रेट लाइन आधार पर 33.33 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रभारित किया जाता है।

5.4 अस्थायी निर्माण का मूल्यह्रास पूर्ण रूप से (100 प्रतिशत) अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में डब्ल्यूडीवी के रूप में 1- प्रतिधारित कर निर्धारित किया जाता है।

5.5 5000/- रुपये तक लेकिन 1500/- रुपये से अधिक लागत वाली परिसंपत्तियों (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) के मामले में खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

5.6 1500/- रुपये तक की लागत वाली कम मूल्य की मदों, जो परिसंपत्तियों की प्रकृति की हैं, का पूंजीकरण नहीं किया जाता है और उन्हें राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

5.7 भूमि के उपयोग का अधिकार की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि अथवा संबंधित परियोजना की अवधि, इसमें से जो भी कम हो, पर किया जाता है।

5.8 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत की पहचान अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में की जाती है और उसे उपयोग के कानूनी अधिकार अथवा 3 वर्षो, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीईआरसी के विनियम के अनुसार किया जाता है।

5.9 संयंत्र एवं मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए कलपुर्जो, जिनका पूंजीकरण किया गया हो और जिन्हें ऐसी मद की वहनीय राशि में जोड़ा गया हो, का अवमूल्यन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों से और पद्धति के अनुसार संबंधित संयंत्र एवं मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में किया जाता है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 पृथक रूप से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों की माप लागत पर आरंभिक मान्यता के आधार पर की जाती है। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को उस लागत पर आगे लाया जाता है जो किसी संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि से कम हो।

6.2 आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न भाग नहीं हो) का उल्लेख अधिग्रहण की लागत से घटाया हुआ संचित परिशोधन और क्षति हानि, यदि कोई हो, के रूप में किया जाता है।

6.3 अमूर्त परिसंपत्ति की एक मद की मान्यता निपटान किए जाने पर अथवा जब कोई भावी आर्थिक लाभ उसके उपयोग अथवा निपटान से होने की कोई आशा नहीं हो, समाप्त की जाती है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त करने के कारण हुए लाभ अथवा हानि का उल्लेख उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण किया जाता है जिसमें इस परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त की गई हो।

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा में लेनदेन को आरंभिक रूप से लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। तुलन-पत्र की तिथि को, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को अंतिम दर का उपयोग करते हुए संसूचित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में उल्लिखित गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दी जाती है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जिसे परिसंपत्ति की बिक्री करने पर प्राप्त किया जाएगा अथवा माप की तिथि को बाजार के भागीदारों के बीच एक विधिपूर्वक लेनदेन में देयता अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। सामान्यतः आरंभिक मान्यता में, लेनदेन की लागत, उचित मूल्य का सबसे अच्छा साक्ष्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेनदेन कीमत उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो और जिनके लिए संगत सुस्पष्ट इनपुट के उपयोग और अस्पष्ट इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हुए उचित मूल्य की माप करने के लिए पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध हों।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनके लिए उचित मूल्य की माप की जाती है अथवा वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया जाता है, को उचित मूल्य अधिक्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह श्रेणीबद्धकरण न्यूनतम स्तर के इनपुट, जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है, के आधार पर किया जाता है:

स्तर 1-सदृश्य परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार कीमतें,

स्तर 2-मूल्यांकन तकनीकों जिनके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुस्पष्ट हैं।

स्तर 3-मूल्यांकन तकनीकों जिनके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, अस्पष्ट हैं।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की पहचान आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर की जाती है। कंपनी उचित मूल्य तकनीकों की समीक्षा करती है जिससे इन्हें प्रत्येक संसूचन अवधि के अंत में अपनाया जा सके और यह ऊपर में उल्लिखित उपयुक्त माने गए स्तरों में से किसी स्तर का उपयोग करते हुए तद्नुसार उचित मूल्य का निर्धारण करती है।

9. नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य राशि

तुलन-पत्र में नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य राशि में बैंकों में जमा राशि, हस्तगत नकद राशि और तीन महीने अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली अल्पावधि की जमा राशि, जो मूल्य में परिवर्तनों के न्यूनतम जोखिम के अध्यधीन हैं, शामिल हैं।

9.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में विशिष्ट रूप से वित्तीय, गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के भाग के रूप में प्रकट की जाने वाली 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक में जमा धनराशि अपेक्षित है। मार्गदर्शी नोट (जीएन) में यह उल्लेख है कि परिपक्वता को 12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।

10. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

10.1 वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी कोई परिसंपत्ति शामिल है, जो नकद राशि के रूप में हो, नकद राशि अथवा कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए संविदागत देयता, अथवा एक्सचेंज की वित्तीय परिसंपत्ति अथवा वित्तीय देयता इस शर्त के अध्यधीन हो कि वे संभावित रूप से कंपनी के लिए अनुकूल हैं। वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान उन परिस्थितियों में की जाती है जब कंपनी इस दस्तावेज की संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्षकार बन जाती हो।

10.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य, बैंक में जमा राशि, कर्मचारियों को अग्रिम राशि, जमानत राशि, पुनः प्राप्त किए जाने योग्य दावे आदि शामिल हैं।

10.3 कंपनी के मौजूदा व्यापार मॉडल और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत नकदी प्रवाह की विशेषताओं के आधार पर, वर्गीकरण निम्नानुसार किए गए हैं:

1. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ,
2. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ, और
3. लाभ/हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

10.4 आरंभिक मान्यता और माप:

व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान आरंभिक रूप से वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए आरोप्य लेन-देन लागतों सहित उचित मूल्य पर की जाती है। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ली जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागतों को लाभ और

हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। जहाँ लेन-देन कीमत उचित मूल्य का माप नहीं है और उचित मूल्य का निर्धारण उस मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है जो सुस्पष्ट बाजार से आंकड़ों का उपयोग करते हैं, लेनदेन कीमत और उचित मूल्य के बीच अंतर की पहचान लाभ और हानि के विवरण तथा ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) पद्धति का उपयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेज के परिव्याप्त जीवन के अन्य मामलों में किया जाता है। ईआईआर की गणना प्रत्येक संसूचन अवधि के अंत में की जाती है।

10.5 यह कंपनी अपनी लेनदेन कीमत पर व्यापार से प्राप्त होने वाली आय की माप करती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण संघटक शामिल नहीं होते हैं।

10.6 तदनंतर माप

आरंभिक माप के बाद, परिशोधित कीमत पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर छूट अथवा अधिक दी गई राशि तथा शुल्कों अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न भाग है, पर विचार करते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ अथवा हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है।

10.7 विमान्यकरण

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य किया जाता है जब उक्त वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध सभी नकदी प्रवाह की वसूली कर ली गई हो अथवा ऐसे अधिकार समाप्त हो गए हों।

11. वित्तीय देयताएं

11.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं, एक अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा उन शर्तों के अधीन एक अन्य कंपनी को वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं का आदान-प्रदान करने के लिए संविदागत दायित्व है जो कंपनी के लिए संभावित रूप से अनुकूल नहीं है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य को भुगतान की जाने वाली राशि शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता और माप

11.3.1 वित्तीय देयताओं को मान्यता आरंभिक रूप से उचित मूल्य पर दी जाती है जिससे वित्तीय लागतों, जो वित्तीय देयताओं के जारी होने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हो तथा जिनकी परिशोधित कीमत पर बाद में माप की जाती हो। प्राप्त होने वाली आय (लेनदेन की लागतों का निवल) और आरंभिक मान्यता के समय उचित मूल्य के बीच होने वाले अंतर, यदि कोई हो, की मान्यता लाभ और हानि के विवरण में अथवा (निर्माण के लिए आरोप्य व्यय) में दी जाती है, यदि कोई अन्य मानक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए उधार की अवधि के दौरान किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में इस प्रकार की लागत को शामिल करने की अनुमति देता है।

11.3.2 उधार का वर्गीकरण वर्तमान देयताओं के रूप में किया जाता है यदि कंपनी के पास संसूचन अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटान को लंबित रखने का बिना शर्त अधिकार हो।

11.4 तदनंतर माप

11.4.1 आरंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताओं की बाद में माप ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित कीमत पर की जाती है। ईआईआर की गणना प्रत्येक संसूचन अवधि के अंत में की जाती है। लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि विवरण में की जाती है जब देयताओं की मान्यता समाप्त कर ली जाती है तथा ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से इसे मान्यता दी जाती है।

11.4.2 परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण करने के लिए किसी छूट अथवा दी गई अधिक राशि अथवा शुल्क और लागतों, जो ईआईआर का एक अभिन्न भाग हैं, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 विमान्यकरण

वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब इस देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन कर लिया जाता है अथवा उसे रद्द कर दिया जाता है अथवा उसका समय समाप्त हो जाता है।

12. मालसूची

12.1 मालसूची में मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अनुरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले भंडार और कलपुर्जे शामिल हैं और उनका मूल्य लागतों अथवा निवल वसूले जाने वाले मूल्य (एनआरवी), इसमें से जो भी कमतर हो, पर निर्धारित किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत लागत फॉर्मूले का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में अनुमानित बिक्री कीमत, जिससे बिक्री लागत को कम कर दिया जाता है, होती है और यह बिक्री करने के लिए आवश्यक होती है।

12.2 मालसूची की वहनीय राशि का आकलन एनआरवी (वसूली योग्य निवल मूल्य) पर उसे दर्शाने के लिए प्रत्येक संसूचन तिथि को किया जाता है। वहनीय राशि में कटौती होने पर, उपयुक्त समायोजन एनआरवी पर मान्यता प्रदान करने के लिए मालसूची की वहनीय राशि को कम कर किया जाता है और कम की गई इस प्रकार की राशि की भी मान्यता लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में

की जाती है। मालसूची के मूल्य में कमी के बाद, यदि एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होती है, मालसूची के मूल्य को एनआरवी पर मान्यता देने के लिए बढ़ाया जाता है और वृद्धिक राशि को लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है। सभी मालसूची संबंधी हानि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में होती हैं तथा उन्हें लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र/राज्य सरकार/अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त अनुदान-सहायता को आरंभिक रूप से गैर-वर्तमान देयता के अंतर्गत गैर-प्रचालन आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया जाता है तथा ऐसे अंशदान/अनुदान-सहायता से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

14.1 इन प्रावधानों की पहचान तब की जाती है जब कंपनी के पास विगत घटना के फलस्वरूप वर्तमान विधिक अथवा रचनात्मक दायित्व हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ को शामिल करते हुए संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि का लगाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र की तिथि को दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है।

14.2 आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को की जाती है और इन्हें प्रबंधन द्वारा किए गए वर्तमान अनुमानों का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में तब प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभ का अंतप्रर्वाह संभावित हो।

15. राजस्व मान्यता और अन्य आय

15.1 भारतीय लेखांकन मानक 115 के अंतर्गत, राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं और सेवाओं को अंतरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती हो। किसी परिसंपत्ति का अंतरण तब किया जाता है जब नियंत्रण अंतरित किया जाता हो, जो या समय के दौरान हो अथवा समय के किसी बिंदु पर हो। कंपनी उस राशि के मामले में राजस्व को मान्यता प्रदान करती है जिस पर इसे बीजक बनाने का अधिकार है।

15.2 परामर्श संबंधी कार्य से आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी आंकलन अथवा संबंधित परामर्श संविदाओं आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

15.3 ऊर्जा की बिक्री के लिए व्यापार से प्राप्त होने वाली आय से वसूले जाने योग्य विलंबित भुगतान अधिभार और परिसमाप्त क्षति/वारंटी दावे की पहचान तब की जाती है जब कोई अधिक अनिश्चितता माप करने के संबंध में अथवा सामूहिक रूप से रहती हो।

15.4 संविदा की शर्तो के अनुसार ठेकेदारों को दी गई अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज को संबंधित दीर्घावधिक परिसंपत्तियों के निर्माण खाता में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर किए गए खर्च से घटाया जाता है।

15.5 स्क्रैप के मूल्य को बिक्री के समय लेखाबद्ध किया जाता है।

15.6 लाभ की हानि के लिए बीमा दावे को स्वीकार किए जाने के वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है। अन्य बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में ₹5,00,000/- अथवा उससे कम का पूर्व में भुगतान किए गए व्ययों को उनके स्वाभाविक लेखा मदों में लेखाबद्ध किया जाता है।

16.2 2.00 करोड़ रुपये से अधिक वास्तविक पूर्व अवधि त्रुटियों में प्रस्तुत की गई पूर्व की अवधियों, जिनमें ये त्रुटियां हैं, के लिए तुलनात्मक लेखे का पुनः उल्लेख कर भूतलक्षी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई सबसे पहले की अवधि के पूर्व त्रुटि हुई हो तब प्रस्तुत की गई सबसे पूर्व की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी की आरंभिक शेष का पुनः उल्लेख किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के पूर्व निवल आय/व्यय का समायोजन सीधे तौर पर संबंधित परिसंपत्तियों और पद्धतियों की लागत में किया जाता है।

16.4 डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथानिर्धारित पिछले वर्ष के लाभ के उपयुक्त प्रतिशत पर राशि को अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगमनीय निधि के रूप में अलग रखा जाता है।

16.5 सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। किसी भी अप्रयुक्त राशि को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अव्यपगमनीय निधि के रूप में अलग रखा जाएगा।

शर्तो के अनुरूप प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य लागत के

16.6 तीन वर्षों के दौरान संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/बकाया दावों (सरकारी बकाया राशि को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाता है, यदि उस

राशि को प्रबंधन के अनुमान के अनुसार पुनः प्राप्त किए जाने योग्य नहीं माना जाता है। तथापि, कऋणों/अग्रिमों/दावों को तब मामले-दर-मामला आधार पर बट्टे खाते में डाला जाएगा जब अविश्वसनीयता अंतिम रूप से सिद्ध हो जाती है।

17. कर्मचारी के हितलाभ

कंपनी के कर्मचारियों को मूल कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। कर्मचारी के लाभों में भविष्य निधि, उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएँ, छुट्टी नकदीकरण, लंबी सेवा के लिए पारितोषिक, वित्तीय लाभ योजना और अन्य अंतिम लाभ शामिल हैं। मूल कंपनी की व्यवस्था के संदर्भ में, कंपनी पीएफ और पेंशन योजना के लिए कंपनी में दी गई सेवा की अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के सकल योग का अंशदान करती है। अन्य अंतिम लाभों के लिए, कंपनी मूल कंपनी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार उपयुक्त समायोजन करती है। बीमांकिक लाभ/हानि, यदि कोई हो, तो मूल कंपनी द्वारा लेखाबद्ध किया जाएगा।

टुस्को लिमिटेड ने टीएचडीसीआईएल की सहायक कंपनी होने के कारण पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान टुस्को लिमिटेड के पेरोल पर डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) के रूप में 2 स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की है। कंपनी की अपनी 13वीं बोर्ड बैठक में, निदेशक बोर्ड (बीओडी) ने यह पारित किया है और इसका अनुमोदन किया है कि टुस्को लिमिटेड, टीएचडीसीआईएल की नीतियों/दिशानिर्देशों और सभी मानव संसाधन नीतियों और दिशानिर्देशों, सेवा नियमावली और सेवा शर्तों, भर्ती नीतियों, स्थायी आदेशों, शक्तियों का प्रत्यायोजनध उप-प्रत्यायोजन, वित्तीय नियमावली, वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए नीतियों और कार्यविधियों तथा निर्माण एवं सेवाओं, निर्माण मैनुअल, जो टीएचडीसीआईएल में लागू हैं, द्वारा शासित होगी और इसके साथ ही ये टुस्को लिमिटेड पर भी लागू होंगे।

18. उधार लागत

18.1 उधार लागत, जो प्रत्यक्ष रूप से अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण/ विकास अथवा ढांचा तैयार करने के लिए आरोप्य हैं, प्राप्त पूंजीकरण ऐसी परसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में उस समय तक किया जाता है जिस समय तक वे परिसंपत्तियां अपने नियत उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं। अर्हक परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जो आवश्यक रूप से अपने नियत उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय अवधि लेती हैं।

18.2 जब कंपनी अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से निधियां उधार लेती है, तब वहन की गई उधार लेने की लागत का पूंजीकरण किया जाता है। जब कंपनी सामान्यतः निधियां उधार लेती है और उनका उपयोग अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से करती है, तब उधार लेने की लागतों के पूंजीकरण का परिकलन उस अवधि के दौरान सभी बकाया उधार राशि की भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और उनका उपयोग अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण अथवा उसका ढांचा खड़ा करने के लिए किया जाता है।

तथापि, विशिष्ट रूप से अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उधार राशि पर लागू उधार राशि की लागतें इस गणना से अलग कर दी जाती हैं, जब तक कि इसके नियत उपयोग अथवा बिक्री के लिए उस परिसंपत्ति को तैयार करने हेतु सभी आवश्यक कार्यकलाप पर्याप्त रूप से पूरे नहीं हुए हों।

ऐसी उधार लागतों को उस वर्ष के लिए दीर्घावधिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय की औसत शेष राशि में विभाजित किया जाता है। अन्य उधार लागतों की पहचान उस अवधि में व्यय के रूप में की जाती है जिसमें वे किए गए हों।

19. मालसूची को छोड़कर अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इस परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहनीय लागत इसकी वसूली किए जाने योग्य राशि से अधिक हो। क्षतिग्रस्त हानि उस वर्ष में लाभ और हानि विवरण में प्रभारित की जाती है जिसमें इस परिसंपत्ति की पहचान क्षतिग्रस्त के रूप में की गई हो। पूर्व लेखांकन अवधियों में पहचान की गई क्षतिग्रस्त हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है यदि वसूली किए जाने योग्य राशि के अनुमान कोई परिवर्तन हुआ हो।

20. पट्टे

कंपनी इस तथ्य का आकलन करती है कि क्या किसी संविदा में इसके आरंभ होने के समय पट्टा निहित है। कोई भी संविदा पट्टा है अथवा इसमें पट्टा निहित है, यदि संविदा इस राशि के बदले में समयावधि के लिए एक अभिज्ञात परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार संसूचित करती है। इस तथ्य का आकलन करने के लिए कि क्या कोई संविदा एक अभिज्ञात परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार संसूचित करती है, कंपनी इस तथ्य का आकलन करती है कि क्याः

(1) संविदा में एक अभिज्ञात परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है

(2) कंपनी ने पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त किए हैं और

(3) कंपनी के पास इस परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तिथि को, कंपनी परिसंपत्ति के उपयोग करने का अधिकार और सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें यह पट्टेदार है, के लिए तद्नुरूपी पट्टा देयता की पहचान करती है और इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:

क) बारह महीने अथवा उससे कम अवधि वाले पट्टे (अल्पावधिक पट्टे) और

ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर एक प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने के पूर्व पट्टे की अवधि बढ़ाए जाने अथवा उसे समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों के उपयोग के करने के अधिकार और पट्टे की देयताओं में ये विकल्प शामिल होते हैं जब तार्किक रूप से यह तय हो कि उनका उपयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार को आरंभिक रूप में लागत पर मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें पट्टा की आरंभ करने की तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टे के कोई भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि प्लस पट्टे की प्रोत्साहन राशि से कम कोई आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल है। उन्हें बाद में, उस लागत पर मापा जाता है जिसमें संचित मूल्यह्रास और क्षति संबंधी हानि घटी हुई रहती है।

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का अवमूल्यन पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोगी जीवनकाल में से कम अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर आरंभ होने की तिथि से किया जाता है, यदि पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व को पट्टे की अवधि के अंत तक अंतरित करता हो अथवा यदि परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार की लागत यह दर्शाती है कि खरीद के विकल्प का उपयोग किया जाएगा। अन्यथा परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में से कमतर अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर आरंभ होने की तिथि से अवमूल्यित/परिशोधित किया जाता है।

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन प्रतिलब्धता के लिए किया जाता है जब कभी घटनाक्रम अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हों कि उनकी वहनीय राशि वसूली किए जाने योग्य नहीं हो सकती है। हानि के परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली किए जाने योग्य राशि (अर्थात उचित मूल्य से कम बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य में से उच्चतर) का निर्धारण अलग-अलग परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता हो, यदि यह परिसंपत्ति नकदी का प्रवाह उत्पन्न नहीं करती हो जो व्यापक रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में, वसूली किए जाने योग्य राशि का निर्धारण नकद उत्पादक इकाई (सीजीयू) के लिए किया जाता है जिससे यह परिसंपत्ति संबंधित है।

पट्टा देयता की माप आरंभिक रूप से भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य की परिशोधित लागत पर की जाती है। पट्टे के भुगतान में वृद्धिक ऋण दर का उपयोग करते हुए पट्टे में निहित ब्याज दर अथवा यदि सहज रूप से निर्धारित किए जाने योग्य न हो, का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। पट्टे की देयताओं को कंपनी द्वारा इस तथ्य के अपने आकलन में बदलाव लाने, कि यह समय विस्तार अथवा समाप्ति के विकल्प का उपयोग करेगी, पर परिसंपत्तियों के उपयोग से संबंधित अधिकार में तद्नुरूपी समायोजन करने के साथ पुनः माप की जाती है।

21. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। कर की पहचान उस सीमा को छोड़कर लाभ और हानि विवरण में की जाती है, जिस सीमा तक यह प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में पहचान की गई मदों से संबंधित हो। इस मामले में, कर की पहचान भी प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में अथवा अन्य व्यापक आय में की जाती है।

21.1 वर्तमान आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उस वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर परिवर्तन की गणना भारत में, जहाँ कंपनी अपना प्रचालन करती है और कर योग्य आय अर्जित करती है तुलन-पत्र की तिथि को बनाए गए कर कानूनों अथवा व्यापक रूप से बनाए गए कानूनों के आधार पर की जाती है।

21.2 आस्थगित कर

21.2.1 आस्थगित कर की पहचान तुलन-पत्र के दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों की वहनीय राशि और देयताओं के बीच अंतर तथा कर योग्य लाभ के परिकलन में उपयोग किए गए तद्नुरुपी कर आधारों को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करते हुए लेखाबद्ध किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं की सामान्यतः सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचान की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों की सामान्यतः पहचान सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए उस सीमा तक की जाती है जिस सीमा तक इस तथ्य की संभावना हो कि भावी कर योग्य लाभ उनके विरुद्ध उपलब्ध होगा जो कटौती योग्य

अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं की पहचान नहीं की जाती है यदि अस्थायी अंतर उन मामलों में किसी परिसंपत्ति अथवा देयता की आरंभिक पहचान से उत्पन्न होता हो जहां लेनदेन न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि और न ही लेखांकन लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता हो।

21.2.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को की जाती है और उसमें उस सीमा तक कमी लाई जाती है जिस सीमा तक इस बात की संभावना अब न हो कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उसके विरुद्ध उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की माप उन कर दरों पर की जाती है जो उस अवधि में लागू होने की आशा है जिसमें देयता का निपटान किया गया है अथवा परिसंपत्तियों को प्राप्त किया गया है, उन कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर, जिन्हें तुलन-पत्र की तिथि को निर्धारित किया गया है और पर्याप्त रूप से निर्धारित किया गया है। आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों की माप कर परिणामों को दर्शाती है जो उस तरीके से होगी जिसमें कंपनी संसूचन की तिथि को अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की वहनीय राशि की वसूली करने अथवा उसका निपटान करने की आशा करती है।

21.2.3 आस्थगित कर की पहचान उस सीमा को छोड़कर लाभ और हानि विवरण में की जाती है जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से पहचान की गई मदों से संबंधित हैं, जिस मामले में इसकी पहचान अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में की गई है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को तब प्रतिसंतुलित किया जाता है जब वर्तमान कर देयताओं के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को प्रतिसंतुलित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हों और जब आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं उसी कराधान प्राधिकार द्वारा या तो कर योग्य कंपनी अथवा अलग-अलग कर योग्य कंपनियों पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, जहां निवल आधार पर शेष राशि का भुगतान करने का उद्देश्य हो।

21.2.4 जब आयकर उपायों के संबंध में अनिश्चितता हो, तब कंपनी इस बात का आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकारी से यह संभावना है कि अनिश्चित कर उपाय को स्वीकार करें। यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कर प्राधिकारी द्वारा अनिश्चित कर उपाय स्वीकार करने की संभावना नहीं है तब कर योग्य आय, कर आधारों और अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के संबंध में अनिश्चितता के प्रभाव की पहचान की जाती है। अनिश्चितता के प्रभाव की पहचान उस पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है जो प्रत्येक मामले में अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाते होंय सबसे अधिक संभावना वाले परिणाम अथवा प्रत्याशित मूल्य। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसे प्रत्येक अनिश्चित कर उपाय को पृथक रूप से माना जाए अथवा उस दृष्टिकोण के आधार पर एक अन्य अथवा अनेक अन्य अनिश्चित कर उपायों के साथ माना जाए जो 'अनिश्चितता के निवारण' को पहले से ही तय करे।

22. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखांकन मानक पद्धति 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों से अत्यधिक कम अवधि के लिए ऋण के लिए आधारित जमा राशि, अन्य अल्पावधिक, अत्यधिक परिसमाप्य निवेश, जिसमें तीन महीने अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता अवधियों, जो ज्ञात नकद राशि के लिए सहजता से परिवर्तनीय हो और जो मूल्य तथा बैंक ओवरड्राफ्ट में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अध्यधीन हो, शामिल हैं। तथापि, तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में वर्तमान देयताओं में उधार राशि के भीतर दर्शाया जाता है।

23. वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण-

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है।

23.1 परिसंपत्ति का वर्गीकरण वर्तमान के रूप में किया जाता है जबः

इस बात की आशा हो कि प्राप्त कर लिया जाएगा अथवा वर्तमान प्रचालन चक्र में बेचे जाने अथवा खपत किए जाने का उद्देश्य है व्यापार के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से धारित संसूचन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त किए जाने की आशा हो, अथवा नकद राशि अथवा नकद राशि के समतुल्य, यदि उसे संसूचन अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयताओं का निपटान करने हेतु विनिमय किए जाने अथवा उसका उपयोग किए जाने से प्रतिबंधित किया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों का वर्गीकरण गैर-वर्तमान के रूप में किया जाता है।

23.2 देयता का वर्गीकरण वर्तमान के रूप में किया जाता है जबः

- इसे सामान्य प्रचालन चक्र में निपटारा किए जाने की आशा हो
- व्यापार के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से धारित
- बारह महीनों के भीतर निपटान किए जाने के लिए देय हो संसूचन अवधि के बाद अथवा

- संसूचन अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए इस देयता के निपटान को विलंबित करने के लिए बिना शर्त कोई अधिकार नहीं रखता हो।

अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर-वर्तमान के रूप में किया जाता है।

23.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण गैर-वर्तमान के रूप में किया जाता है।

24. प्रति शेयर आय

24.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय का परिकलन कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य निवल लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्युटेड आय को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ अथवा हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय तय करने के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी डाइल्युटेड संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन के बाद जारी किए जा सकते थे, से भी विभाजित किया जाता है।

इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से डाइल्युटेड इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए किसी भी बोनस शेयर के लिए प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए किया जाता है।

25. लाभांश

25.1 कंपनी के शेयरधारकों को भुगतान योग्य लाभांश और अंतरिम लाभांश की पहचान उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में की जाती है जिसमें उनका अनुमोदन संबंधित शेयरधारकों और निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

26. विविध

26.1 समान मदों के प्रत्येक वास्तविक वर्ग को वित्तीय विवरणों में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति अथवा कार्य की मदों को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है यदि वे वास्तविक न हों।

26.2 कंपनी ने संगत प्राधिकार को कंपनी के बैंकर द्वारा जारी बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराई है और उसका समर्थन बैंकिंग नीति के अनुसार एफडीआर वहन करने वाले ब्याज द्वारा किया जाता है। एफडीआर और ब्याज को भारतीय लेखांकन पद्धति 7 के अनुसार टुस्को लिमिटेड के खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

26.3 भारतीय लेखांकन मानक 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

इस संशोधन ने 'महत्वपूर्ण' शब्द को 'तथ्यात्मक' से प्रतिस्थापित किया है। इसमें कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी सूचना प्रकट करें क्योंकि 'तथ्यात्मक' शब्द की परिभाषा भारतीय लेखांकन मानक में दी गई है और इसे हितधारकों द्वारा अच्छे तरीक से समझा जाता है। इसके साथ ही, इस तथ्य का निर्धारण करने में भी मार्गदर्शन प्रदान करें कि क्या लेखांकन नीति संबंधी सूचना तथ्यात्मक है अथवा नहीं।

27.1 वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

भारतीय लेखांकन मानक 107 वित्तीय दस्तावेज पर लागू है। वित्तीय दस्तावेज की परिभाषा समावेशी है और यह वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का विवरण प्रदान करती है। उन वित्तीय दस्तावेज के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों, जिसके प्रति टुस्को लिमिटेड इस अवधि के दौरान अरक्षित है, की प्रकृति और दायरे का उल्लेख नीचे किया गया है और इसके साथ ही इसका भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार टुस्को लि. इन जोखिमों का प्रबंधन कर रहा है।

(i) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो एक प्रतिपक्षकार अपने दायित्वों को वित्तीय दस्तावेज अथवा ग्राहक संविदा के अंतर्गत पूरा नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप इसे वित्तीय हानि होगी। कंपनी की बैंकों के पास जमा राशि का भी क्रेडिट जोखिम है।

(ii) परिसमापन जोखिम

परिसमापन जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपनी वर्तमान और भावी नकद राशि और संपार्श्विक दायित्वों को अस्वीकार्य हानि किए बिना पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (उपशमन)

क्रेडिट जोखिम

कंपनी उस बैंक का चयन करने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड, बाजार ख्याति के आकार और सेवा मानदंड तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कारकों पर विचार करती है जिसके पास शेष और जमा राशि रखी जाती है।

परिसमापन जोखिम

विवेकपूर्ण परिसमापन जोखिम प्रबंधन का आशय दायित्वों, जब वे देय हों, को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी की उपलब्धता बनाए रखने से है।

टिप्पणी :-2

31 मार्च, 2025 के अनुसार संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती दर्शाते हैं)

लाख (₹) में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2024 के अनुसार	अवधि के दौरान अभिवृद्धि	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	01 अप्रैल, 2024 के अनुसार	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2025 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण									
अन्य परिसंपत्तियां									
1. फ्री होल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जलमग्न भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	1,865.71	-	1,865.71	-	36.21	-	36.21	1,829.50
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ईडीपी मशीनें	58.73	27.43	(7.40)	78.76	28.77	16.36	(3.28)	41.85	36.91
10. विद्युत संस्थापनाएं	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
11. पारेषण लाइनें	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	42.91	18.95	(3.21)	58.65	12.88	10.32	(0.58)	22.62	36.03
13. फर्नीचर और फिक्सचर्स	55.76	7.09	(2.57)	60.28	10.43	6.96	(0.73)	16.66	43.62
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हाइड्रोलिक कार्य- बांध और स्पिलवे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. हाइड्रोलिक कार्य- सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़	**157.39**	**1,919.18**	**(13.18)**	**2,063.40**	**52.08**	**69.85**	**(4.59)**	**117.34**	**1,946.06**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां									
1. अमूर्त परिसंपत्तियां-सॉफ्टवेयर	4.13	0.00	0.00	4.13	2.39	0.83	0.00	3.22	0.91
उप-जोड़	**4.13**	**-**	**-**	**4.13**	**2.39**	**0.83**	**-**	**3.22**	**0.91**
ग. परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार									
1. उपयोग का अधिकार - भूमि	11,595.27	1,310.14	0.00	12,905.41	948.68	589.32	0.00	1,538.00	11,367.41
2. उपयोग का अधिकार - भवन	37.51	0.00	0.00	37.51	27.26	7.50	0.00	34.76	2.75
3. उपयोग का अधिकार - वाहन	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़	**11,632.78**	**1,310.14**	**-**	**12,942.92**	**975.94**	**596.82**	**-**	**1,572.76**	**11,370.16**
कुल									

मूल्यह्रास का विवरण	**वर्तमान वर्ष**
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास	667.50
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास वर्ष के दौरान 1500.00 रुपये से अधिक लेकिन 5000.00 रुपये से कम लागत वाली अचल परिसंपत्तियां खरीदी गई और उनका पूर्ण मूल्यह्रास किया गया।	1.83

टिप्पणी:- 2

31 मार्च, 2024 के अनुसार संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती दर्शाते हैं)

रुपये लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक: 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	सकल ब्लॉक: अवधि के दौरान अभिवृद्धि	सकल ब्लॉक: अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	सकल ब्लॉक: 31 मार्च, 2024 के अनुसार	मूल्यह्रास: 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	मूल्यह्रास: 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए	मूल्यह्रास: अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	मूल्यह्रास: 31 मार्च, 2024 के अनुसार	निवल ब्लॉक: 31 मार्च, 2024 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण									
अन्य परिसंपत्तियां									
1. फ्री होल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जलमग्न भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ईडीपी मशीनें	31.95	28.13	(1.35)	58.73	11.45	18.28	(0.96)	28.77	29.96
10. विद्युत संस्थापनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. पारेषण लाइनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	24.88	19.49	(1.47)	42.91	3.18	9.84	(0.14)	12.88	30.02
13. फर्नीचर और फिक्सचर्स	32.89	24.06	(1.19)	55.76	4.41	6.04	(0.02)	10.43	45.33
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हाइड्रोलिक कार्य-बांध और स्पिलवे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. हाइड्रोलिक कार्य-सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़	**89.73**	**71.68**	**(4.01)**	**157.39**	**19.04**	**34.16**	**(1.11)**	**52.09**	**105.31**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां									
1. अमूर्त परिसंपत्तियां-सॉफ्टवेयर	4.13	0.00	0.00	4.13	1.57	0.83	0.00	2.39	1.74
उप-जोड़	**4.13**	**-**	**-**	**4.13**	**1.57**	**0.83**	**-**	**2.39**	**1.74**
ग. परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार									
1. उपयोग का अधिकार - भूमि	9,085.41	2,509.86	0.00	11,595.27	463.47	485.21	0.00	948.68	10,646.58
2. उपयोग का अधिकार - भवन	37.51	0.00	0.00	37.51	19.75	7.50	0.00	27.26	10.26
3. उपयोग का अधिकार - वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़	**9,122.92**	**2,509.86**	**-**	**11,632.78**	**483.23**	**492.71**	**-**	**975.94**	**10,656.84**
कुल									

मूल्यह्रास का विवरण	**वर्तमान वर्ष**
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास	527.70
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास	
वर्ष के दौरान 1500.00 रुपये से अधिक लेकिन 5000.00 रुपये से कम लागत वाली अचल परिसंपत्तियां खरीदी गई और उनका पूर्ण मूल्यह्रास किया गया।	0.49

टिप्पणी :- 3

चल रहे पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2024 के अनुसार	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार
			31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए			
क. चल रहे निर्माण कार्य						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		1,208.49	164.09	-	-	1,372.58
सड़कें, पुल और पुलिया		-	-	-	-	-
जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		-	-	-	-	-
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		-	355.98	-	-	355.98
हाइड्रोलिक कार्य, बांध, स्पिलवे, जल चैनल,						
वीयर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक कार्य		-	-	-	-	-
विद्युत संस्थापना और उप-स्टेशन						
उपकरण		-	-	-	-	-
अन्य		-	-	-	-	-
आवंटन लंबित व्यय						
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		7,396.08	1,039.29	0	0	8,435.37
निर्माण के दौरान व्यय	15	0.78	3,453.62	0	0	3,454.40
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय, लाभ और हानि में आवंटित/प्रभारित				0	0	
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय			0.02			0.02
कुल		**8,605.35**	**5,013.00**	**-**	**-**	**13,618.35**
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति		0	0	0	0	.

टिप्पणी:-4क
आस्थगित कर परिसंपत्ति

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्ति*		90.71	80.53
कुल		**90.71**	**80.53**

*लेखा संख्या (20) की टिप्पणियों और लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों (उप बिंदु 5) के अनुसार

***टिप्पणी:-4ख**
गैर वर्तमान निवल कर परिसंपत्तियां

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
i) अन्य		0.00	0.00
ii) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		0.00	0.00
		0.00	0.00
जमा किया गया कर			
- टीडीएस कटौती (पीएनबी बैंक द्वारा ब्याज राशि पर टीडीएस कटौती)		20.26	8.29
कुल		**20.26**	**8.29**

टिप्पणी :-4ग
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
पूर्व-प्रदत्त व्यय		393.07	
उपार्जित परंतु देय नहीं ब्याज			
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			
उप-जोड़		**393.07**	
अप्रतिभूतित			
i) अन्य		6,157.10	3,079.50
ii) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		3.43	0.84
		6,553.60	3,080.34
कुल		**6,553.60**	**3,080.34**

टिप्पणी :-5
नकद राशि एवं नकद राशि के समतुल्य

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
नकद राशि एवं नकद राशि के समतुल्य बैंकों के पास शेष राशि (ऑटो स्वीप सहित) - पंजाब नेशनल बैंक विभूतिखंड (खाता संख्या 6194002100000270) - 3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ।		5.54	1.16
कुल		**5.54**	**1.16**

टिप्पणी :-5क
नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य को छोड़कर अन्य बैंक शेष राशि

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
अन्य बैंक शेष बैंकों के पास शेष राशि (ऑटो स्वीप सहित) - पंजाब नेशनल बैंक विभूतिखंड (खाता संख्या 6194002100000270) - 12 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ।		5,936.34	1,330.24
कुल		**5,936.34**	**1,330.24**

टिप्पणी:-6
आस्थगित कर परिसंपत्ति

			रूपये लाख में
विवरण	**टिप्पणी सं.**	**31 मार्च, 2025 के अनुसार**	**31 मार्च, 2024 के अनुसार**
प्रतिभूति जमा		2.63	2.33
12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशि		43.65	32.15
कुल		**46.28**	**34.48**

टिप्पणी:-7
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

			रूपये लाख में
विवरण	**टिप्पणी सं.**	**31 मार्च, 2025 के अनुसार**	**31 मार्च, 2024 के अनुसार**
जमा किया गया कर			
- अग्रिम कर		0.00	0.00
कुल		**0.00**	**0.00**

टिप्पणी:-8
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

			रूपये लाख में
विवरण	**टिप्पणी सं.**	**31 मार्च, 2025 के अनुसार**	**31 मार्च, 2024 के अनुसार**
पूर्व-प्रदत्त व्यय		2,784.97	358.92
उपार्जित ब्याज		-	-
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां		-	-
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत		-	-
उप-जोड़		**2,784.97**	**358.92**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूतित)			
कर्मचारियों को		0.18	0.80
अन्यों को -		-	
उप-जोड़ - अन्य अग्रिम		**0.18**	**0.80**
कुल		**2,785.15**	**359.72**

टिप्पणी:-9
शेयर पूंजी

रूपये लाख में

विवरण	**टिप्पणी सं.**	**31 मार्च, 2025 के अनुसार**		**31 मार्च, 2024 के अनुसार**	
		शेयर की संख्या	**राशि**	**शेयर की संख्या**	**राशि**
प्राधिकृत					
1000/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर		500,000	5,000.00	500,000	5,000.00
जारी, अभिदत्त और चुकता		450,000	4,500.00	400,000	4,000.00
1000/- रुपये प्रति पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर					
कुल		**450,000**	**4,500.00**	**400,000**	**4,000.00**

टिप्पणी :-9.1
कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारिता वाले शेयरधारकों का विवरण

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
शेयरों की संख्या		**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
5% से अधिक शेयरधारिता					
I. टीएचडीसी इंडिया लि.		333,000	74	296,000	74
II. यूपीएनईडीए		117,000	26	104,000	26
कुल		**450,000**	**100**	**400,000**	**100**

टिप्पणी :-9.2
शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	**रूपये लाख में**	**शेयरों की संख्या**	**रूपये लाख में**
प्राधिकृत					
1000/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर		500,000	5,000.00	500,000	5,000.00
आरंभिक		400,000	4,000.00	350,000	3,500.00
जारी		50,000	500.00	50000	500.00
अंतिम		**450,000**	**4,500.00**	**400,000**	**4,000.00**

टिप्पणीः कंपनी के पास ₹1,000/- प्रति शेयर के सममूल्य वाले केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं और शेयरधारकों की बैठकों में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के पात्र हैं।

टिप्पणी :-10
अन्य इक्विटी

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन		333.00	-
प्रतिधारित आय		(259.19)	(211.86)
अन्य व्यापक आय		-	-
कुल		**73.81**	**(211.86)**

टिप्पणी :-10.1
आरक्षित एवं अधिशेष

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार
आरंभिक शेष राशि		(211.66)		(153.51)
वर्ष के लिए लाभ		(47.33)	(259.19)	(58.35)
कुल			**(259.19)**	**(211.86)**

टिप्पणी :-10.2
प्रमोटरों की शेयरधारिता

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
5% से अधिक शेयरधारिता					
I. टीएचडीसी इंडिया लि.		333,000	74	296,000	74
II. यूपीएनईडीए		117,000	26	104,000	26
कुल		**450,000**	**100**	**400,000**	**100**

टिप्पणीः-11 क
गैर वर्तमान-वित्तीय देयताएं-उधार

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क. प्रतिभूतित			
वित्तीय संस्थानों/बैंकों से सावधि ऋण			
आरईसीएल से उधारियां (600 मेगावाट झांसी सौर ऊर्जा पार्क के लिए, टुस्को लिमिटेड) (वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ 8.65% की वर्तमान की परिवर्तनशील कार्ड ब्याज दर पर 18 वर्षों के भीतर मासिक किस्त पर पुनर्भुगतान योग्य)		6,454.64	2,941.38
ख. पट्टा दायित्व			
अप्रतिभूतित		13,039.48	11,972.29
कुल		**19,494.12**	**14,913.67**
घटाएंः			
वर्तमान परिपक्वताएंः			
पट्टा दायित्व- अप्रतिभूतित		1,005.47	1,177.48
कुल		**18,488.65**	**13,736.19**

टिप्पणीः-11 ख
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
देयताएं			
एमएनआरई से अनुदान		15,603.57	4,830.20
कुल		**15,603.57**	**4,830.20**

टिप्पणीः-11 ग
गैर-वर्तमान प्रावधान

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निगमन को दर्शाते हैं) रूपये लाख में

				31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए		
विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2025 के अनुसार
I. कर्मचारियों से संबंधित		0.13	0.35	0.00	0.00	0.49
II. अन्य		0.00	0.00	-	-	-
कुल		**0.13**	**0.35**	**-**	**0.00**	**0.49**

रूपये लाख में

			31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए			
विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2024 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2024 के अनुसार
I. कर्मचारियों से संबंधित		-	0.13	0.00	0.00	0.13
II. अन्य		-	0.00	-	-	-
कुल		**-**	**0.13**	**-**	**0.00**	**0.13**

टिप्पणी:-12
वर्तमान-वित्तीय देयताएं-अन्य

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
दीर्घावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता			
(क) पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता-अप्रतिभूतित		1,005.47	1,177.48
कुल		**1,005.47**	**1,177.48**
व्यापार देय			
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया बकाया देय राशियां		14.98	4.63
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशियां		1,794.15	400.73
		1,809.13	**405.36**
देयताएं			
व्यय के लिए			
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	0		
अन्यों के लिए			
- कार्य पूंजी के लिए विविध लेनदार			
- सेवा पूंजी के लिए विविध लेनदार			
- धारक कंपनी को देय			
- अन्य	0	0.00	
जमा राशि, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि आदि	812.49		280.04
घटाएंः उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति			
जमा/प्रतिधारण धनराशि	-	812.49	0.00
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ-प्रतिभूति			
जमा/प्रतिधारण धनराशि		-	-
उपार्जित परंतु देय नहीं ब्याज		-	-
कुल		**2,621.62**	**685.40**
कुल देयताएं		**3,627.09**	**1,862.88**

टिप्पणी:-13
अन्य वर्तमान देयताएं

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
देयताएं			
अनुदान		0.00	0.00
अन्य देयताएं		21.43	27.57
आयकर टीडीएस देय		42.32	8.87
जीएसटी टीडीएस		10.22	5.16
सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी (प्रत्यावर्तित प्रभार)		1.87	1.54
कुल		**75.84**	**43.14**

टिप्पणी :-14

वर्तमान प्रावधान

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती दर्शाते हैं)

रुपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल, 2024 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2025 के अनुसार
I. कार्य		-	-	-	-	-
II. नियोजित पूंजी		0.62	0.28	-	-	0.90
III. अन्य						
- सांविधिक लेखापरीक्षक (टीडीएस का निवल 2.16 लाख रुपये) और आंतरिक लेखापरीक्षक (टीडीएस का निवल 0.54 लाख रुपये) को देय शुल्क		2.70	0.32	0.00	-	3.02
कुल		**3.32**	**0.60**	**-**	**-**	**3.92**

टिप्पणी :-15

निर्माण के दौरान व्यय

रुपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	17				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और हितलाभ		937.50		753.08	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		74.78		64.54	
पेंशन निधि		31.71		48.26	
उपदान		97.04		48.39	
कल्याण		27.23		22.76	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.00	1,168.26	-	937.04
अन्य व्यय	19				
किराया					
कार्यालय का किराया		5.64		4.53	
कर्मचारी के आवास का किराया		0.00	5.64	0.00	4.53
दर एवं कर			-		0.03
विद्युत एवं ईंधन			0.78		1.88
बीमा			0.00		-
संचार			12.37		11.61
मरम्मत और अनुरक्षण					
संयंत्र और मशीनरी		-		-	
भंडार और कलपुर्जों की खपत		-		-	
भवन		0.51		0.18	
अन्य		4.45	4.96	4.45	4.62
यात्रा और परिवहन			16.80		28.08
वाहन किराया और रनिंग			72.00		68.52
सुरक्षा			0.00		0.00
प्रचार एवं जनसंपर्क			2.59		5.03
अन्य सामान्य व्यय			488.56		301.85
लेखापरीक्षकों को भुगतान			0.00		0.00
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.00		0.00
ब्याज अन्य	18		1,038.14		931.96
मूल्यह्रास	2		667.50		527.70
कुल व्यय (क)			**3,477.60**		**2,822.84**

टिप्पणी:-15

निर्माण के दौरान व्यय

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
अन्य आय					
ब्याज					
अन्य से		0.33	0.33	0.16	0.16
किराया प्राप्तियां	16		3.33		3.78
विविध प्राप्तियां	16		20.32		0.50
कुल प्राप्तियां (ख)			**23.98**		**4.44**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**3,453.62**		**2,818.40**
कराधान के लिए प्रावधान			-		-
कराधान सहित निवल व्यय			**3,453.62**		**2,818.40**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			-		-
पिछले वर्ष से आगे ले जाया गया संतुलन			0.78		3,982.72
कुल ईडीसी			**3,454.40**		**6,801.12**
घटाएं:-					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी			0.00		6,800.34
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं का ईडीसी लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा			-		-
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेणीत शेष राशि			**3,454.40**		**0.78**

टिप्पणी:-16

अन्य आय

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक में जमा राशियों पर		52.39		52.66	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम-					
प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	-		-		
अन्य - बैंक से ब्याज		0.33	52.72	0.16	52.82
कर प्राप्तियां			3.33		3.78
विविध प्राप्तियां			20.32		0.50
उचित मूल्य लाभ- प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			-		-
कुल			**76.37**		**57.10**
घटाएं :					
ईडीसी में अंतरित	15		23.98		4.44
कुल			**52.39**		**52.66**

टिप्पणी :-17

कर्मचारी हितलाभ व्यय

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और हितलाभ		1,044.44	876.71
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		74.78	64.54
पेंशन निधि		31.71	48.26
उपदान		97.04	48.39
कल्याण व्यय		27.23	22.76
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		-	-
कुल		**1,275.20**	**1,060.66**
घटाएं :			
ईडीसी में अंतरित	15	168.26	937.04
वेतन, मजदूरी, भत्ते और हितलाभ		1,044.44	876.71
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		74.78	64.54
पेंशन निधि		31.71	48.26
उपदान		97.04	48.39
कल्याण व्यय		27.23	22.76
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		-	-
कुल		**106.94**	**123.62**

टिप्पणी :-18

वित्त लागतें

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए
वित्त लागतें			
बांडों पर ब्याज		-	-
घरेलू ऋणों पर ब्याज		-	-
विदेशी ऋणों पर ब्याज		-	-
नकद ऋण पर ब्याज		-	-
एफईआरवी		-	-
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान		-	-
ब्याज अन्य*		1,038.14	931.96
कुल		**1,038.14**	**931.96**
घटाएं:			
ईडीसी में अंतरित ब्याज अन्य		1,038.14	931.96
कुल		**-**	**-**

*ब्याज अन्य में पट्टा दायित्व पर ब्याज संघटक शामिल है

टिप्पणी :-19

उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए
किराया			
कार्यालय का किराया	5.64		4.53
कर्मचारियों के आवासों का किराया	0.00	5.64	0.00
दर एवं कर		0.00	0.03
विद्युत एवं ईंधन		0.78	1.88
बीमा	0.00	0.00	
संचार		12.37	11.61
संयंत्र एवं मशीनरी	-		0.00
भंडारण और कलपुर्जों की खपत	-		0.00
भवन	0.51		0.18
अन्य	4.45	4.96	4.45
	0.00		
यात्रा एवं परिवहन		16.80	28.08
वाहन किराया एवं रनिंग		72.00	68.52
प्रतिभूति		0.00	0.00
प्रचार एवं जनसंपर्क		2.59	5.03
अन्य सामान्य व्यय*		488.56	301.85
लेखापरीक्षकों को भुगतान		2.95	2.95
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.00	0.00
बट्टे खाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय			
कुल		**606.65**	**429.10**
घटाएं:-			
ईडीसी में अंतरित	15	603.70	426.15
कुल		**2.95**	**2.95**

*इसमें व्यावसायिक शुल्क, जनशक्ति की आउटसोर्सिंग और ट्रांजिट कैम्प व्यय आदि शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:-

1. पूंजीगत प्रतिबद्धता-

1.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 में निष्पादित की जाने वाले शेष संविदाओं (पूंजीगत प्रतिबद्धता) की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल) 42,914.64 लाख रुपये (पिछले वर्ष 18,673.98 रुपये) है।

2. कंपनी को केवल ईएमडी/एसडी के निमित्त अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ एफडीआर प्राप्त होते रहे हैं। टिप्पणी संख्या 12 में प्रकट किए गए अनुसार, कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईएमडी के निमित्त 29.08 लाख (पूर्व वर्ष में 0.62 लाख रुपये) की एफडीआर और प्रतिभूति जमा राशि है, इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 में संविदाकारों से 812.49 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में 280.04 लाख) की जमा राशि है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपयुक्त प्राधिकारी को 43.65 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में 32.15 लाख रुपये) की कंपनी के बैंकर द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी (बीजी) प्रदान की है और यह बैंक की प्रचलित ब्याज दर नीति के अनुसार ब्याज सहित एफडीआर द्वारा समर्थित है।

3. झांसी एसपीपी, ललितपुर एसपीपी और चित्रकूट एसपीपी की डीपीआर एमएनआरई, भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है और बाद में इसे एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया गया है। तीनों परियोजनाओं के पट्टा विलेख पंजीकरण किसानों के साथ अग्रिम चरण में हैं और दिनांक 31.03.2025 तक कुल 8,335.95 एकड़ (600 मेगावाट झांसी एसपीपी, 600 मेगावाट ललितपुर एसपीपी और 800 मेगावाट चित्रकूट एसपीपी) का अधिग्रहण किया गया है, जो इस प्रकार है:

क्रम सं.	भूमि का विवरण	सौर विद्युत पार्क का नाम		
		600 मेगावाट झांसी	600 मेगावाट ललितपुर	800 मेगावाट चित्रकूट
1	कुल अपेक्षित भूमि (एकड़ में)	2,700.00	2,700.00	3,600.00
2	कुल अधिग्रहीत निजी भूमि (एकड़ में)	2,409.74	1,054.31	2,030.14
3	कुल अधिग्रहीत सरकारी भूमि (एकड़ में)	263.77	1,317.80	1,249.50
4	कुल अधिग्रहीत भूमि (एकड़ में) (2+3)	2,673.51	2,372.11	3,279.64
5	कुल अधिग्रहीत भूमि (%)	99.02	87.85	91.10

4. मैसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का दिनांक 21.08.2024 को जारी खुली निविदा के माध्यम से, निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन (बीओओ) के आधार पर, तहसील गरौठा, झांसी, उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट सौर विद्युत पार्क के विकास के लिए सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में चयन गया था। मैसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 06.01.2025 को लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया गया था। लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) की शर्तों के अनुसार, मैसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए एलओए जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर टुस्को लिमिटेड के साथ संविदा करार, कार्यान्वयन सेवा करार और भूमि उपयोग के अधिकार का करार करना अपेक्षित था। इन करारों पर कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होते हैं। टुस्को लिमिटेड ने मैसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कई पत्र (जिनमें से कुछ दिनांक 10.03.2025, 27.02.2025, 20.02.2025 के हैं) भेजे जिनमें उनसे संविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया।

5. भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार प्रकटन -'लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ'

हालिया लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली के तहत नए मानकों अथवा मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। नीचे नए मानकों और प्रमुख संशोधनों का सार दिया गया है जो 1 अप्रैल, 2024 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली अवधि क ` लिए पहली बार प्रभावी हैं:

(i) बिक्री और लीजबैक में पट्टा देयता - भारतीय लेखांकन मानक 116 में संशोधनः - 9 सितंबर 2024 को, एमसीए ने भारतीय लेखांकन मानक 116 में बिक्री और लीजबैक लेनदेनों की आवश्यकताओं के लिए संकीर्ण-दायरे वाले संशोधन अधिसूचित किये, जो स्पष्ट करते हैं कि कोई कंपनी लेनदेन की तारीख के बाद बिक्री और लीजबैक के लिए कैसे लेखांकन करती है। ये संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि, बिक्री और लीजबैक के बाद पट्टा देयता की माप में, विक्रेता-पट्टेदार श्पट्टा भुगतान श और 'संशोधित पट्टा भुगतान' को इस तरह से निर्धारित करता है जिससे उस लाभ अथवा हानि की किसी राशि को विक्रेता पट्टेदार स्वीकार नहीं करता है जो उसके पास वाली के उपयोग के अधिकार से संबंधित है। यह विशेष रूप से वहां बिक्री और लीजबैक लेनदेन को प्रभावित कर सकता है जहां पट्टा भुगतान में वे परिवर्तनीय भुगतान शामिल होते हैं जो किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर नहीं होते।

(ii) बीमा संविदाएं - भारतीय लेखांकन मानक 117:- एमसीए ने 12 अगस्त, 2024 को भारतीय लेखांकन मानक 104, 'बीमा संविदाएं' के स्थान पर नए लेखांकन मानक भारतीय लेखांकन 117, 'बीमा संविदाएं' अधिसूचित किये। नए मानक के अनुसार, किसी कंपनी को 1 अप्रैल, 2024 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक संसूचन अवधि के लिए भारतीय लेखांकन मानक 117 लागू करना अपेक्षित होता है।कंपनी ने उपर्युक्त संशोधनों का मूल्यांकन किया और ये कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी के ऐसे कोई लेनदेन नहीं हैं।

6. भारतीय लेखांकन मानक-24 "संबद्ध पक्षकार प्रकटन" के अंतर्गत प्रकटन

(क) संबद्ध पक्षकारों की सूचीः

(i) मूल कंपनीः

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का मुख्य स्थान
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	भारत
यूपीएनईडीए	भारत
एनटीपीसी (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की मूल कंपनी)	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :-

क्रम सं.	नाम	धारित पद	अवधि
1.	श्री आर.के. विश्नोई	अध्यक्ष	06.08.2021 से
2.	श्री अनुपम शुक्ला	नामित निदेशक	12.07.2022 से
3.	श्री मनोज सरदाना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15.04.2023 से
4.	श्री मृदुल दुबे	मुख्य वित्तीय अधिकारी	06.01.2023 से 14.06.2024 तक
5.	श्री आनंद प्रकाश बाजपेयी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	14.08.2024 से 27.12.2024 तक
6.	श्री हिमांशु बाजपेयी	कंपनी सचिव	08.10.2020 से

(iii) कंपनी में संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव वाली अन्य कंपनियां

यह कंपनी दिनांक 12.9.2020 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की एक सहायक कंपनी है, जिसका नियंत्रण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास है और उसके अधिकांश शेयर इसके पास हैं। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैरा 25 और 26 के अनुसरण में, जिन कंपनियों पर एक ही सरकार का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण है, अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव हैं, तब उस रिपोर्टिंग कंपनी और अन्य कंपनियों को संबद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित कंपनियों के लिए उपलब्ध छूट लागू की है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए हैं।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

क्रम सं.	संबद्ध पक्षकारों के नाम	संबंध की प्रकृति
1.	एनटीपीसी	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की मूल कंपनी
2.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी (74.00%)
3.	यूपीएनईडीए	शेयरधारक (26.00%)

(iv) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन निम्नानुसार हैं :-

रुपये लाख में

कंपनी/पक्षकार का नाम	कंपनी द्वारा लेनदेनों की प्रकृति	को समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2025	को समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024
यूपीएनईडीए	भुगतान किया गया कार्यालय पट्टा किराया और विद्युत शुल्क आदि	18.06	8.19
	इक्विटी शेयर पूंजी के आवंटन के निमित्त प्राप्त किया गया अंशदान	130.00	130.00
यूपीआरएनएन	सीमा बाड़ लगाने के निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संविदा से संबंधित लेनदेन।	0.00	308.49
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	किराये के खर्चों, सांविधिक देय राशियों जैसे सीपीएफ, जीएसएलआई, पेंशन आदि के निमित्त भुगतान की गई राशि	336.54	629.62
	इक्विटी शेयर पूंजी के आवंटन के निमित्त प्राप्त किया गया अंशदान	703.00	0.00
उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	कार्मिकों की आउटसोर्सिंग	0.00	5.08

यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)	कार्मिकों की आउटसोर्सिंग	146.81	132.33
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल)	सौर पार्क झांसी में परामर्शी सेवाएं और आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली का निर्माण	2499.94	2553.93
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल)	600 मेगावाट झांसी सौर विद्युत पार्क के लिए दीर्घकालिक ऋण की प्राप्ति	3000.00	2900.00
		513.26	105.22
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	600 मेगावाट ललितपुर सौर विद्युत पार्क के लिए परियोजना की वित्तीय समीक्षा/डीपीआर का मूल्यांकन	0.00	5.90
मैसर्स मेकॉन लिमिटेड	ललितपुर और चित्रकूट के लिए सिविल अवसंरचना कार्य	2039.70	0.00
मैसर्स निटकॉन लिमिटेड	कार्मिकों की आउटसोर्सिंग	30.88	0.00

(v) संबद्ध पक्षकारों के पास बकाया राशि निम्नानुसार है:-

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
बकाया राशि:		
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड पर	312.80	185.60
यूपीएनईडीए पर	13.75	1040.00
पीजीसीआईएल पर	0.00	0.00
यूपीआरएनएन लिमिटेड पर	177.66	215.20
उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, झांसी पर	0.00	0.00
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड पर	24.56	16.31
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल)	6,454.64	2,941.38
मैसर्स मेकॉन लिमिटेड	101.99	0.00
मैसर्स निटकॉन लिमिटेड	15.17	0.00

(vi) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्तिः स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हितलाभ और व्यय 106.94 लाख रुपये हैं।

रुपये लाख में

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1.	अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ	95.54	107.78
2.	सेवानिवृत्ति पश्चात और अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभ	11.40	15.84
3.	सेवानिवृत्ति हितलाभ	0.00	0.00
4.	शेयर-आधारित भुगतान	0.00	0.00
	कुल	**106.94**	**123.62**

(i) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें-

(क) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक निबंधन और शर्तों पर तथा बाजार दरों पर किए जाते हैं, जो निकटतम मूल्य दर्शाते हैं।

7. **प्रति शेयर आय (ईपीएस) - मूल और डाइल्युटेड**

प्रति शेयर आय (मूल और डाइल्युटेड) की गणना के लिए विचार किए जाने वाले घटक निम्नलिखित हैं: -

विवरण	2024-25	2023-24
कर पश्चात निवल लाभ (लाख रुपये में)	(57.50)	(58.35)
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- मूल	400547.95	378005.46
- डाइल्युटेड	409992.60	378005.46
प्रति शेयर आय	**रुपये में**	**रुपये में**
- मूल	(11.81)	(15.44)
- डाइल्युटेड	(11.54)	(15.44)
प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये में	1000	1000

8. **कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 12 "आयकर" के अनुपालन में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 10.18 लाख रुपये (90.71 लाख - 80.53 लाख रुपये) की निवल वृद्धि को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया गया है।**

विवरण	मार्च, 2025 के अनुसार (लाख रुपये में)	मार्च, 2024 के अनुसार (लाख रुपये में)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	90.71	80.53
कुल	**90.71**	**80.53**

रुपये लाख में

आस्थगित कर की गणना	31.03.2025	31.03.2024
क) मूल्यह्रास के कारण परिसंपत्ति		
आयकर अधिनियम के अनुसार अचल परिसंपत्ति का डब्ल्यूडीवी	1957.48	126.79
बहियों के अनुसार अचल परिसंपत्ति का डब्ल्यूडीवी	1946.97	107.04
अंतर	**10.51**	**19.75**
ख) प्रारंभिक व्ययों के निमित्त परिसंपत्तियाँ		
भविष्य में कटौती योग्य अनुमत्य प्रारंभिक व्यय	0.00	8.00
ग) भविष्य में अनुमेय अनवशोषित हानियाँ	349.89	292.22
अस्थायी अंतर	**349.89**	**300.22**
अस्थायी अंतरों की निवल राशि	**360.40**	**319.97**
कर की दर	25.168%	25.168%
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**90.71**	**80.53**

9. **(i) 31.03.2025 और 31.03.2024 तक सीडब्ल्यूआईपी की परिपक्वता अनुसूचियां निम्नानुसार हैं:-**

रुपये लाख में

परियोजना	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2025 को					
i) चल रहीं परियोजनाएं	5,013.00	3,917.75	2676.95	2,010.65	13,618.35
ii) अस्थायी रूप से रोकी गई परियोजनाएं	-	-	-	-	-
31.03.2024 को					
i) चल रहीं परियोजनाएं	3,917.75	2,676.95	1,370.05	640.60	8,605.35
ii) अस्थायी रूप से रोकी गई परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(ii) 31.03.2025 तक जिन परियोजनाओं की मूल लागत और पूर्णता कार्यक्रम पार हो गए हैं, उनके पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

रूपये लाख में

परियोजना	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2025 को					
600 मेगावाट झांसी एसपीपी	116.47	77.64	0.00	0.00	194.11
600 मेगावाट ललितपुर एसपीपी	187.37	124.91	0.00	0.00	312.28
800 मेगावाट चित्रकूट एसपीपी	227.17	227.17	0.00	0.00	454.34

10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) में अपेक्षितानुसार 31 मार्च, 2025 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित सूचना, और उक्त बकाया 45 दिनों से कम है।

(i) 31.03.2025 और 31.03.2024 को व्यापार देय परिपक्वन कार्यक्रम

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार

रूपये लाख में

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	14.98	0.00	0.00	0.00	14.98
(ii) अन्य	1580.95	0.00	0.00	0.00	1580.95
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित देय - अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार

(लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	4.63	0.00	0.00	0.00	4.63
(ii) अन्य	400.73	0.00	0.00	0.00	400.73
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित देय - अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. भारतीय लेखांकन मानक 116 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

(क) कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के आरंभिक अनुप्रयोग संबंधी निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं:-

(i) समान आर्थिक परिवेश में समान समाप्ति तिथि वाली समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।

(ii) आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को 12 महीने से कम अवधि की पट्टा अवधि और कम मूल्य के पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता न देने की छूट लागू की।

(iii) आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की माप से आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों, यदि कोई हों, को बाहर रखा।

(iv) यदि संविदा में पट्टे को बढ़ाने अथवा समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय पूर्वदृष्टि का उपयोग किया।

(ख) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,307.67 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 2,508.61 लाख रुपये) की पट्टा देयताओं और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की समतुल्य राशि को मान्यता दी है।

(ग) भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धि उधार दर 7.73% (पूर्व वर्ष 7.93%) है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

(i) मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की वहनीय राशियाँ और अवधि के दौरान उनका संचलन निम्नलिखित हैं :

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	11,972.29	9,381.03
– पट्टा देयताओं में वृद्धि	1,307.67	2,508.61
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	1,038.14	931.96
– पट्टा देयताओं का भुगतान	1,278.62	849.31
अंतिम शेष	13,039.48	11,972.29
वर्तमान	1,005.48	1,177.48
गैर-वर्तमान	12,034.00	10,794.81

(ii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषणः-

रूपये लाख में

संविदात्मक छूटरहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
3 महीने या उससे कम	251.37	294.37
3-12 महीने	754.10	883.11
1-2 वर्ष	1,005.47	1,177.48
2-5 वर्ष	3,016.41	3,709.05
5 वर्ष से अधिक	31,116.03	21,649.65
31 मार्च, 2025 को पट्टा देयताएं	36,143.88	27,713.65

(iii)ईडीसी में मान्यताप्राप्त राशियाँ निम्नलिखित हैं:-

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास व्यय	596.82	492.71
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	1,038.14	931.96

(iv) पट्टों के निमित्त नकदी प्रवाह की राशियाँ निम्नलिखित हैं:

रूपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
पट्टों के निमित्त नकदी बहिर्प्रवाह	1,278.63	849.31
पट्टा करारों के निमित्त अग्रिम	3,178.04	358.93

12. क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। बैंक खातों और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधारों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। जहाँ तक व्यापार/अन्य देय राशियों और ऋणों व अग्रिमों का संबंध है, लेखापरीक्षा मानक (एसए) 505 (संशोधित) 'बाह्य पुष्टि' में उल्लिखित नकारात्मक कथन के साथ शेष राशि के पुष्टि पत्र पक्षकारों को भेजे गए थे। इनमें से कुछ शेष राशि पुष्टि/पुनर्मिलान के अध्यधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो, की पुष्टि/समाधान के बाद उस लेखाबद्ध किया जाएगा, जिसका प्रबंधन के मत में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा।

ख) प्रबंधन के मत में, सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, तुलन पत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

13. लेखापरीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

रूपये लाख में

		2024-25	2023-24
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	2.36	2.36
II.	कराधान संबंधी मामले के लिए (कर लेखा परीक्षा)		
III.	कंपनी कानून संबंधी मामले के लिए		
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		
V.	अन्य सेवाओं (प्रमाणन) के लिए	0.59	0.59
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		

*वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अध्यधीन।

14. (क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य का पुनर्मिलान निम्नानुसार है: **रूपये लाख में**

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2025	31.03.2024
नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य	5	5.54	1.16
जोड़ें: स्वत्व के अधीन बैंक शेष राशि		0.00	0.00
घटाएँ: ओवरड्राफ्ट शेष राशि		0.00	0.00
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य		5.54	1.16

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशियों को विशिष्ट रूप से वित्तीय, गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के भाग के रूप में प्रकट करना की अपेक्षित होता है। मार्गदर्शी नोट (जीएन) में उल्लेख है कि परिपक्वता अवधि को 12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि के रूप में समझा जाना चाहिए। (संदर्भ: टिप्पणी:-6)

(ग) मार्च, 2017 में, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानक 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में संशोधनों को अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली 2017 जारी की। ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा भारतीय लेखांकन मानक 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से लागू हैं और वे अतिरिक्त प्रकटन लाते हैं, जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को प्रकटन आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र में आरंभिक और अंतिम शेष राशियों के बीच पुनर्मिलान को शामिल करने का सुझाव देते हुए नकदी प्रवाह और गैर-नकदी, दोनों परिवर्तनों से उत्पन्न परिवर्तनों सहित वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएंगे।

वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (2024-25)	आरंभिक	वर्तमान वर्ष	अंतिम	अंतर	अभ्युक्तियां
जारी अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	4,000.00	833.00	4,833.00	833.00	वित्तीय वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल से 703.00 लाख रुपये तथा यूपीएनईडीए से 130.00 लाख रुपये का इक्विटी अंशदान प्राप्त किया (लंबित आवंटन सहित)
पट्टा देयताएं	11,972.29	1,067.19	13,039.48	(1,278.62)	पट्टे के निमित्त किसान को किया गया भुगतान
उधार	2,941.38	3,513.26	. 6,454.64	3,513.26	झांसी ऋण के लिए आरईसीएल से 3000.00 लाख रुपये प्राप्त किए हैं और 513.26 लाख रुपये का ऋण पर पूंजीकृत संचित ब्याज है।
ब्याज और वित्त-प्रभार	-	(1,038.14)	-	(1,038.14)	ब्याज और वित्त प्रभारों का भुगतान
वित्तपोषण से निवल नकदी प्रवाह				2,029.50	

15. भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकटन

क) चूंकि कर्मचारी अपनी मूल कंपनी-टीएचडीसीआईएल से प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं, अतः कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाएँ, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं, जो मूल कंपनी की व्यवस्था के अनुसार हैं। कंपनी को अपनी मूल कंपनी के माध्यम से उपर्युक्त योजनाओं में निश्चित अंशदान करना होता है, जो इन निधियों का रखरखाव संबंधित ट्रस्टों के माध्यम से करती है। तदनुसार, इन कर्मचारी हितलाभों को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है। (टिप्पणी संख्या 17 देखें)।

टीएचडीसीआईएल की सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में सहायक कंपनी होने के नाते, टुस्को लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) के रूप में टुस्को लिमिटेड के पेरोल पर 2 स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की है। कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने अपनी 13वीं बोर्ड बैठक में पारित और अनुमोदित किया है कि टुस्को लिमिटेड टीएचडीसीआईएल की नीतियों/दिशानिर्देशों से शासित होगी और टीएचडीसीआईएल की सभी मानव संसाधन नीतियां और दिशानिर्देश, सेवा नियम और सेवा शर्तें, भर्ती नीतियां, स्थायी आदेश, शक्तियों का प्रत्यायोजन/उप प्रत्यायोजन, वित्तीय नियम, सामानों और सेवाओं की खरीद के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं और कार्य मैनुअल आदि टुस्को लिमिटेड पर भी लागू होंगे।

ख) परिभाषित अंशदान योजना :-

कंपनी का बीमांकिक मूल्यांकन, वित्तीय स्थिति की पहचान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और कर्मचारियों की उपदान देयता, अर्जित अवकाश, अर्ध-वेतन अवकाश, विदाई उपहार, अन्य-सामान भत्ता/दीर्घ सेवा पुरस्कार/एफबीएस देयता के लिए बीमांकिक देयता के आंकड़ों का भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटन अपेक्षित है।

ग) परिभाषित लाभ योजनाएँ :

(i) ग्रेच्युटी : कंपनी में परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है, जिसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ii) अवकाश नकदीकरण : कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ अवकाश नकदीकरण योजना है। इस योजना के तहत, वे निर्दिष्ट सीमाओं और अन्य शर्तों के अध्यधीन अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश के नकदीकरण के पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

तालिका-1 : बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकिक अवधारणा और जोखिम निम्न में है :

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012 - 14)	आईएएलएम (2012 -14)
छूट दर	6.81	7.10
भावी वेतन वृद्धि	6.50	6.50

जोखिमों एक्सपोजरों का विवरणः मूल्यांकन कुछ अवधारणाओं पर आधारित होते हैं, जो गतिशील प्रकृति की होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। इस प्रकार, कंपनी में निम्नलिखित विभिन्न जोखिम एक्सपोजर होते हैं।

क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी। भावी मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर की धारणा में वृद्धि से देयता में भी वृद्धि होगी।

ख) निवेश जोखिम - यदि योजना वित्तपोषित है, तो परिसंपत्ति देयताओं का बेमेल होना और परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश आय का अंतिम मूल्यांकन तिथि पर ली गई छूट दर से कमहोना, देयता को प्रभावित कर सकता है।

ग) छूट दर - तदनंतर मूल्यांकनों में छूट दर में कमी से योजना की देयता बढ़ सकती है।

घ) मृत्यु दर और विकलांगता - वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले, मूल्यांकन में अवधारित से कम या अधिक सिद्ध होने पर, देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी - वास्तविक निकासी, अवधारित निकासी से अधिक या कम सिद्ध होना और तदनंतर मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन, योजना की देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

तालिका-2 : दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ, में परिवर्तन)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	विदाई उपहार	अन्य-सामान भत्ता/ दीर्घ सेवा पुरस्कार/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	0.125	0.446	0.170	0.00	0.007
ब्याज लागत	0.008	0.031	0.012	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	0.323	0.291	0.127	0.008	0.005
भुगतान किया गया हितलाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.009	(0.059)	(0.125)	0.003	0.005
वर्ष के अंत में पीवीओ	0.467	0.711	0.184	0.012	0.007

तालिका-3 : तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	विदाई उपहार	अन्य-सामान भत्ता/ दीर्घ सेवा पुरस्कार/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	0.467	0.711	0.184	0.012	0.007
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तपोषित देयता/प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवित्तपोषित देयता/प्रावधान	(0.467)	(0.711)	(0.184)	(0.012)	(0.007)
अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	(0.003)	0.00
तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ (देयताएँ)	(0.467)	(0.711)	(0.184)	(0.012)	(0.007)

तालिका-4 : लाभ और हानि विवरण, ओसीआई और ईडीसी में मान्यता प्राप्त राशि :

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	विदाई उपहार	अन्य-सामान भत्ता/ दीर्घ सेवा पुरस्कार/एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	0.323	0.291	0.127	0.008	0.005
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज लागत	0.008	0.031	0.012	0.00	0.00
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	(0.059)	(0.125)	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ ईडीसी में मान्यताप्राप्त व्यय विवरण	0.332	0.264	0.014	0.008	0.005

तालिका-5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्न के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)		विदाई उपहार		अन्य	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(0.050)	(0.013)	(0.071)	(0.045)	(0.019)	(0.017)	(0.001)	–	(0.00)	(0.00)
0.50% की कमी	0.057	0.015	0.081	0.051	0.21	0.019	0.001	–	0.00	0.00
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	0.057	0.015	0.081	0.051	0.21	0.019	0.001	-	0.00	0.00
0.50% की कमी	(0.050)	(0.013)	(0.071)	(0.045)	(0.19)	(0.017)	(0.001)	-	(0.00)	(0.00)

अन्य प्रकटनः

उपदान	31.03.2025	31.03.2024
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.467	0.12
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.009	0.00
ओसीआई विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	0.332	0.12

अर्जित अवकाश (ईएल)	31.03.2025	31.03.2024
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.711	0.18
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.059)	0.00
ओसीआई विवरण के माध्यम से मान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.059)	0.00
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	0.264	0.18

अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	31.03.2025	31.03.2024
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.184	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.125)	0.00
ओसीआई विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.125)	0.00
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	0.014	0.00

अन्य-सामान भत्ता/दीर्घ सेवा पुरस्कार/एफबीएस	31.03.2025	31.03.2024
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.007	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.005)	0.00
ओसीआई विवरण के माध्यम से मान्यत प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	0.005	0.00

विदाई उपहार	31.03.2025	31.03.2024
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.012	0.07
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.003	0.00
ओसीआई विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	0.008	0.07

16. कंपनी में वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधान के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा जीएसटी पोर्टल पर किया गया है, जिसका उपयोग भविष्य में जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन किया जाएगा और इसे लेखा बहियों में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

17. अनुपात विश्लेषणः-

क्रम सं.	विवरण	गणक	भाजक	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	% अंतर	अंतर का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	2.35	0.89	164.04%	चूंकि कंपनी निर्माण चरण में है और प्रचालन अभी शुरू किया जाना है।
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	1.41	0.78	80.77%	चूंकि कंपनी ने 3000.00 लाख रुपये का ऋण लिया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 513.26 लाख रुपये मैसर्स आरईसीएल के ऋण पर संचित पूंजीकृत ब्याज है।

क्रम सं.	विवरण	गणक	भाजक	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	% अंतर	अंतर का कारण
				(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(कर पश्चात निवल लाभ+ऋण पर ब्याज+मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि) पर हानि)	(ऋण पर ब्याज+ दीर्घकालिक ऋण का मूलधन चुकौती)	-0.11	-0.70	84.29%	चूंकि कंपनी ने 3000.00 लाख रुपए का ऋण लिया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 513.26 लाख रुपये मैसर्स आरईसीएल के ऋण पर संचित पूंजीकृत ब्याज है।
घ	इक्विटी अनुपात पर आय	कर पश्चात निवल लाभ	हितधारकों की औसत इक्विटी	-0.01%	-0.02%	50%	चूंकि कंपनी निर्माण चरण में है और प्रचालन अभी शुरू किया जाना है।
ङ	मालसूची कारोबार अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत मालसूची	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं
च	देनदारों का कारोबार अनुपात	प्रचालनों से राजस्व (निवल ऋण बिक्रियां)	औसत व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं
छ	व्यापार देय कारोबार अनुपात	निवल ऋण खरीद	औसत व्यापार देय	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं
ज	निवल पूंजी कारोबार अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	कार्यशील पूंजी	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं
झ	निवल लाभ मार्जिन	कर के पश्चात निवल लाभ	निवल बिक्रियां	0.00%	0.00%	0.00%	लागू नहीं
ज	नियोजित पूंजी पर आय	ब्याज और कर पूर्व आय	नियोजित पूंजी	0.00%	0.00%	0.00%	लागू नहीं
ट	निवेश पर आय	निवेश से आय	निवेश	0.00%	0.00%	0.00%	लागू नहीं

18. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

19. ये वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए दिनांक 18.05.2025 को प्राधिकृत किए गए थे।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

प्र.ह./–	प्र.ह./–	प्र.ह./–	प्र.ह./–
(आर.के. विश्नोई)	**(मनोज सरदाना)**	**(सी.पी. रतूड़ी)**	**(हिमांशु बाजपेई)**
अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
डीआईएनः 08534217	पैनः AGNPS1840H	पैनः ABSPB0191G	सदस्यता सं. 53310

दिनांकः 18.05.2025
स्थानः ऋषिकेश/लखनऊ

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन006792सी

प्र.ह./–
(सीए जे. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 074602

दिनांकः 19.05.2025
स्थानः लखनऊ

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

टुस्को लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने टुस्को लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस समय समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों कि टिप्पणियां शामिल है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एएस") सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मामले का जोर

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैः

टिप्पणी-20(4)- बोली प्रक्रिया के दौरान, 21 अगस्त, 2024 को जारी खुली निविदा के माध्यम से, मैसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का तहसील गरौठा, झांसी, उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट सौर विद्युत पार्क के निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन (बीओओ) आधार पर सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में चयन किया गया था। मैसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) 06 जनवरी, 2025 को जारी किया गया था।

एलओए की शर्तों के अनुसरण में, मैसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को एलओए जारी होने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर टुस्को लिमिटेड के साथ संविदा करार, कार्यान्वयन सेवा करार और भूमि उपयोग अधिकार करार निष्पादित करना अनिवार्य था। इन करारों को कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण और हस्ताक्षरित किया जाना था।

इस रिपोर्ट की तिथि तक, उपर्युक्त उल्लिखित करार निष्पादित नहीं किए गए हैं, और प्रतिभूति जमा राशि की कोई जब्ती नहीं पाई गई है अथवा दर्ज नहीं की गई है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारी उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व भाग में वर्णित किया गया है। हम उन नीतिगत अपेक्षाओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीति संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए संगत हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं और नीति संहिता के अनुसार हमने अपने नीतिगत उत्तरदायित्व पूर्ण किए हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारा मत बनाने के संदर्भ में हल किया गया था, और हम इन मामलों पर पृथक रूप से कोई मत व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधनवर्ग का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में यथा-उल्लिखित हैं, को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखावय उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उनका अनुप्रयोग करनाय वे निर्णय करना और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रुपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकार्डो की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत हैं तथा वास्तविक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हों अथवा त्रुटि के कारण हों, शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधक वर्ग चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, चालू व्यापार से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटन करने और लेखांकन के चालू व्यापार आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन अथवा प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो, उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, इस संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षा की उस रिपोर्ट को जारी करने के लिए, जिसमें हमारा मत शामिल है, से मुक्त हैं। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, परंतु गारंटी नहीं होती कि लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा उस वास्तविक मिथ्याकथन का हमेशा पता लगाए, जो मौजूद है। मिथ्याकथन धोखाधड़ी और त्रुटि से बन सकते हैं और यदि पृथक रूप से अथवा समग्र रूप में वास्तविक माने जाते हैं, तो वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकते हैं।

लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों का वास्तविक मिथ्याकथन जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करने कि क्या वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने और निष्पादित करने तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के कारण हैं, जो कि हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वास्तविक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में टकराव, मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(झ) के तहत, हम इस संबंध में भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और उन नियंत्रणों की प्रचालनरत प्रभावकारिता भी है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधकवर्ग द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन का चालू व्यवसाय के आधार का प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता के संबंध में और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या उन घटनाओं और स्थितियों से संबंधित वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है, जिनसे कंपनी के चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की योग्यता पर काफी संदेह बन सके। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमारा वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर हैं। तथापि, भावी घटनाओं अथवा स्थितियों से कंपनी का चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।

- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु तथा क्या वे वित्तीय विवरण उल्लिखित लेन-देनों और उन घटनाओं का उस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उचित प्रस्तुति हासिल करती हैं, का मूल्यांकन करना ।

हम आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों, जिनकी हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों के नियोजित क्षेत्र और समय एवं अन्य मामलों के संबंध में शासन पर लगाए गए मामलों के साथ सूचित करते हैं।

हम विवरण के साथ शासन पर प्रभारित वे मामले भी प्रदान करते हैं, जिनका हमने स्वतंत्र होने के संबंध में और उनको सूचित करने के लिए सभी संबंधित और अन्य मामले, जो हमारी स्वायत्ता को लेने के लिए उपयुक्त रूप से माने जाएं और जहां लागू हों, संबंधित रक्षोपाय हों, संगत नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के संबंध में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा यथापेक्षित, हम आदेश, लागू सीमा तक, के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित मामलों के संबंध में **अनुबंध-क** में विवरण देते हैं।

2. इस अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा यथापेक्षित, हम «अनुबंध-ख» में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उल्लिखित मामलों पर आधारित विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा-अपेक्षितानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सूचना और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

   ख) हमारे मत में, जहां तक उन लेखाबहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखाबहियां रखी गई हैं।

   ग) इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के संबंध में ब्यौरे दिए गए हैं, वे लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

   घ) हमारे मत में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

   ङ) चूंकि यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अतः कंपनी के निदेशकों से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5

जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर-463(ई) के अनुसरण में कंपनी पर लागू नहीं होती है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनरत प्रभावकारिता के संबंध में, «अनुबंध-ग» में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) चूंकि यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अतः प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर-463(ई) के अनुसरण में कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है जिसके प्रभाव को इंड एएस वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति पर निर्दिष्ट करना अपेक्षित हो।

ii. व्युत्पन्न संविदाओं सहित कंपनी की कोई दीर्घावधिक संविदाएं नहीं थीं, जिनके लिए कोई भी तथ्यात्मक पूर्वानुमानित हानि, यदि कोई हो, हुई हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि अंतरित करना अपेक्षित नहीं है।

iv. (क) प्रबंधनवर्ग ने प्रस्तुत किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि (जो पृथक रूप से अथवा समग्र रूप से वास्तविक है) कंपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा कंपनी, जिसमें विदेशी कंपनियां ('मध्यस्थ') शामिल हैं, को, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, अग्रिम अथवा उधार नहीं दी गई है अथवा निवेश नहीं की गई है (या तो उधार अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत से ली गई धनराशि अथवा किसी अन्य प्रकार की धनराशि) कि मध्यस्थ, चाहे, कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से अभिचिह्नित अन्य व्यक्तियों अथवा कंपनियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करें:

(ख) प्रबंधनवर्ग ने प्रस्तुत किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी कंपनियों ('वित्तपोषण पक्षकारों') सहित किसी भी व्यक्ति या कंपनी से कोई धनराशि (जो पृथक रूप से अथवा समग्र रूप से वास्तविक है) प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से या वित्तपोषण पक्षकार («अंतिम लाभार्थी») की ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या कंपनियों को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे उन्हें विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उप-खंड (i) और (ii), जैसाकि उपर्युक्त (क) और (ख) में दिया गया है, के अंतर्गत अभ्यावेदनों में कोई वास्तविक मिथ्याकथन शामिल है।

v. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखाबहियों का रख-रखाव करने हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संगत लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित अथवा उसका भुगतान नहीं किया है।

कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

प्र.ह./-
(सीए जे. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 074602
यूडीआईएनः 25074602BM1CCO3531

दिनांकः 19 मई, 2025
स्थानः लखनऊ

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में उल्लिखित :

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा लेखापरीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांची गई लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, और हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार,

हम रिपोर्ट करते हैं किः

1.(क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक ब्यौरे और उसकी अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाते हुए उचित अभिलेखों को अनुरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा ब्यौरे दर्शाते हुए उचित अभिलेखों को अनुरक्षित किया है।

(ख) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से वास्तविक सत्यापन किया गया है, जिसकी हमारे मत में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए वास्तविक सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। इस सत्यापन में कोई भी तथ्यात्मक विसंगतियां नहीं पाई गई थीं।

(ग) पट्टे पर ली गई अचल परिसंपत्तियों के संबंध में और वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के रूप में प्रकट की गई कोई भी अचल परिसंपत्ति कंपनी के नाम पर धारित नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियां पुनर्मूल्यांकित नहीं की हैं।

(ङ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

2.(क) प्रबंधन द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई मालसूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(11) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(ख) कंपनी को, वर्ष के दौरान किसी भी समय, वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

3. कंपनी ने कंपनियों, प्रतिष्ठानों, सीमित देयता भागीदारों अथवा अन्य पक्षकारों को ऋण, प्रतिभूतियुक्त अथवा प्रतिभूतिरहित, के रूप में न कोई गारंटी अथवा सुरक्षा प्रदान की है अथवा न उनको कोई ऋण अथवा अग्रिम दिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(iii) क से च के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

4. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लिखित व्यक्तियों के लिए कोई ऋण नहीं दिया है अथवा निवेश नहीं किया है अथवा गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।

5. कंपनी ने कोई जमा राशि अथवा धनराशियां, जो जमा राशियां मानी जाती हैं, स्वीकार नहीं की हैं। अतः आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

6. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबहियों व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्ट्या विहित लेखा बनाए गए हैं और उनका अनुरक्षण किया गया है।

7.(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, और उपकर तथा उपयुक्त प्राधिकारियों के पास कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देय शामिल है, को सामान्यतः नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2025 के अनुसार उपर्युक्त के संबंध में कोई अविवादित राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क का कोई बकाया नहीं है।

8. पूर्व में दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित अथवा प्रकट किया गया हो।

9.(क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण अथवा अन्य उधारियां नहीं ली हैं, अतः आदेश के खंड 3(ix)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था अथवा सरकार अथवा किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और अतः, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण, तथा हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं, तथा कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का कंपनी द्वारा दीर्घावधिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी ने अपनी एसोसिएट के दायित्वों को पूरा करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी भी कंपनी अथवा व्यक्ति से कोई निधियां नहीं ली हैं। कंपनी की कोई सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं है।

(च) कंपनी ने अपनी एसोसिएट में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है। कंपनी की कोई सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं है।

10.(क) मेरे मत में और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर अथवा अतिरिक्त पब्लिक ऑफर (ऋण प्रपत्रों सहित) द्वारा कोई धनराशि एकत्र नहीं की है और अतः आदेश के खंड 3(+) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूरी तरह से, आंशिक रूप से, अथवा वैकल्पिक रूप से) का कोई भी अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

11.(क) लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल की गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी पर उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की लेखा बहियों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं की गई हैं। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ xi (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) (क, ख और ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. हमारे मत में, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेन-देन, जहाँ लागू हों, अधिनियम की धारा 188 के अनुरूप हैं, और अपेक्षित विवरण, लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मेरे मत में, कंपनी के लिए अधिनियम की धारा 177 के तहत लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित नहीं है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के लिए अधिनियम की धारा 138 के तहत आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अपेक्षित नहीं है और तथापि सर्वोत्तम प्रबंधन और सुशासन के उद्देश्य से, प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु मैसर्स जितेंद्र अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया है, और इसके परिणामस्वरूप, आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।

15. हमारे मत में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किये हैं और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (अ)के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

16. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की लेखाबहियों और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार परः

(क) कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय अथवा आवास वित्त कार्यकलाप संचालित नहीं किए हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कोर निवेश कंपनी (निदेश), 2016, समय-समय पर यथा संशोधित, में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (एतद्पश्चात 'सीआईसी' के रूप में संदर्भित) नहीं है और इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती हैः और

(घ) हमारे मत में और प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, समूह में कोई कोर निवेश कंपनी (कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथापरिभाषित) नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi) (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

17. लेखाबहियों की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा द्वारा शामिल किए गए वर्तमान वित्तीय वर्ष में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में क्रमशः 57.50 लाख रुपये और 73.91 लाख रुपये की नकद हानियां हुई हैं।

18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड का 3(xvii) अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

19. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के

भुगतान की नियत अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां, एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में मेरे ज्ञान और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की मेरी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा की तारीख को कोई भी वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी की तुलन पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देयताओं, जब कभी तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाती हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। मैं यह भी उल्लेख करता हूँ कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएं जब कभी देय हो जाएगी कंपनी द्वारा चुका दी जाएंगी।

20. मुझे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 135(1) के तहत उल्लिखित मानदंडों को पूर्ण नहीं करती है और तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड 3(xxi)रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

21. आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की जाती है।

कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

प्र.ह./–
(सीए जे. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 074602
यूडीआईएनः 25074602BM1CCO3531

दिनांकः 19 मई, 2025
स्थानः लखनऊ

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

[स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट में 'अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट' के अंतर्गत पैरा 2 में उल्लिखित,

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

1. क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन करने की प्रणाली मौजूद है ? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के कार्यवाही से लेखे की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हों, का भी उल्लेख किया जाए।

   कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन करने की पर्याप्त प्रणाली है। कंपनी, होल्डिंग कंपनी टीएचडीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए एफएमएस (वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के सॉफ्टवेयर पर वित्तीय विवरण तैयार करती है।

2. क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन अथवा ऋण भार/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले सामने आए हैं ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों को उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है ? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होता है)।

   लेखापरीक्षा के आधार पर, हमें लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण भार/ऋण/ब्याज की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं मिला।

3. क्या केंद्र/राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) को निबंधन एवं शर्तो के अनुसार उचित लेखाबद्ध किया गया था/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची बताएँ।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास की योजना के अंतर्गत 600 मेगावाट ललितपुर सौर विद्युत पार्क, 600 मेगावाट झांसी सौर विद्युत पार्क और 600 मेगावाट चित्रकूट सौर विद्युत पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण, सिविल अवसंरचना व्यय और आंतरिक विद्युत निकासी के निमित्त वित्तीय वर्ष के दौरान एमएनआरई से अनुदान के रूप में 10,773.37 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, और वित्तीय वर्ष के दौरान अपने प्रमोटरों से इक्विटी पूंजी के रूप में 833.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है और परियोजना के लिए उपयोग किया जा रहा है।

टुस्को लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 को टुस्को लिमिटेड (''कंपनी'' के वित्तीय संसूचनों के साथ–साथ, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधनवर्ग का दायित्व

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय संसूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में निदेशात्मक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय संसूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में स्थापित मानकों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उनका अनुपालन करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधनवर्ग का है। इन दायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित के अनुसार कंपनी की नीतियों का अनुपालन करने, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा करने, धोखाधड़ी और त्रुटियों से बचाने और उनका पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय से तैयार किए जाने सहित कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रभावी रूप से अमल में लाए जा रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप–रेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उनका अनुपालन करते रहना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेवारी, मेरी/हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय संसूचन संबंधी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपनी राय व्यक्त करने की है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी मार्गदर्शी टिप्पणी (मार्गदर्शक टिप्पणी) और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार की है। ये मानक और मार्गदर्शक टिप्पणियां यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस बारे में तर्कसंगत रूप से आश्वस्त होने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि पर्याप्त आंतरिक वित्तीय संसूचनों की स्थापना और अनुपालन किया गया था या नहीं और कि क्या इन नियंत्रणों ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से कार्य किया था।

हमारी लेखापरीक्षा प्रणाली में वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में समझने, किसी गंभीर कमजोरी की मौजूदगी के जोखिम का आकलन करने, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूप–रेखा एवं प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। इसके लिए

चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षा के विनिश्चय, जिसमें वित्तीय विवरणों के गंभीर मिथ्या-कथनों, चाहे वे कपट से किए गए हों या गलती से हो गए हों, के जोखिमों का आकलन शामिल है, पर निर्भर करती हैं।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे, एकक के वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

किसी कंपनी के वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय उस प्रक्रिया से है, जिसमें वित्तीय संसूचन की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के बारे में यथोचित विश्वास पैदा किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और पद्धतियां शामिल होती हैं, जो (1) ऐसे अभिलेख तैयार किए जाने के बारे में होती हैं, जिनसे उस कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और प्रवृत्ति की सटीक और निष्पक्ष तस्वीर यथोचित विवरण के साथ प्रस्तुत करते हैंय (2) इस आशय का यथोचित विश्वास दिलाते हैं कि लेन-देन यथावश्यक तरीके से वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए गए हैं, और कि कंपनी की पावती और व्यय कंपनी के प्रबंधनवर्ग एवं निदेशकों को दिए गए प्राधिकार के अनुसरण में ही किया जा रहा हैः और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों, जिनका गंभीर प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ सकता था, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान से बचाव या इनका समय से पता लग जाने का यथोचित विश्वास दिलाते हैं।

वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्भूत सीमाएं

वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्भूत सीमाओं, जिसमें मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन अथवा उल्लंघन शामिल हैं, के कारण गलती या धोखा-धड़ी से किए जाने वाले गंभीर मिथ्या-कथन और इनका पता भी न चल पाने की स्थिति बन सकती है। साथ ही, वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आकलन आगामी अवधियों पर आरोपित किए जाने में जोखिम यह हो सकता है कि वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त सिद्ध हो सकते हैं, या फिर नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में, सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय संसूचन संबंधी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और ये वित्तीय संसूचन संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 को, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय संसूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में निदेशात्मक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय संसूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में स्थापित मानकों के आधार पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

प्र.ह./-
(सीए जे. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 074602
यूडीआईएनः 25074602BM1CCO3531

दिनांकः 19 मई, 2025
स्थानः लखनऊ

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

DGA(E)/Rep/01-72/Acs-TUSCO/2025-26/326 Dated: 19.08.2025

सेवा में,
अध्यक्ष,
टुस्को लिमिटेड,
लखनऊ।

विषयः 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड, लखनऊ के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ड़) के अंतर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टुस्को लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ड़) के अंतर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय
प्र.ह./-
(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक (ऊर्जा)

पांचवा, छठा, सातवां एवं दसवां तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनेक्सी, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
दूरभाषः 011-23239213, 23239211, ई-मेलः pdaenergydl@cag.gov.in

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 19 मई, 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यशील कागजातों की सहायता के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी कार्मिकों के प्रश्नों तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

वर्तमान देयताएं

वित्तीय देयताएं – 3,627.09 लाख रुपए

(क) व्यापार देय (टिप्पणी संख्या 12) – 1,809.13 लाख रुपए

सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशि (टिप्पणी संख्या 12) – 1,794.15 लाख रुपए

उपर्युक्त में कर्मचारियों को उनकी रोजगार शर्तों के अनुसार देय 213.20 लाख रुपए की राशि शामिल है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग II-भारतीय लेखांकन मानक अनुसूची III पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार वर्तमान देयताओं के अंतर्गत प्रावधानों में शामिल किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय देयताओं को 213.20 लाख रुपए अधिक बताया गया तथा प्रावधानों की भी उतनी ही राशि कम बताई गई है।

(ख) अन्य (टिप्पणी संख्या 12) – 812.49 लाख रुपए

उपर्युक्त में 114.08 लाख रुपये की राशि जो संविदाकारों से प्राप्त जमा और प्रतिधारण निधि है, जो बारह महीने के बाद देय थी, शामिल है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग प्प-भारतीय लेखांकन मानक अनुसूची ॥ पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार, इसे गैर वर्तमान वित्तीय देयताओं के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय देयताओं को 114.08 लाख रुपए अधिक तथा गैर वर्तमान वित्तीय देयताओं की इतनी ही राशि कम दर्शाई गई है।

ख. प्रकटन पर टिप्पणियां

कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में 50 करोड़ रुपये तक की वृद्धि को मंजूरी (19 मार्च, 2025) दी। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने शेयर अनुप्रयोग राशि के लिए 333 लाख रुपए (21 मार्च 2025) प्रेषित किए, जबकि उत्तर प्रदेश

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीएनईडीए) ने 4 अप्रैल, 2025 को अपनी शेयर अनुप्रयोग राशि के लिए 117 लाख रुपए प्रेषित किए हैं।

तथापि, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड से प्राप्त शेयर अनुप्रयोग राशि इक्विटी में परिवर्तन विवरण में परिलक्षित नहीं हुई है। इसके अलावा, यूपीएनईडीए से प्राप्त शेयर अनुप्रयोग राशि का वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटन नहीं किया गया है, जो भारतीय लेखांकन मानक 10 का गैर-अनुपालन है, जबकि यह घटना रिपोर्टिंग तिथि के बाद और निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व की थी।

इस प्रकार, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां उस सीमा तक अपर्याप्त हैं।

ग. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

(क) स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क के पैरा 6 में, सांविधिक लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि उनका मत है कि प्रथम दृष्टया, विहित लागत रिकॉर्ड बनाए गए हैं और उनका अनुरक्षण किया गया हैं, जबकि वास्तव में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार, उन्हें इस पर मत देना अपेक्षित है कि क्या कंपनी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागत रिक०र्ड का रखरखाव निर्दिष्ट किया गया है और क्या ऐसे लेखे और रिकॉर्ड बनाए गए हैं और उनका अनुरक्षण किया गया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ऊपर बताई गई सीमा तक अपर्याप्त है।

(ख) स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध क के पैरा 9(क) में, सांविधिक लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट है कि कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण अथवा अन्य उधार नहीं लिया है। अतः, आदेश के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। पैरा 9(ग) में, उन्होंने यह भी बताया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है, अतः, आदेश के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। तथापि, कंपनी ने मई, 2023 में मैसर्स आरईसी लिमिटेड के साथ 140.47 करोड़ रुपए के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके विरुद्ध कंपनी ने 2023-2025 के दौरान पहले ही 59 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त कर लिया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ऊपर बताई गई सीमा तक अपर्याप्त है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से
प्र.ह./-
(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उस पर प्रबंधन के उत्तर

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां **वर्तमान देयताएं** **वित्तीय देयताएं - 3,627.09 लाख रुपए** **(क) व्यापार देय (टिप्पणी संख्या 12) - 1,809.13 लाख रुपए** **सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशि (टिप्पणी संख्या 12) - 1,794.15 लाख रुपए** उपर्युक्त में कर्मचारियों को, उनकी रोजगार शर्तों के अनुसार देय 213.20 लाख रुपए की राशि शामिल है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग II-भारतीय लेखांकन मानक अनुसूची-III पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार वर्तमान देयताओं के अंतर्गत प्रावधानों में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय देयताओं को 213.20 लाख रुपए अधिक बताया गया तथा प्रावधानों की भी उतनी ही राशि कम बताई गई है।	यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुल 213.20 लाख रुपए की राशि में से, 210.08 लाख रुपए की राशि होल्डिंग कंपनी, अर्थात् मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को कंपनी की शुरुआत के समय किए गए विविध व्यय के लिए देय है। तदनुसार, इस राशि को व्यापार देयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। शेष 3.12 लाख रुपए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कर्मचारियों को देय देयताओं से संबंधित हैं। तथापि, इस संबंध में लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को विधिवत नोट कर लिया गया है। हम आश्वस्त करते हैं कि इन राशियों के वर्गीकरण की भविष्य में समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के संगत प्रावधानों के अनुसार उचित संशोधन किया जाएगा।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी का स्पष्टीकरण

	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
(ख)	**अन्य (टिप्पणी संख्या 12) – 812.49 लाख रुपए** उपर्युक्त में 114.08 लाख की राशि, जो संविदाकारों से प्राप्त जमा और प्रतिधारण निधि है, जो बारह महीने के बाद देय थी, शामिल है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग II-भारतीय लेखांकन मानक अनुसूची III पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार, इसे गैर-वर्तमान वित्तीय देयताओं के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय देयताओं को 114.08 लाख रुपए अधिक तथा गैर-वर्तमान वित्तीय देयताओं की इतनी ही राशि कम दर्शाई गई है।	जमा राशि और प्रतिधारण राशि जारी करने की अपेक्षा के आधार पर, इसे वर्तमान वित्तीय देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस वर्गीकरण का कंपनी की कुल देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तथापि, इस वर्गीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को विधिवत नोट कर लिया गया है। आगे, कंपनी आश्वस्त करती है कि ऐसी मदों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षाओं के अनुसार वर्तमान और गैर-वर्तमान वित्तीय देयताओं के बीच उचित वर्गीकरण किया जाएगा।
ख.	**प्रकटन पर टिप्पणियां** कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में 50 करोड़ रुपये तक की वृद्धि को मंजूरी (19 मार्च, 2025) दी। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने शेयर अनुप्रयोग राशि के लिए 333 लाख रुपए (21 मार्च, 2025) प्रेषित किए, जबकि उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीएनईडीए) ने 4 अप्रैल, 2025 को अपनी शेयर अनुप्रयोग राशि के लिए 117 लाख रुपए प्रेषित किए हैं। तथापि, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड से प्राप्त शेयर अनुप्रयोग राशि इक्विटी में परिवर्तन विवरण में परिलक्षित नहीं हुई है। इसके अलावा, यूपीएनईडीए से प्राप्त शेयर अनुप्रयोग राशि का वित्तीय विवरणों की सूचनाओं में प्रकटन नहीं किया गया है, जो भारतीय लेखांकन मानक 10 का गैर-अनुपालन है, जबकि यह घटना रिपोर्टिंग तिथि के बाद और निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व की थी। इस प्रकार, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां उस सीमा तक अपर्याप्त हैं।	यह प्रस्तुत किया जाता है कि इक्विटी अंशदान 74:26 के शेयरधारिता अनुपात में किया जाना है। तदनुसार, चुकता शेयर पूंजी में 450 लाख रुपए की वृद्धि के अनुमोदन के पश्चात, प्रमोटरों में से एक, अर्थात् टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड से दिनांक 21.03.2025 को 333 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 10 – अन्य इक्विटी के अंतर्गत उचित रूप से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रमोटर, अर्थात यूपीएनईडीए से शेष 117 लाख रुपए का अंशदान दिनांक 04.04.2025 को, अर्थात 31.03.2025 की तुलन पत्र तिथि के बाद प्राप्त हुआ था। चूँकि यह राशि रिपोर्टिंग तिथि के बाद प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लेखे में मान्यता नहीं दी गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा की यह टिप्पणी कि ऐसी तदनंतर घटनाओं का लेखा संबंधी टिप्पणियों में प्रकटन किया जाना चाहिए, विधिवत नोट कर ली गई है। भविष्य में, लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप, इक्विटी में परिवर्तन विवरण के साथ-साथ लेखा संबंधी टिप्पणियों में उचित प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी रखी जाएगी।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी का स्पष्टीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
ग. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां **(क)** स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध–क के पैरा 6 में, सांविधिक लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि उनका मत है कि प्रथम दृष्ट्या, विहित लागत रिकॉर्ड बनाए गए हैं और उनका अनुरक्षण किया गया हैं, जबकि वास्तव में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार, उन्हें इस पर मत देना अपेक्षित है कि क्या कंपनी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्दिष्ट किया गया है और क्या ऐसे लेखे और रिकॉर्ड बनाए गए हैं और उनका अनुरक्षण किया गया है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ऊपर बताई गई सीमा तक अपर्याप्त है।	कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित है।
(ख) स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध क के पैरा 9(क) में, सांविधिक लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट है कि कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण अथवा अन्य उधार नहीं लिया है। अतः, आदेश के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। पैरा 9(ग) में, उन्होंने यह भी बताया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है, अतः, आदेश के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। तथापि, कंपनी ने मई, 2023 में मैसर्स आरईसी लिमिटेड के साथ 140.47 करोड़ रुपए के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके विरुद्ध कंपनी ने 2023–2025 के दौरान पहले ही 59 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त कर लिया है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ऊपर बताई गई सीमा तक अपर्याप्त है।	कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित है।

नोट्स

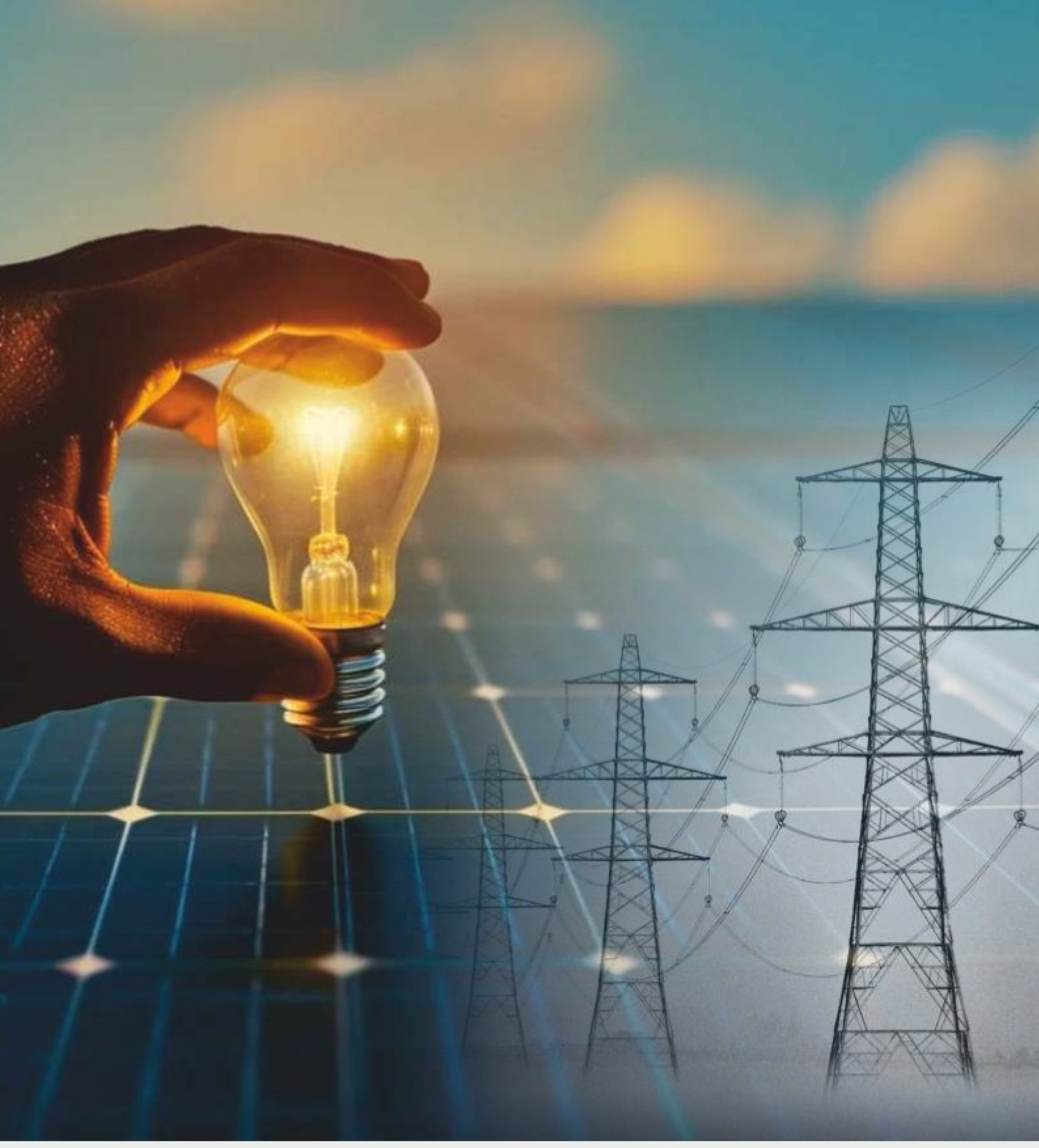

टुस्को लिमिटेड
TUSCO LIMITED

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं यूपीनेडा का संयुक्त उपक्रम)

(A Joint Venture of THDC India Limited & UPNEDA) | (CIN : U40106UP2020GOI134504)

पंजीकृत कार्यालय : टुस्को लिमिटेड, चौथा तल, यूपीनेडा भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010 (उत्तरप्रदेश)

Regd. Office : Tusco Limited, IV Floor, UPNEDA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010 (Uttar Pradesh)

speedways46@gmail.com